लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५७, १९६१/१८८३ (शक)

[२१ अगस्त से १ सितम्बर १९६१/२० श्रावण से १० भाद्र १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
14-5-92
Fumigated
On 3.11.83
Parliament Library

चौदहवां खण्ड, १९६१/१८८३ (शक)

(खण्ड ५७ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अंक ११--सोमवार, २१ अगस्त, १९६१/३० श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३० से ७४२, ७४४ से ७४६, ७४९ और ७५१ . १७९९--१८२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७२७, ७२९, ७४३, ७४७, ७४८, ७५० और ७५२ से ७८२ . . . . . १८२३--३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७२५ से १७३२, १७३४ से १७३७ १८३९--१९२९

स्थगन प्रस्ताव--

(१) स्वामी रामेश्वरानन्द जी पर बम फकने की कथित घटना १९२९-३०

(२) भारतीय गांव पर पाकिस्तानियों द्वारा कथित धावा . १९३०-३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १९३१-३२

राज्य सभा से सन्देश १९३२-३३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पूर्व सूचना के बारे में १९३३

समिति के लिये निर्वाचन--

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् १९३३-३४

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . १९३४---५६

ब्लिट्स के सम्पादक के नाम समन जारी करने के बारे में . १९५३

दैनिक संक्षेपिका १९५७---६८

अंक १२--मंगलवार, २२ अगस्त १९६१/३१ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७८३ से ७८६, ७९८, ७८७, ७९०, ७९२ से ७९४, ७९६, ७९७, ७९९ और ८०० १९६९--९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७९१, ७९५, ८०१ से ८५५ . १९९४--२०१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३८ से २०८८ २०१६--७८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में--

यमुना के बांध का टूटना . . . २०७८-७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

खम्भात और अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों में तेल का उत्पादन २०७९-८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०८०-८१

प्राक्कलन समिति--

एक सौ उन्तालीसवां प्रतिवेदन . . २०८१

विषय	पृष्ठ
मार्टिन एस० लाइट रेलवे यात्री संघ की शिकायतों के बारे में याचिका .	२०८१
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . . .	२०८१—२११३
दैनिक संक्षेपिका	२११४—२३
अंक १३—बुधवार, २३ अगस्त, १९६१/१ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८५८, ८६० से ८६५, ८६७, ८६८, ८७३, ८७५ और ८७६	२१२५—४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५९, ८६६, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७४ और ८७७ से ८९३ . . .	२१४८—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या २०८९ से २२०० .	२१५९—२२०८
स्थगन प्रस्ताव—	
१. यमुना के बांध का टूटना . . .	२२०८–०९
२. नागालैंड में दुर्घटना	२२०९–१०
३. जम्मू में नन्दपुर पर पाकिस्तानियों का कथित आक्रमण . .	२२१०–११
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२२११–१२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पुनर्वास मंत्रालय को जारी रखना . . .	२२१२—१५
प्राक्कलन समिति के कार्यवाही सारांश . . .	२२१५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ चालीसवां प्रतिवेदन . .	२२१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्तास्सीवां प्रतिवेदन . . .	२२१६
तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ के उत्तर में शुद्धि . . .	२२१६–१७
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२२१७
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . . .	२२१७—५०
दैनिक संक्षेपिका	२२५१—५८
अंक १४—गुरुवार, २४ अगस्त, १९६१/२ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९७, ८९८, ८९९, ९०१, ९०४, ९०५, ९०७, ९१०, ९१२, ९१४, ९१६, ९१८, ९२१, ९२३ और ९०० .	२२५९—८१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९६, ९०१, ९०३, ९०६, ९०८, ९०९, ९११, ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२० और ९२२	२२८१—८६
अतारांकित प्रश्न संख्या २२०१ से २३१४, २३१६ से २३५६	२२८७—२३४९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
भारी वर्षा के कारण दिल्ली की कुछ बस्तियों में पानी भर जाना	२३५०–५१
सभा का कार्य	२३५१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३५१–५२
इन्डियन एयर लाइन्स कोरपोरेशन द्वारा वायुयान में राष्ट्रपति के डाक्टरों को स्थान न देने के बारे में वक्तव्य	२३५२–५३
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव	२३५३—६३
आय कर विधेयक--	
प्रवर समिति द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२३६३—८०
श्री करांजिया द्वारा भेजा गया तार	२३८०–८१
कार्य मंत्रणा समिति--	
छियासठवां प्रतिवेदन	२३८१
कच्चे पटसन की कमी के बारे में चर्चा	२३८१—८६
दैनिक संक्षेपिका	२३८७—९५
अंक १५—शुक्रवार, २५ अगस्त, १९६१/३ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२४ से ९३५	२३९७—२४२०
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ९३६ से ९७९	२४२०—३९
अतारांकित प्रश्न संख्या २३५७ से २५०२, और २५०४ से २५१२	२४३९—२५०२
निधन संबंधी उल्लेख	२५०३–०४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	२५०४–०५
उत्तर प्रदेश में बाढ़	२५०५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२५०५
सभा का कार्य	२५०६
श्री करांजिया को जारी किये गये समन के बारे में	२५०६,४०—४३
कार्य मंत्रणा समिति--	
छियासठवां प्रतिवेदन	२५०६–०७

विषय	पृष्ठ
आय कर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२५०७—१५
खंड २ से १२ .	२५१५—२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्तासीवां प्रतिवेदन	२५२१
सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सेवा में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध के बारे में संकल्प . .	२५२१—२५
पटसन का मूल्य निर्धारण करने के बारे में संकल्प तथा कच्चे पटसन की कमी के बारे में चर्चा .	२५२५—४०
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में संकल्प .	२५४०
दैनिक संक्षेपिका	२५४४—५३
अंक १६—सोमवार, २८ अगस्त, १९६१/६ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८२, ९८४, ९८६, ९८७, ९८९, ९९१, ९९३, ९९५ से ९९९ और १००४ से १००८ .	२५५५—८३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८३, ९८५, ९८८, ९९०, ९९२, ९९४, १००० से १००३ और १००९ से १०१६ .	२५८४—९१
अतारांकित प्रश्न संख्या २५१३ से २६२३ .	२५९१—२६४०
संत फतह सिंह के साथ बातचीत के बारे में वक्तव्य .	२६४०—४३
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . .	२६४३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	२६४४
दिल्ली में मकानों के गिरने से कथित मृत्यु	२६४४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६४४
राज्य सभा से संदेश .	२६४४
विशेषाधिकार	२६४५, ७२–७३
धार्मिक न्यास विधेयक .	२६४५
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना .	२६४५
विधेयक पुरस्थापित—	
१. समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक	२६४५
२. उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक . .	२६४६

आय कर विधेयक . . . २६४६--६९

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में

खंड १३ से २९८ और अनुसूची १ से ५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२ . . २६६९--७२

बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . २६७३--८४

दैनिक संक्षेपिका . . . २६८५--९१

अंक १७--मंगलवार, २९ अगस्त, १९६१/७ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०१६क, १०१७ से १०२४, १०२६, १०२७, १०२९, १०३१ और १०३५ से १०३७ . . २६९३--२७१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०२५, १०२८, १०३०, १०३२ से १०३४ और १०३८ से १०४४ . . . . २७१४--२१

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२४ से २६५० और २६५२ से २७५१ . २७२१--७५

स्थगन प्रस्ताव--

प्रसाद नगर के निवासियों की झोंपड़ियों के गिराने के बारे में नोटिसों का दियाजाना २७७६--७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २७७७

तेल परियोजनाओं के बारे में ई० एन० आई० से बातचीत के बारे में वक्तव्य २७७७--७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पूर्व सूचना के बारे में २७७८

श्री करांजिया की भर्त्सना २७७८--७९

धार्मिक न्यास विधेयक . . . २७७९

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, १९६१--

पुरःस्थापित . . . २७७९

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२ . २७८०--९४

पंजाबी सूबे के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में चर्चा २७९४--२७२९

दैनिक संक्षेपिका . २८३०--३६

अंक १८--बुधवार, ३० अगस्त, १९६१/८ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०४६, १०४८ से १०५२, १०५५, १०५६, १०६२, १०६३ और १०६८ २८३७--६१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०४७, १०५३, १०५४, १०५७ से १०६०, १०६४ से १०६७ और १०६९ से १०९७ . .	२८६१--७८
अतारांकित प्रश्न संख्या २७५२ से २७६५ और २७६७ से २९११ .	२८७८--२९४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
मास्टर तारासिंह और योगिराज सूर्य देव की गिरफ्तारी के वारंटों का जारी किया जाना	२९४१-४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२९४२-४३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
अठास्सीवां प्रतिवेदन	२९४३
सदस्य द्वारा त्यागपत्र . . .	२९४३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२ .	२९४३--४८
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव .	२९४८--७३
बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	२९७३--९३
दैनिक संक्षेपिका	२९९४--३००३
अंक १९--गुरुवार, ३१ अगस्त, १९६१/९ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०९८, ११०१, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ और १११५ से १११७	३००५--२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०९९, ११००, ११०२ से ११०५, ११०७, १११०, १११९, १११३, १११४ और १११८ से ११२७	३०२६--३६
अतारांकित प्रश्न संख्या २९१२ से ३००० और ३००३ से ३००८ .	३०३६--७६
अविश्वास का प्रस्ताव	३०७६--७८
पटल पर रखे गये पत्र . .	३०७८-७९
कुछ अंशों का निकाल दिया जाना	३०७९
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--	
पच्चीसवां प्रतिवेदन	३०८०
विधेयक पुरस्थापित--	
(१) जमा धन बीमा निगम विधेयक .	३०८०
(२) विनियोग (संख्या ४) विधेयक	३०८०

विषय	पृष्ठ
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३०८०—९३
खंड २ से ४ और १	३०९८
पारित करने का प्रस्ताव	३०९८—३१०६
समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक—	
विचार करने के प्रस्ताव . . .	३०९४—९७
खंड १ और २	३०९७
पारित करने का प्रस्ताव	३०९८
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . .	३१०६–०७
प्रवर समिति द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	३१०६–०७
भारत के खेतिहर मजदूरों के बारेमें दूसरी जांच के प्रतिवेदन संबंधी प्रस्ताव	३१०७—१९
मदुरै में बस और रेलगाड़ी की टक्कर के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३११९—२२
दैनिक संक्षेपिका	३१२३—२९
अंक २०—शुक्रवार, १ सितम्बर, १९६१/१० भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ से ११३०, ११३४ से ११३८, ११४१ से ११४४, ११४६, ११४८, ११४७	३१३१—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३१ से ११३३, ११३९, ११४०, ११४५ और ११४९ से ११५७	३१५४—६०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३००९ से ३१३४, ३१३६ से ३१४४ और ३१४६ से ३१४९	३१६०—३२१७
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	३२१७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
आसाम से कुछ मुसलमानों का कथित निकाला जाना . .	३२१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३२१८
सभा का कार्य	३२१९–२०
गन्ना उपकर (वैधकरण) विधेयक—पुरस्थापित . . .	३२२०
विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६१—पारित . . .	३२२१
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३२२१—३४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अठ्ठासीवा प्रतिवेदन	३२३४

विषय	पृष्ठ
सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक (धारा ५ का संशोधन)--(श्री ले० अचौ० सिंह का)--पुरःस्थापित	३२३४
खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण विधेयक (श्री झूलन सिंह का)--वापस लिया गया--	
विचार करने का प्रस्ताव	३२३४--३९
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री नरसिंहन् का)-- परिचालित करने का प्रस्ताव	३२३९--४१
धार्मिक पूजा स्थानों का प्रत्यावर्तन विधेयक (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का)-- विचार करने का प्रस्ताव . .	३२४१--६२
दैनिक संक्षेपिका	३२६३--७०

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न मे किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

GMGIPND--LS III--1210 (Ai) LS--10-10-61--125.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक सभा

सोमवार, २८ अगस्त, १९६१

६ भाद्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कांगो के लिये भारतीय सैनिक

†*९८०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री वाजपेयी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अमजद अली :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगो में और अधिक सैनिक भेजने के लिये सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ से और कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां):** (क) जी हां।

(ख) प्रार्थना विचाराधीन है। परन्तु प्रार्थना मिलने के बाद कांगो में अब नई सरकार बन जाने के कारण अब यह प्रश्न विचाराधीन है कि क्या संयुक्त राष्ट्र को कांगो में और सेनायें भेजनी चाहिये ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** कांगो में इस समय कितने भारतीय सैनिक हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं समझता हूं कि अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों समेत यह ५००० हैं। उनमें अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी भी बहुत हैं ।

---

†मूल अंग्रजी में

1196AiLSD—1

†**श्री हेम बरुआ:** क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र की कमान में भारतीय सैनिकों के १६ विमान कटंगा की सेनाओं से हथियार डलवाने के लिये वहां गये थे ; और यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं बड़ी नम्रता से बताना चाहता हूं कि मैं नहीं समझ पाता कि अपनी प्रतिक्रिया के बारे में प्रश्नों का क्या उत्तर दू । कोई भी काम कोई व्यक्ति हमारी स्वीकृति लेकर थोड़े ही करता है । हमारी उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया हो सकती है । वहां के अधिकारी केन्द्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाने के लिये कदम उठा रहे हैं । तथा कटंगा के विद्रोहियों से हथियार डलवाने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम उनके इस कार्य का समर्थन करते हैं ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर :** समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित हुए है कि हमारी सेनाओं के स्थान पर अल्जीरिया की सेनायें रखी जायेंगी, मैं जानना चाहता हूं कि हमारी सेनायें कांगो में हमारे ही कमान में रहेंगी अथवा वह संयुक्त राष्ट्र की कमान के अधीन सारे कांगो में तित्तर बित्तर करदी जायेंगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं प्रश्न समझा नहीं । प्रश्न के अन्तिम भाग के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सेनायें एक यूनिट में ही नहीं अपितु दो अथवा तीन यूनिटों में रहेंगी । वह अपने ही अधिकारियों के अधीन रहेंगी । हमने कुछ शर्तों पर उनको वहां भेजा है ।

†**श्री हेम बरुआ:** सभा सचिव ने अभी बताया कि कांगों में सरकार बन जाने के कारण संयुक्त राष्ट्र को भारतीय सेनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह भारतीय सेनाओं को वापस बुलाने जा रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** ठीक है, जब उनको वहां जरूरत नहीं होगी तो उनको वापस बुला लिया जायेगा ।

कागज बनाने की मशीनें

†*९८१. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :
श्री कोडियान : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कागज बनान की मशीनें तैयार करने के लिये भारत में एक कारखाना खोलने के सम्बन्ध में एक अमरीकी सार्थ से प्राप्त प्रस्ताव पर इस बीच विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). जी हां । उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम, १९५१ के अधीन मद्रास राज्य में कागज बनाने के कारखाने को स्थापित करने का लाइसेंस दे दिया गया है और यह कारखाना भारतीय तथा अमरीकी सहयोग से स्थापित किया जायेगा ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** माननीय मंत्री ने अभी बताया कि इस कारखाने को मद्रास राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मद्रास राज्य से कोई प्रस्ताव मिला है जिसमें उन्होंने बताया हो कि इसको कहां स्थापित किया जायेगा तथा यदि हां, तो वह कौन सा स्थान है ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री मनुभाई शाह :** प्रस्ताव का कोई प्रश्न ही नहीं है। दोनों दलों, भारतीय तथा अमरीकी ने मद्रास में एक स्थान छांटा। इसीलिये मद्रास के लिये लाइसेंस जारी कर दिया गया।

डा० गोविन्द दास : अभी सरकार के कई जगह कारखाने हैं, जैसे जबलपुर में ग्रर्डनेंस फैक्टरी है और अन्य कारखाना है जहां मोटरें वगैरह कई चीजें बनायी जाती हैं। क्या वहां इस प्रकार की मशीनरी नहीं बनाई जा सकती ? क्या इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त की गयी है ?

श्री मनुभाई शाह : मशीनरी इस तरह से नहीं बनाई जा सकती। यह तो सारा कम्पलीट प्रोजेक्ट होता है जैसे पेपर के कारखाने का है, सीमेंट के कारखाने का है शुगर के कारखाने का है। हर एक के अलग-अलग मशीन टूल और अलग-अलग टैकनालाजी होती है। जैसे और सैकड़ों कारखाने एसटेब्लिश हो रहे हैं वैसा ही यह भी एक कारखाना है।

†**श्री हेडा :** क्या प्रस्तावित कारखाने से कागज़ के उत्पादन में वृद्धि हो जाने से हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी नहीं। इससे हमारी १० से १५ प्रतिशत आवश्यकतायें पूरी होंगी। हमने अन्य ६ योजनायें स्वीकार की हैं। जिनमें से दो में उत्पादन आरम्भ हो गया है।

†**श्री कमल सिंह :** कारखानों की क्षमता क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** पांच-पांच करोड़ रुपये के मूल्य के दो कागज़ के पूरे कारखाने उप-ठेकेदारों से लेने हैं।

†**श्री कमल सिंह :** कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या है ?

†**श्री मनुभाईशाह :** ये मशीनें पूरे दो कारखानों की हैं जो प्रत्येक ५ करोड़ रुपये की हैं तथा जिनकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन ५० से १०० टन की है।

निरस्त्रीकरण वार्ता

†*९८२ { +**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनीलाल :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को निरस्त्रीकरण वार्ता फिर से शुरू किये जाने के बारे में कोई जानकारी है ;

(ख) इस विषय में यदि कोई प्रगति हुई है तो वह क्या है ; और

(ग) क्या इस विषय में भारत सरकार ने कोई पहल या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). जून, १९६० में १० राष्ट्रों के जेनेवा सम्मेलन में असफल हो जाने के बाद से निरस्त्रीकरण पर, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेम्बली में इस सम्बन्ध में सामान्य चर्चा के अतिरिक्त और भी बहुत सी कार्यवाहियां की जा रही हैं। आशा यह थी कि अमरीका तथा रूस की दोनों सरकारों के इस सम्बन्ध में एकमत हो जाने से उनकी प्रारम्भिक बातचीत के परिणामस्वरूप उनमें उच्चस्तरीय बातचीत पुनः आरम्भ हो जायेगी। इन दोनों सरकारों के प्रतिनिधि इस वर्ष जून और जुलाई में मिले थे। परन्तु बड़े पैमाने पर बातचीत करने के बारे में कोई समझौता उनसे नहीं हुआ। पिछले वर्ष प्रस्तुत विभिन्न संकल्पों पर आगामी जनरल असेम्बली के अधिवेशन में चर्चा होगी। इन पर चर्चा रूस तथा अमरीका की बातचीत के निर्णय मिलने तक लम्बित कर दी गई थी।

(ग) जनरल असेम्बली में लम्बित एक संकल्प भारत का है। उसमें दोनों देशों से बातचीत पुनः आरम्भ करने के लिये कहा गया है तथा उसमें सामान्य निदेश भी बताये गये हैं। सरकार का विचार है कि इस संकल्प को स्वीकार करने पर बल देगी परन्तु अब तथा जनरल असेम्बली में विवाद के कारण इस सम्बन्ध में हुई प्रगति पर भी भारत ध्यान रखेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या हमारे शिखर सम्मेलन कराने के प्रयत्न भी निरस्त्रीकरण वार्ता को पुनः आरम्भ कराने के सम्बन्ध में हैं? यदि हां, तो पश्चिमी शक्तियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी हां।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : पश्चिम शक्तियों की क्या प्रतिक्रिया है?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हमें दूसरे लोगों की प्रतिक्रिया की जानकारी नहीं है। हम केवल अन्दाजा लगा सकते हैं।

अल्युमिनियम कारखाने

\+

†*९८४. { **श्री कुन्हन** : **श्री प्र० चं० बरुआ** :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त अल्युमिनियम कारखाने खोलने के कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन जगहों पर?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

हंगरी के साथ सहयोग से सरकारी क्षेत्र में प्रति वर्ष २५००० टन अल्युमिनियम बनाने की एक परियोजना बनाई गई है। इसके सम्बन्ध में जांच की जा रही है और हंगरी सरकार ने दीर्घ-

---

†मूल अंग्रेजी में

कालीन रुपया भुगतान ऋण देना स्वीकार कर लिया है। इसके अतिरिक्त सरकार को उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम, १९५१ के अधीन गैर-सरकारी क्षेत्र से तीसरी योजना अवधि में अल्युमिनियम की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना के आवेदन-पत्र भी मिले हैं :—

१. हिन्दुस्तान अल्युमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, रिहांद में अल्युमिनियम स्मैल्टर के विस्तार के लिए जिससे क्षमता २०,००० से ५०,००० टन वार्षिक हो जाये।

२. श्री मुरारजी जे० वैध, बम्बई। अमरीका के रैनाल्डस् के टैक्नीकल तथा वित्तीय सहयोग से मैसूर राज्य में ३०,००० टन वार्षिक का अल्युमिनियम स्मैल्टर स्थापित करने के लिए।

३. मैसर्स जे० के० इंडस्ट्रीज़ (पी०) लिमिटेड कलकत्ता, स्विस सहयोग से मध्य प्रदेश में २०,००० टन वार्षिक का अल्युमिनियम स्मैल्टर स्थापित करने के लिए।

आवेदन-पत्रों पर विचार हो रहा है।

†**श्री कुन्हन :** क्या तीसरी योजना में केरल में अल्वाई के अल्युमिनियम कारखाने की क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव मिला है तथा यदि हां, तो उसके लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** एक प्रस्ताव है। कनाडा अल्युमिनियम कारखाना, केरल अपनी क्षमता दुगनी करना चाहता है। प्रस्ताव के वास्तविक आंकड़ों की प्रतीक्षा की जा रही है।

†**श्री च० द० पांडे :** यद्यपि दूसरी योजना में लक्ष्य ८३,००० टन निर्धारित किये गये थे परन्तु निर्माण केवल २७,००० टन का हुआ। इस आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को १९६५ अथवा १९६६ तक लक्ष्य पूरे हो जाने की आशा है।

†**श्री मनुभाई शाह :** मेरे माननीय मित्र ने द्वितीय योजना में स्थापित क्षमता बताई है। जैसाकि मैंने विवरण में बताया, तीसरी योजना में हंगरी के सहयोग से सरकारी क्षेत्र की परियोजना आरम्भ की जा रही है। इसके अतिरिक्त तीन और प्रस्ताव हैं जिनके द्वारा तीसरी योजना के लक्ष्य से भी अधिक उत्पादन होने की आशा है।

†**श्री आसर :** महाराष्ट्र के कोयना, चिपलुन के निकट एक अल्युमिनियम कारखाना बनाने का प्रस्ताव था। उसका क्या हुआ ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कोयना परियोजना बन रही है। इसको दूसरी योजना के लिए स्वीकार किया गया था। इसको तीसरी में शामिल नहीं किया गया है। एक ऐसी पार्टी को लाइसेंस दिया गया है जो उचित सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है। शीघ्र ही शर्तें तय होने वाली हैं। परन्तु उनकी क्षमता को स्वीकृति दे दी गई है तथा लाइसेंस स्वीकार कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिक्किम के महाराजकुमार की यात्रा

†*९८६. { श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री न० रा० मुनिस्वामी : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम के नागरिकता कानून तथा निर्वाचक नामावलियों के बारे में अभी हाल में सिक्किम के महाराजकुमार तथा भारत सरकार के बीच बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) उनके साथ और किन-किन विषयों पर बातचीत हुई और क्या निर्णय किये गये ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां । सिक्किम नागरिक विनियमन पर जून, १९६१ में बातचीत हुई थी ।

(ख) इस नियम की उद्घोषणा हिज़ हाइनैस महाराजा सिक्किम ने ३ जुलाई, १९६१ को की थी ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जून १९६१ में सिक्किम के महाराजकुमार के साथ निम्न विषयों पर बातचीत हुई थी ।

१. सिक्किम नागरिक विनियम

इन नियमों को सिक्किम सरकार ने सिक्किम के नागरिकों की प्रतिष्ठा की परिभाषा करने तथा ऐसी प्रतिष्ठा के अर्जन तथा नष्ट होने की व्यवस्था करने के लिए विधान का रूप दिया । यह सिक्किम सरकार का आन्तरिक मामला है परन्तु इस मामलेमें भारतप्सरकार का परामर्श लिया गया था क्योंकि सिक्किम के नागरिक भारतीय संरक्षित व्यक्ति हैं और इसीलिए भारतीय नागरिकों के कुछ अधिकारों के वे अधिकारी हैं । महाराजकुमार से विनियम के इसी पहलू पर बातचीत हुई थी ।

२. सिक्किम में सड़कें

महाराजकुमार ने भारत सरकार को बताया कि उनका लोक निर्माण विभाग केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रबन्धित कुछ सड़कों का प्रबन्ध करने की स्थिति में है । बातचीत के बाद भारत सरकार ने कुछ सड़कों की देखभाल का काम सिक्किम लोकनिर्माण विभाग को सौंप दिया ।

३. तिब्बती शरणार्थी

महाराजकुमार ने कुछ सौ तिब्बती शरणार्थियों को पश्चिम तिब्बत में बसाने का प्रस्ताव किया । भारत सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और सिक्किम दरबार से अनुरोध किया कि वह उनको बसाने की योजना बनाये । महाराजकुमार से चर्चा के बाद सिक्किम दरबार ने सिक्किम में

---

†मूल अंग्रेजी में

तिब्बती शरणार्थियों के सम्बन्ध में सहायता कार्यों के लिए एक समिति स्थापित की। भारत सरकार ने अपने व्यय पर सहायता समिति की सहायता के लिए कुछ प्रशासनिक कर्मचारी देना स्वीकार कर लिया है।

४. महल के रक्षक

महाराजकुमार ने अनुरोध किया कि सिक्किम में महल के रक्षकों की संख्या बढ़ा दी जाये। भारत सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि यदि अनुरोध मिला तो वह भरती के मामले में सहायता करेगी और भारतीय सेना अधिकारियों को रक्षकों की दो कम्पनियों की कमान, प्रशिक्षण तथा यांत्रिक व्यवस्था करने के लिए देगी। बारी बारी से एक कम्पनी महल की रक्षा के लिए रहेगी और दूसरी सीमा सुरक्षा काम के लिए सिक्किम के भारतीय सेना से सम्बद्ध रहेगी।

५. विकास योजना

महाराजकुमार से योजना आयोग की सहायता से सिक्किम दरबार द्वारा बनाई गई दूसरी सिक्किम योजना (१९६१--६६) पर बातचीत हुई। बातचीत के बाद भारत सरकार ने योजना की क्रियान्विति में सहायता देने के लिए कुछ अधिकारियों की सेवायें देना स्वीकार कर लिया। तारांकित प्रश्न संख्या ८७९ के उत्तर में योजना के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया था।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच है कि नागरिक बनने के लिए सिक्किम में १५ वर्ष तक रहना आवश्यक है ? इसका चुनाव विधियों पर क्या असर पड़ेगा क्योंकि सभा पटल पर रखे गये विवरण में इसका कोई जिक्र नहीं है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : सभी नागरिकों को मताधिकार है। इसलिए १५ वर्ष की अर्हता का मताधिकार पर प्रभाव पड़ता है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच नहीं है कि सिक्किम के ७० प्रतिशत लोग नैपाली हैं ? इस कानून का उन पर क्या असर पड़ेगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इसमें नागरिकता के बारे में नियम हैं। जो भी सिक्किम में रहता है तथा नियम की उद्घोषणा के समय उसको वहां रहते हुए १५ वर्ष हो गये हैं तो वह वहां का नागरिक है। नैपालियों पर इसका इतना असर पड़ता है कि यदि वह इसकी उद्घोषणा से १५ वर्ष पहले से वहां रहते हैं तो उनको नागरिकता के अधिकार तथा मताधिकार मिल जायेंगे।

†**श्री रंगा** : यह उद्घोषणा कब हुई थी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं मूल उत्तर में बता चुकी हूं कि ३ जुलाई, १९६१ को।

†**श्री रंगा** : क्या सिक्किम सरकार अपने नियम स्वयं बना सकती है तथा भारत सरकार केवल सलाह मांगे जाने पर सलाह ही देती है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : वह कोई भी कानून बना सकते हैं। वह कभी कभी हमारा परामर्श लेते हैं और हम अपना परामर्श दे देते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या कोई निश्चित सिद्धान्त बनाया गया है और क्या इस विषय पर कोई निश्चित परामर्श दिया गया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** यह विनियमों में स्पष्टतः बताया गया है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या अन्य बातों के साथ साथ रूसी नक्शों में सिक्किम को स्वतंत्र राज्य दिखाने के बारे में भी सिक्किम के महाराजकुमार से बातचीत हुई थी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जी, नहीं । सिक्किम संरक्षित राज्य है । एक करार के द्वारा हमारे उनके सम्बन्ध स्थापित हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इस पर भी बातचीत हुई थी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जी नहीं ।

"चेन लेटर्स" योजनायें

+

†*९८७. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा चलायी गयी चैन 'लेटर्स" योजनाओं को निरुत्साहित करने के लिये सरकार ने एक परिपत्र जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या समवाय अधिनियम के अधीन पहले ऐसी कोई कम्पनियों का पंजीकरण किया गया था ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, हां ।

(ख) राजस्थान में तीन कम्पनियां पंजीकृत हुई थीं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस को डिसकरेज क्यों कर रही है ?

†**श्री कानूनगो :** क्योंकि इन योजनाओं का अन्तिम परिणाम धोखेबाजी है ।

भूटान का विकास

+

†*९८९. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अमर सिंह डामर :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
श्री मैमूना सुल्तान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो भारतीय प्रविधिक दल अभी हाल भूटान गया था क्या उसने भूटान के विकास के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें और विकास के प्राक्कलन क्या हैं; और

(ग) इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी, हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भूटान सरकार के साथ चर्चा के बाद योजना आयोग प्रविधिक दल ने जिन श्रेणियों की परियोजनाओं की सिफारिश की, वे श्रेणियां और प्रत्येक के आग दिखाया गया प्रत्याशित खर्च नीचे के विवरण में बताया गया है :—

विकास का शीर्ष	अनुमानित खर्च १९६१—६६ (लाख रुपये)
पशु पालन तथा वन विज्ञान सहित कृषि कार्यक्रम	९८.४
बिजली	३३.५
उद्योग और खनन	१३२.०
सड़कें तथा सड़क परिवहन सहित परिवहन	११९५.६
समाज सेवाएं (लोकस्वास्थ्य, शिक्षा आदि)	२६४.६
विविध (प्रतिष्ठान प्रभार, सांस्कृतिक कार्य इमारतें आदि)	२३.०
कुल	१७४७.१

(अर्थात् लगभग १७.५ करोड़ रूपया)

(ग) भारत सरकार और भुटान सरकार ने प्रविधिक दल की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं। करीब १७.५ करोड़ रुपये तक की आवश्यक तिथि १९६१—६६ की अवधि में अनुदान के तौर पर भूटान सरकार को दी जायेगी।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो साढ़े १७ करोड़ रुपये भारत सरकार की ओर से ग्राण्ट के रूप में दिये जायेंगे तो क्या भूटान की सरकार की ओर से भी इसमें कुछ रकम लगाई जा रही है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अपनी ओर से कुछ न कुछ तो व करते ही हैं लेकिन जाहिर है बहुत बड़ा काम उठाने की गुजाइश वहां उनके पास नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह जो सहायता स्वीकार की गई है इसकी विस्तृत बातें कि कितने वर्ष में कितना रुपया खर्च किया जायगा यह भी तय किया जायेगा और क्या यह भी मालूम है कि इस वर्ष कितना रुपया खर्च किया जायगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं समझा नहीं।

श्री भक्त दर्शन : मेरा मतलब यह है कि अभी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने बतलाया कि अगले पांच वर्षों में साढ़े १७ करोड़ रुपये खर्च होंगे तो क्या यह भी तय हुआ है कि इस चालूवर्ष में इस सम्बन्ध में कितना रुपया खर्च किया जायेगा ?

†मूल अंग्रेजी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : साहब यह जो रुपया दिया हुआ है यह कोई हवा में एक रकम नहीं है बल्कि खास योजनाओं के लिये दी हुई है । एक बड़ी रकम इसमें से सड़क बनाने के वास्ते है । सड़क, पुल वगैरह बनाने के वास्ते सबसे बड़ी रकम रक्खी गई है बाकी रकम और अन्य कामों के वास्ते है जो कि करने निश्चित हुए हैं ।

†**डा० रामसुभग सिंह :** दो साल से कुछ पहले भारत सरकार ने जल ढाका बिजली परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में भूटान सरकार के साथ करार किया था । क्या उस काम में शीघ्रता की जायेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे याद नहीं है । मुझे मालूम करना होगा ।

†**श्री प्र० गं० देव :** डाकखाने खोलने के लिये भूटान सरकार को कितनी सहायता दी जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** ये अलग अलग मामले हैं । कुल रकम पहले ही बतायी जा चुकी है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे अभी ठीक ठीक मालूम नहीं लेकिन दो या तीन साल पीछे तक भूटान में कोई डाक व्यवस्था नहीं थी । महत्वपूर्ण पत्र एक जगह से दूसरी जगह वाहक ले जाया करते थ । भारत में चिट्ठियां भेजने के लिये, भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उस पर डाक टिकट लगाया जाता था । उस स्थिति का सामना करने के लिये वही एक प्रभावोत्पादक मार्ग था । मैं नहीं जानता कि क्या सुधार किये गये हैं लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ सुधार किये गये हैं ।

†**श्री रंगा :** भारत और भूटान के बीच जो सड़क बनायी जाने वाली है और जो शुरू भी कर दी गयी है वह कितने जल्दी पूरी हो जायेगी ?

†**श्री सादत अली खां :** सर्वोच्च प्राथमिकता सड़क संचार को दी गयी है । अगले पांच साल में १० करोड़ रुपये की लागत से करीब ५०० मील सड़क बनाने का विचार है । सड़क संचार ठीक हो जाने पर सड़क परिवहन प्रणाली भी चालू की जायगी । आशा है कि उससे भूटान सरकार की आमदनी बढ़ जायेगी ।

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि भूटान सरकार द्वारा बनाये गये कुछ कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता हम देते हैं, उस कार्य की लेखा परीक्षा कौन करता है? वह हम करते हैं या वे करते हैं ?

†**श्री सादत अली खां :** हमने एक प्रविधिक दल भेजा था । उसने हमें एक रिपोर्ट दी है । भूटान सरकार के साथ इस विषय पर चर्चा हुई थी । यह एक संयुक्त उद्यम है ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को देखते हुए कि.....

†**अध्यक्ष महोदय :** वह सुझाव का विषय है । माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं कि चूंकि हम १० करोड़ रुपया दे रहे हैं हमें सम्पूर्ण शासन अपने हाथ में ले लेना चाहिये । माननीय सभा सचिव कहते हैं कि वह दोनों के बीच एक करार है ।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि चूंकि कुछ परियोजनाएं, जैसे जल ढाका परियोजना, कार्यान्वित नहीं की गयी हैं, उनकी लेखा परीक्षा कौन करता है । फिर यह चीज भी है कि काम में प्रगति कितनी हुई है । क्या हमें उस के बारे में कोई जानकारी या कल्पना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय:** उसमें कितनी प्रगति हुई है, यह प्रश्न का भाग नहीं है। जहां तक इसका सम्बन्ध है कि वह कौन करता है, तो वह दोनों की सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण से यह अन्दाजा लगता है कि यह जो रुपया मंजूर किया जा रहा है यह भूटान की विकास योजनाओं के लिये है, तो क्या यह बतलाने की कृपा की जायगी कि भारत को भूटान से जोड़ने वाली जो सड़क बनाने का काम था और जो पिछले दिनों तक खत्म नहीं हुआ था क्या वह पूरा हो गया है और अगर अभी भी पूरा नहीं हुआ है तो क्या उसको पूरा करने के हेतु तेजी लाई जा रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : बहुत कुछ पूरा हो गया है और बहुत कुछ अभी बाकी है।

दंडकारण्य में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का बसाया जाना

+

†*६६१. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री सूपकार :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य क्षेत्र में साफ किये गये स्थानों पर पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों को बसाने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उन्हें बसाने का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसमें कितनी कमी रही ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) से (ग). १ फरवरी, १९६१ से ३० जून, १९६१ तक की अवधि के लिये दण्डकारण्य परियोजना सम्बन्ध में दिनांक १४ अगस्त, १९६१ के प्रगति विवरण की ओर ध्यान दिलाया जाता है। यह विवरण १७ अगस्त, १९६१ को इस सभा के सदस्यों में बांट दिया गया था।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** रिपोर्ट में यह बताया गया है कि निर्धारित कार्यक्रम में ७५ प्रतिशत कमी रही। अब इस बात के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि खेती योग्य बनाया गया क्षेत्र फिर बरबाद और दलदल वाला न हो जाय और क्या ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है कि जब तक लोग बसने के लिये दण्डकारण्य में नहीं आते तब तक उन क्षेत्रों को पट्टे पर दे दिया जाय ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** केवल पश्चिम बंगाल से विस्थापित व्यक्तियों के दंडकारण्य जाने के मामले में ही कमी रही है। आशा है कि हर महीने ५०० परिवार जायेंगे। अभी औसत सिर्फ १५० है और उससे एक तरह से यह योजना कार्यान्वित के लिये आदमियों की कमी हो गयी है। जहां तक खेती योग्य बनायी गयी जमीन का संबंध है, हमारे पास अनेक परिवार हैं जिन्हें हम वह जमीनें दे सकते हैं। इस बात की सावधानी बरती जायगी कि जमीन फिर जंगल न बन जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या यह सच नहीं है कि हमारे अत्यधिक प्रयत्न के बावजूद पुनर्वास में कमी ७५ प्रतिशत से अधिक है क्योंकि निर्धारित ५०० परिवारों में से १७० परिवार ही आये हैं। यदि शरणार्थी वहां नहीं जाते तो क्या कोई वैकल्पिक प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** आशा है कि बंगाल में राजनैतिक स्थिति अगले कुछ महिनों में थोड़ी बहुत सुधर जाने के बाद शरणार्थी लोग शिविरों से दंडकारण्य जायेंगे ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** चूंकि अब शिविरों के शरणार्थी वहां नहीं जाना चाहते तो क्या शिविरों में न रहने वाले शरणार्थियों की प्रतिशत संख्या अब बढ़ जायगी ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैं माननीया सदस्या को पहले ही उत्तर भेज चुका हूं । हमने १० प्रतिशत निर्धारित किया था जिसमें अब खेतिहर भी शामिल हैं। शिविरों में न रहने वाले शरणार्थियों के लिये इस १० प्रतिशत का भी पूरा पूरा लाभ नहीं उठाया गया है । मैं यह भी बता दूं कि मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के बारे में कोई बड़ा नीतिविषयक निर्णय करने में उन दो राज्य सरकारों से भी परामर्श करना होगा है । अभी कोटा १० प्रतिशत से अधिक बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** पश्चिम बंगाल से छोटे उद्योगों को दंडकारण्य में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था । लेकिन उस समय मंत्रालय की नीति यह थी कि इतने अधिक गैर-शिविर शरणार्थी न हों । अब चूंकि उसमें कुछ ढिलाई की गयी है, क्या उन्होंने इस विषय पर विचार किया है कि दूसरे लोग भी वहां जाना चाहते हैं और छोटे उद्योग स्थापित करना चाहते हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** भारत और दंडकारण्य स्वतंत्र है । हमें इस पर आपत्ति नहीं है कि कोई वहां जाये और उद्योग स्थापित करे । यदि मुझे पश्चिम बंगाल से उद्योग ले जाने हों तो उस विषय पर पुनर्वास उद्योग निगम को विचार करना होगा । दंडकारण्य प्राधिकार और निगम, दोनों के अध्यक्ष एक ही हैं, श्री सुकुमार सेन ।

बर्मा में भारतीयों पर निर्बन्धन

+

†*९९३. श्री आसर :
श्री वाजपेयी :
श्री सुब्बय्या अम्बलम् :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अरविन्द घोषाल :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री हेम बरुआ :
श्री अजित सिंह सरहदी :
डा० सामन्त सिंहार :
श्री मं० र० कृष्ण :
श्री अमर सिंह डामर :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री तंगामणि :

†मूल अंग्रेजी में

श्री मोहन स्वरूप :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को रुपया भेजने के मामले में बर्मा में भारतीय राष्ट्रजनों पर कोई निर्बन्धन लागू किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ;

(ग) नये निर्बन्धनों से कितने भारतीय राष्ट्रजनों पर संभवतः असर पड़ेगा ;

(घ) क्या सरकार ने बर्मा सरकार के साथ इस विषय पर बातचीत की है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उत्तर मिला है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी हां ।

(ख) बर्मा सरकार ने २१ जून, १९६१ को भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा भारत में मनीआर्डर भेजने पर रोक लगा दी है ।

(ग) अनुमान है कि इस आदेश से ४०,००० भारतीय राष्ट्रजनों पर असर पड़ेगा ।

(घ) जी हां ।

(ङ) २१ अगस्त, १९६१ से मनीआर्डर भेजना चालू करने के लिये बर्मा सरकार ने अपना निश्चय सरकारी तौर पर हमारे राजदूत को बता दिया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि अभी हाल में बर्मा सरकार ने ये निर्बन्धन ढीले कर दिये हैं और वह यह चाहती है कि वहां रहने वाले भारतीय राष्ट्रजन इस बात के लिये कि यहां रहने वाले कुछ लोग वास्तव में उनके परिवार के सदस्य हैं, इस देश में जिला मजिस्ट्रेटों से प्रमाणपत्र प्राप्त करें और यदि हां, तो क्या हमने इस प्रक्रिया की कठिनाई पर विचार किया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : वह हमेशा ही किया गया है । भारत में रुपया भेजने की अनुमति उसी समय दी जाती है जब संबंधित व्यक्तियों के आश्रितों या संबंधियों की संख्या के बारे में उस जिले के जिलाधीश से जानकारी मिल जाती है । इसलिये वह निर्बन्धन हमेशा ही रहा है । यह मंज़ूर किया जा चुका है और इसी के आधार पर रुपया भेजा जाता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : इसमें कठिनाई यह है कि केवल परिवार के सदस्यों को ही रुपया भेजा जा सकता है । परिवार के सदस्य ४ या ५ से अधिक नहीं होते । फिर दूसरे आश्रित भी होते हैं जैसे बुठी मां, बाप, विधवा बहन । मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि ये कठिनाइयां

. . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : पश्चिमी देशों के अनुसार परिवार केवल स्त्री और बच्चों तक ही सीमित होता है । उसमें मां बाप शामिल नहीं होते । वह यह जानना चाहते हैं कि दूसरे आश्रितों का क्या होता है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : इसकी व्याख्या बर्मी प्रथाओं के अनुसार, न कि भारतीय तथा पश्चिमी प्रथा के अनुसार की जानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हेम बरूआ :** चैम्बर्स शब्दकोष के अनुसार, न कि किसी दूसरे लोगों की प्रथा के अनुसार, उसका अर्थ लगाना होगा ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या यह सच है कि बर्मा सरकार रुपया भेजने की अनुमति देने से पहले भारत में आश्रितों की संख्या के बारे में कुछ प्रमाण हमेशा मांगती है ? इसमें बहुत समय लगता है और वह काफी लम्बी प्रक्रिया है। इसलिये क्या इस बात की कोशिश का कोई सवाल है कि रुपया भेजने वाले व्यक्ति के बयान की सच्चाई पर ही उसे रुपया भेजने की अनुमति दी जाये ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** अभी हाल में जो सवाल उठाया गया था वह सिर्फ बर्मा सरकार द्वारा मनीआर्डरों का भेजा जाना बन्द करने के बारे में था। वह किस तरह भेजा जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है ये कोई सवाल उठाये नहीं गये थे । हम सुविधा के बारे में या आश्रितों की संख्या के बारे में ये सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि हमारे यहां भी ऐसे नियम हैं और हम स्वत: उनका अनुसरण करते हैं । वह रोक अब हटा ली गयी है और हमें उसकी खुशी है। मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि बिना किसी प्रकार के प्रमाण के हम आश्रितों की संख्या के बारे में किसी व्यक्ति के कथन पर विश्वास करते हैं या नहीं लेकिन यह आसान बात नहीं है कि बिना किसी प्रमाण के उसके कथन पर विश्वास कर दिया जाये । फिर उसमें विदेशी मुद्रा का प्रश्न है । जिस प्रकार हम विदेशी मुद्रा के बारे में चिन्तित है उसी प्रकार बर्मा सरकार के सामने भी विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां हैं ।

राजा महेन्द्र प्रताप : मैं अभी बर्मा गया था । वहां पर बहुत से लोगों ने बहुत शिकायतें कीं कि वहां पर जो हमारे प्रतिनिधि हैं, यानी राजदूत इत्यादि हैं, वे उनके साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करते । शंघाई से भी कल एक खत आया है । वह कहते हैं कि पहले जो अंग्रेज अफसर होते थे वह इतनी बुरी तरह से उन के साथ बर्ताव नहीं करते थे । क्या सरकार इस तरफ ध्यान देगी ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : जी हां, मुझे इसको सुन कर अफसोस हुआ है । सरकार जरूर ध्यान देगी कि क्या वाक्या है ।

†**श्री रंगा :** क्या भेजे जाने वाले कुल रुपयों की कोई उच्चतम सीमा है या कोई व्यक्ति इस ओर सभी या अपने कुछ ही वैध संबंधियों को भिन्न भिन्न रकमें भेज सकता है ? क्या यह सच नहीं है कि यह पूछताछ और नियम पहले भी थे और बर्मी अधिकारियों को पहले भी प्रमाणपत्र दिये जाते थे ?

†**श्री सादत अली खां :** एक भारतीय अधिक से अधिक २० रुपये, एक महीने में मनीआर्डर से भेज सकता है ।

†**श्री रंगा :** सभी संबंधियों को एक साथ या प्रत्येक को ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** एक व्यक्ति सिर्फ २० रुपया भेज सकता है ।

†**श्री रंगा :** क्या पहले भी यह प्रमाणपत्र मांगा जाता था या यह शर्त अभी ही लागू की जा रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जी नहीं, यह कोई नया निर्बन्धन नहीं है । वह इस कारण रोक दिया गया था कि मनीआर्डर कमीशन बढ़ा दिया गया था और उन्होंने उस वृद्धि पर आपत्ति की । वह अब वापस ले ली गयी है । बाकी सब बातें १९५८ से चालू है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा :** क्या यह सच नहीं है कि वहां हमारे लोगों की बचत से खरीदा गया माल बर्मा से भारत भेजने पर कोई निर्बन्धन लगाये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह केवल नकद के लिये या माल के लिये भी लागू होता है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है ।

†**श्री सादत अली खां :** हमें उस प्रश्न की सूचना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इस बात की छूट है कि बर्मा में की गई बचत से हमारे लोग वहां माल खरीदते जांय और फिर उन लोगों को यहां रुपये में भुगतान किया जाये ?

†**श्री रंगा :** उसमें विदेशी मुद्रा का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शायद उस विषय पर विचार किया जा चुका है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या बर्मा सरकार ने ये निर्बन्धन सभी प्रकार के विदेशी राष्ट्रजनों पर लगाये हैं या केवल भारतीय राष्ट्रजनों पर ही लगाये हैं ? यदि वे केवल भारतीयों के लिये ही हों, तो हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के बावजूद यह भेदभाव क्यों बरता जा रहा है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** कोई भेदभाव नहीं है । वे कानून समान रूप से सभी पर लागू होते हैं ।

†**डा० सुशीला नायर :** कुछ विधवाएं जिनके पति बर्मा में मर चुके हैं भारत में चली आयी हैं । उनका सारा रुपया पैसा और सम्पत्ति बर्मा में है । क्या उसे वहां बिकवा कर भारत में उसका दाम उन्हें मिल सकता है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मुझे उस प्रश्न के लिये अलग सूचना चाहिये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या प्रत्येक प्रेषण के लिये प्रमाणपत्र आवश्यक होता है या एक स्थायी प्रमाणपत्र के आधार पर हर महीने रकम भेजी जा सकती है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** वह स्थायी प्रमाणपत्र होता है ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या पोस्टल आर्डर भेजने पर कोई प्रतिबन्ध है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** पोस्टल आर्डर और मनीआर्डर प्रायः एक जैसी ही चीज है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या ऐसी कोई स्थाई व्यवस्था हो सकती है कि एक बार प्रमाण-पत्र जारी किये जाने पर उसके आधार पर हर महीने रकम भेजी जा सके ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वह स्थायी व्यवस्था है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री पहले ही बता चुके हैं कि वह एक स्थायी व्यवस्था है ।

टायरों की कमी

*९९५. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में टायरों की कमी को देखते हुए टायर वितरण नियंत्रण आदेश लागू करना चाहती है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो सरकार उन दुकानदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही करना चाहती है जो टायरों के स्टाक जमा किये हुये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख) एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, नहीं ।

(ख) टायरों के वितरण पर कोई कानूनी कंट्रोल नहीं है । स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने नीचे लिखे उपाय किये हैं :—

(१) मांग और देशी उत्पादन के बीच की कमी राज्य व्यापार निगम के जरिये पर्याप्त आयात करके पूरी की जा रही है ।

(२) वर्तमान कारखानों को कच्चे माल का लाइसेंस देकर तथा देश में टायरों की उत्पादन क्षमदा बढ़ा कर देशी उत्पादन में वृद्धि की जा रही है ।

(३) सारे देश में टायर विक्रेता संघ बना दिये गये हैं जिससे टायरों के असली इस्तेमाल करने वालों की मांग रजिस्टर की जा सके और उन्हें नियमित समय पर सूची में दिये मूल्यों पर टायर दिये जा सकें ।

(४) सरकारी परिवहन कम्पनियों, परिवहन सम्बन्धी सहकारी समितियों तथा उन मोटर मालिकों से, जिनके पास २५ या उससे अधिक गाड़ियां हैं, हाल ही में आवेदन पत्र मांगे गये हैं जिससे वे रुपये वाले देशों से अधिक काम आने वाले सरकार के बड़े टायरों और टयूबों का सीधा आयात कर सकें ।

(५) देश में टायरों की मरम्मत करने के उद्योग को बढ़ावा देने के लिये कर्रवाई की गई है जिससे घिसे हुये टायर जो बेकार हो जाते हैं फिर से काम में लाये जा सकें ।

इन उपायों से स्थिति में सन्तोषजनक सुधार हो गया है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इस बयान में बताई गई सहूलियतों के बावजूद बाजार में टायरों के दाम दुगने और तिगने से भी अधिक हैं, खास कर ट्रक्स और हैवी व्हीकल्ज के, तो क्या सरकार इसकी रोक-थाम के लिये कुछ प्रबन्ध कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : आजकल ऐसा नहीं है और काफ़ी सस्ते दाम पर टायर बिक रहे हैं कई एक जगह तो एस० टी० सी० का स्टाक भी बेचा नहीं जा सका ।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस बयान में बतलाया गया है—

"वर्तमान कारखानों को कच्चे माल का लाइसेंस दे कर देशी उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे देशमें टायर बनाने के जो कारखाने हैं, उन की कैपेसिटी क्या है, कितने प्रतिशत की कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ।

श्री मनुभाई शाह : सदन को यह जान कर आनन्द होगा कि जब कि तीन साल पहले टायरों का प्राडक्शन ७ लाख से कम था, इस साल वह ११ लाख तक पहुंचा है। हमने नई फ़ैक्ट्रीज कायम करने के जो लाइसेन्स दिये हैं, उन से अगले तीन सालों में हमारा प्राडक्शन ३८ लाख तक हो जायगा।

श्री० म० ला० द्विवेदी : इस नये वर्ष में टायरों के कौन कौन से कारखाने खुले हैं ?

श्री मनुभाई शाह : यह सवाल इससे कवर नहीं होता है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि गुडयीयर का कारखाना यहां लागू हो गया है। कलकत्ता में एक्सपैंशन शुरू हो गया है और मद्रास में फ़ायरस्टोन और डनलप के कारखानों का एक्सपैंशन शुरू हो गया है।

भारत पाकिस्तान पुनर्वास मंत्री सम्मेलन

+
†*९९६. { **श्री प्र० गं० देव** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वं० च० मलिक :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री आचार :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाकर्स, बैंक खातों और निधियों के आदान प्रदान के सम्बन्ध में पहले कलकत्ते में किये गये करार की कार्यान्विति के ब्योरे तैयार करने के लिये जुलाई के आरंभ में नयी दिल्ली में भारतीय और पाकिस्तानी पदाधिकारियों के बीच बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला; और

(ग) आदान प्रदान कब किया जायगा ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी हां।

(ख) लाकर्स, बैंक खातों और निधियों के हस्तान्तरण का कार्यक्रम बनाया गया था।

(ग) ३० सितम्बर, १९६१ ।

†**श्री प्र० गं० देव** : कितनी भारतीय कंपनियों को अपने अपने रजिस्टर्ड आफिस पाकिस्तान से भारत लाने की अनुमति दी गई है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : हम लाकर्स तथा सुरक्षित जमा के बारे में बातचीत कर रहे हैं।

†**श्री प्र० गं० देव** : मैं उन कंपनियों के बारे में कह रहा हूं जिनके दफ्तर पाकिस्तान में हैं।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि प्रारंभिक दशा में यह निश्चय किया गया था कि यदि किसी कंपनी का मुख्य कार्यालय भारत में हो और वह पाकिस्तान में काम कर रही हो तो वह कंपनी गैर-निष्क्राम्य घोषित की जाये और

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे विश्वास है कि यदि किसी कम्पनी का मुख्य दफ्तर पाकिस्तान में हो और उसके ५१ प्रतिशत हिस्सेदार भारत में रहते हों और ४९ प्रतिशत से कम पाकिस्तान में हों तो वह कम्पनी निष्क्राम्य मानी जायेगी ।

†**श्री प्र० गं० देव** : कितनी पाकिस्तानी फर्मों को भारत सरकार द्वारा उसी प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं ? अर्थात पाकिस्तान में कितनी पाकिस्तानी फर्में हैं जिन्हें पारस्परिक सुविधायें दी गई हैं ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : भारत में कंपनियों की स्थिति पाकिस्तान की कंपनियों की स्थिति से भिन्न है । पश्चिम पाकिस्तान से सामूहिक रुप में लोग भारत आये थे और प्रायः प्रत्येक हिन्दु और सिख चला आया है । इसलिये वहां छोड़े गये हमारे परिसम्पद तथा कंपनियां जिन्हें निष्क्राम्य घोषित किया गया है, बहुत अधिक है ? उसकी तुलना में उनके द्वारा छोड़े गये परिसम्पद और उनकी कंपनियों की संख्या जिन्हें निष्क्राम्य घोषित किया गया है, संभवतः बहुत ही कम है । मैं ठीक-ठीक संख्या नहीं बता सकता लेकिन जैसा कि मैंने बताया है, वह बहुत ही कम होगी ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : इस कार्यक्रम के अधीन अब तक हस्तान्तरित की गई निधि का वास्तविक मूल्य कितना है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : इस करार में अनेक चीज़ें हैं । उदाहरणार्थ, गोला बारूद, गड़े खजाने, घरेलू चीज़ें और कई दूसरी चीज़ें हैं, करीब आठ-दस या बारह । जब तक किसी विशेष वस्तु का उल्लेख नहीं किया जाता तब तक मैं उत्तर न दे सकूंगा । लेकिन जहां तक महत्वपूर्ण वस्तुओं का सम्बन्ध है, करार पूरी तौर से कार्यान्वित नहीं किया गया है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : करार में एक बात यह थी कि पाकिस्तानी अधिकारी विस्थापित बैंकों को गैर-निष्क्राम्य घोषित करेंगे । क्या पाकिस्तान सरकार ने इसे कार्यान्वित किया है और यदि हां, तो इन बैंकों की वहां पर स्थित संपत्ति बचाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**श्री मेहर चन्द्र खन्ना** : कलकत्ते में जुलाई के आरंभ में पाकिस्तान के मंत्री जनरल शेख और मेरे बीच एक निर्णय हुआ था । उसमें यह तय हुआ था कि ये बैंक अर्थात हमारे भारतीय बैंक गैर-निष्क्राम्य घोषित किये जायेंगे ।

पाकिस्तान से भारत को परिसम्पद के हस्तान्तरण के संबंध में विनिमय नियंत्रण आदि के प्रश्न पर चर्चा दोनों वित्त मंत्रियों की बैठक में होगी और तभी उसका फैसला किया जायगा । लेकिन यदि वे बैंक पाकिस्तान में काम करना चाहते हों तो उन्हें सामान्य सुविधाएं दी जायेंगी । यदि वे पाकिस्तान से अपनी निधियां भारत वापस लाना चाहते हैं तो दोनों वित्त मंत्री प्रक्रिया के सम्बन्ध में फैसला करेंगे ।

इसी प्रकार यदि पाकिस्तान सरकार चाहती है कि कोई बैंक पाकिस्तान में काम न करे तो वह भी अन्तर्राष्ट्रीय करार अथवा उस करार के द्वारा जो लागू होता है, प्रशासित होगा ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसे कार्यान्वित किया गया है और इन बैंकों को पाकिस्तान में गैर-निष्क्राम्य घोषित किया गया है । क्या अब भी वे गैर-निष्क्राम्य हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहर चन्द्र खन्ना** : करीब एक महीना पहले इसका निश्चय किया गया था और इसलिये मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन मुझे पाकिस्तानी मंत्री से पता चला है कि वे इस निश्चय को कार्यान्वित करना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्य को केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं इस विशिष्ट पहलू के बारे में सोचूंगा और यह मालूम करूंगा कि जुलाई में मुझे दिया गया आश्वासन कार्यान्वित किया गया है या नहीं और यदि वह अभी तक न किया गया हो तो मैं उस सवाल को फिर उठाऊंगा।

†**सरदार इकबाल सिंह** : पाकिस्तान के साथ कई करार हुए हैं लेकिन उनमें से बहुत ही कम कार्यान्वित किये जा रहे हैं। पिछली जुलाई में जो फैसले या करार हुए उन्हें कार्यान्वित करने के लिये जुलाई से क्या कोई विशेष कार्यवाही की गई है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जी हां। जहां तक लाकर्स और सुरक्षित जमा का सम्बन्ध है, हमें विशिष्ट वस्तुओं के बारे में तृतीय-पक्षीय दावे प्राप्त हुए हैं। मैं यह निश्चित रूप से बता सकता हूं कि लाहौर में अपने और पाकिस्तानी अधिकारियों की पिछली बैठक में पहली कठिनाई दूर हो गई थी। लाकर्स और सुरक्षित जमा ३० सितम्बर, १९६१ तक हस्तान्तरित किये जायेंगे। इसलिये अभी एक महिना और है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या भारत में उन व्यक्तियों को, जिनके पाकिस्तान में सुरक्षित रूप से छोड़ी गई वस्तुओं की सूची है, उस हालत में कोई क्षतिपूर्ति मिलेगी जबकि उनकी जांच करने पर यह मालूम हो कि भारत में हस्तान्तरित किये जाने पर उनमें से कुछ चीजें प्राप्त नहीं हुई हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह एक काल्पनिक बात है। वह तो लाकर्स खोले जाने के बाद ही मालूम हो सकता है। हमारे पास कुंजियां हैं। जो लोग पाकिस्तान से भारत में लाकर्स मंगवाना चाहते हैं उन्होंने हमें कुंजियां भेज दी हैं। वास्तव में जिस समय ये लाकर्स हमें दिये जायेंगे उस समय उन्हें भी वहां लाहौर में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया है और ये सब लाकर्स और सुरक्षित जमा इस देश में लायी जायगी। मेरे लिये यह बताना कठिन है कि इन लाकर्स और सुरक्षित जमा में से चोरी की गयी है या नहीं, क्योंकि वह पाकिस्तान सरकार की सद्भावना और प्रतिष्ठा पर निर्भर है। मैं आशा करता हूं कि वे अब भी ठीक उसी प्रकार से होंगे जैसे पहले थे।

†**श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही** : क्या इन करारों को कार्यान्वित करने के मामले में माननीय मंत्री ने अभी हाल में पाकिस्तान सरकार के रूख में कोई परिवर्तन देखा है ?

†**श्री मेहर चन्द्र खन्ना** : मेरी बात बहुत मामूली है। यह प्रश्न प्रधान मंत्री से पूछा जाना चाहिये वह इसका उत्तर अधिक अच्छी तरह से दे सकते हैं।

†**श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही** : यह उस रकम के संबंध में है जो करार के अनुसार हमें पाकिस्तान से मिलेगी। मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या सम्मेलन के बाद पाकिस्तान का रुख कुछ बदल गया है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : भारत के प्रति पाकिस्तान के सामान्य रुख का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। हम इस संबंध में आगे बढ़ रहे हैं। अब इस बड़े प्रश्न के सम्बन्ध में तो प्रधान मंत्री ही उत्तर दे सकते हैं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या विस्थापित जाइन्ट स्टाक कंपनियों को गैर-निष्क्राम्य घोषित किया गया है और क्या वे अपने परिसम्पद बचा सकेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जाइन्ट स्टाक कंपनियों के बारे में स्थिति कुछ अनिश्चित है । हमने पाकिस्तानी मंत्री के साथ इस बारे में चर्चा की थी । बाद में सचिवालय स्तर पर भी उसकी चर्चा हुई । उनका कहना यह है कि इन जाइन्ट स्टाक कंपनियों को केवल निष्क्राम्य विधियों के अधीन ही गैर-निष्क्राम्य घोषित किये जाने का अधिकार है । यदि उनके अभिरक्षक ने गलती की है और उन्हें इस बारे में कहा जाये तो इसकी जांच पड़ताल हो सकती है क्योंकि उनके कथनानुसार इन जाइंट स्टाक कम्पनियों को निष्क्राम्य घोषित किया जाना चाहिये था । यदि उन्हें निष्क्राम्य घोषित किया गया है तो वह कानून के मुताबिक है । इस प्रश्न की और छान-बीन हो रही है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या इस बारे में कोई समझौता हो गया है कि पाकिस्तान सरकार इन जाइंट स्टाक कंपनियों को गैर-निष्क्राम्य घोषित करेगी ? यदि हां, तो क्या वह कार्यान्वित किया गया है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जो भी कुछ हम पाकिस्तान से बचा सकते हैं उसे बचाने की हम हर कोशिश कर रहे हैं । लेकिन यदि हम बहुत अधिक जोर देंगे तो जो कुछ थोड़ा बहुत हमें वहां से मिल रहा है उसकी आशा भी शायद हमें छोड़ देनी पड़े ।

ब्रिटिश नौसेना क डाक्टर की लद्दाख यात्रा

+

†*९९७. **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश नौ सेना के एक डाक्टर को, जो अपने को बौद्ध भिक्षु कहता था, लद्दाख में आने की अनुमति दे दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो वह लद्दाख में किन-किन जगहों पर गया; और

(ग) वह वहां कितने दिन रहा ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) ब्रिटिश राष्ट्रीयता वाले एक बौद्ध श्री लोबजंग जोवाका को जुलाई १९६० में लद्दाख में जाने की अनुमति दी गई थी ।

(ख) लेह और संकर गोमपा में रिजोंग मठ ।

(ग) अनुमानतः तीन महीने ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : वह डाक्टर अब कहाँ ठहरा हुआ है ?

†**श्री सादत अली खां** : मुझे पता नहीं । मैं समझता हूं कि वह लेह में नहीं है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या उसने पुनः लद्दाख जाने के लिये सरकार से अनुमति मांगी है ?

†**श्री सादत अली खां** : लम्बी अवधि के लिये ठहरने की उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई थी ।

†**श्री त्यागी** : क्या वह अभी भी ब्रिटेन की नौ सेना में हैं और केवल बौद्ध भिक्षु होने का ढोंग कर रहा है ? क्या वह वास्तव में ही बौद्ध है या ढोंग कर रहा है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री सादत अली खां** : ऐसा समझा जाता है कि यह व्यक्ति जो पहले मिकाइल मिलोव के नाम से जाना जाता था, ब्रिटेन की नौ सेना में डाक्टर था, जिसे उस ने लगभग दो वर्ष पहले छोड़ दिया था। वह १९५८ में भारत आया और सारनाथ में बौद्ध नाम धारण कर के बौद्ध धर्मावलंबी बन गया।

†**श्री प्र० गं० देव** : अब तक कितने विदेशियों को लद्दाख के अपने अग्रस्थ क्षेत्रों में जाने दिया गया है ? उन के नाम क्या थे और वे किन देशों के थे ?

†**श्री सादत अली खां** : इस के लिये पूर्व सूचना की जरूरत है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य अग्रस्थ क्षेत्रों की बात करते हैं। अग्रस्थ क्षेत्र लद्दाख क्षेत्र भिन्न है। जहां तक मुझे मालूम है वहां कोई व्यक्ति नहीं गया है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मुझे हैरानी है कि क्या सरकार इस व्यक्ति का पीछा करने में सफल रही है और यह जान पाई है कि आया वह वास्तविक बौद्ध था और बौद्ध धर्म के शास्त्रों आदि का अध्ययन कर रहा था अथवा क्या वह अन्य संदेहजनक कार्य कर रहा था ?

†**श्री सादत अली खां** : इस ख्याल से कि वह वास्तविक बौद्ध विद्वान था जो बौद्ध लेखों का अध्ययन करने को दिलचस्पी रखता था, उसे वहां जाने दिया गया था।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : हमें बताया गया था कि यह व्यक्ति लद्दाख में ठहरा, हो सकता है अग्रस्थ क्षेत्रों में न ठहरा हो। परन्तु इस क्षेत्र का बड़ा सामरिक महत्व है। वहां वह तीन महीने से अधिक ठहरा और तब चुपके से चला गया। निश्चय ही यह खोज करना सरकार का काम है कि वह भेष बदले हुए जासूस था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कोई व्यक्ति गायब नहीं हुआ। वास्तव में उसने हम से फिर दूसरी प्रार्थना की है कि उसे पुनः मठ में जाने की अनुमति दी जाए, जो विचाराधीन है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह ब्रिटिश नौ सेना का डाक्टर जो बौद्ध भिक्षु बना हुआ है इस देश के अन्य किसी मठ में गया है या वह केवल लद्दाख के मठ में गया है ? यदि बाद वाली बात है तो इस के क्या खास कारण हैं कि वह केवल लद्दाख के मठों में क्यों गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : भारत में बहुत कम अन्य मठ हैं—एक या दो दार्जिलिंग क्षेत्र में हैं। जैसा कि मा० सदस्य को विदित है, बौद्ध धर्म यहां अधिक फैला हुआ नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : वह उस क्षेत्र के ही मठों में क्यों गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : भारत के अधिकतर मठ लद्दाख में हैं और लोग वहां अध्ययन करने और उच्च दीक्षा की उपाधि लेने के लिये जाते हैं। वह सारनाथ में बौद्ध बना था। बहुत कठिन तपस्या करने के बाद वह अगली श्रेणी में पहुंचा था। काश्मीर मंत्रिमंडल के वृद्ध मंत्री श्री बकुला ने उसकी सिफारिश की थी। हम ने उसे मान लिया। वस्तु स्थिति यह है कि हमारे पास तार आया और हमें पता नहीं कि वह विदेशी है। बौद्ध नाम दिया गया था और तुरन्त उत्तर मांगा गया था। तब हमने कहा दिया "ठीक है। यदि आप उस के बारे में गारंटी देते हैं तो हम अनुमति दे देंगे।" बाद में हमें पता लगा कि वह ब्रिटेन की नौ सेना का एक सेवानिवृत डाक्टर था। हमारे पास उस के वहां ठहरने के बारे में कोई शिकायत नहीं आई।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में बड़े तापीय एकक

†*९९८. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संपूर्ण भारत में जो बड़े तापीय एकक (थर्मल यूनिट्स) अब स्थापित किये जा रहे हैं उन के सामान्य रख रखाव के लिए जरूरी मशीनी पुर्जों की स्थानीय सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) संपूर्ण भारत में इस समय स्थापित किये जा रहे ३०,०००, ५०,०००, ७५,००० और १२५,००० किलोवाट सैट तैयार करने के संबंध में भोपाल स्थित हैवी इलैक्ट्रिकल फैक्टरी की भविष्य में कोई योजना है; यदि नहीं तो क्या उस के लिए भारत को विदेशों पर निर्भर रहना होगा ;

(ग) यदि अगले कुछ वर्षों में ऐसे सेट बनाने की कोई योजनाएं नहीं हैं तो उपर्युक्त आकार के एकक चुनने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बात का विश्वास दिलाने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि भोपाल स्थित हैवी इलेक्ट्रिकल्स फैक्टरी में तैयार किये गये सैट आवश्यक प्रमाप के हों ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (घ) . एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५४]** ।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस बयान में यह लिखा है कि :

> "बिजली का सामान बनाने का पर्याप्त अनुभव रखन वाली अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति वाली एक फर्म"

उसका, इस्तेमाल किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस फर्म का नाम *क्या है,* उसको इमालुमेंट्स और रेमुनरेशन क्या दिया जायेगा और क्या प्राफिट्स में भी *उसका कुछ* हिस्सा रहेगा ?

श्री मनुभाई शाह : सदन में पहले बतलाया गया है । असोशिएटिड इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज, इंग्लैंड हमार साथ सहयोग कर रही है। करार कई बार सभा के सामने रखा जा चुका है। इन सब बातों का परीक्षण किया जा चुका है।

श्री म० ला० द्विवेदी : इस बयान में लिखा है :

> "कुछ मामलों में विद्यमान उपकरण के लिये देश के अन्दर पुर्जे बनाना लाभदायक नहीं होगा।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ भाग ऐसे भी हैं जिनका मैनुफैक्चर यहां कया जायेगा ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

श्री मनुभाई शाह : यह जो तीन कारखाने हैं उनमें १०० प्रतिशत किया जायेगा । जो सवाल है वह बहुत ज्यादा वाइड है। आजकल जो पुराने जमाने के विजली के कारखाने चलते हैं, और जो हजारों मैनुफैक्चरर्स के हैं, उनमें सब स्पेअर पार्टस बनाना शक्य नहीं हैं । उनमें थोड़े बहुत पार्टस बनाये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त राष्ट्र संघ शांति निधि

†*९९९. **सरदार इकबाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ को यह सुझाव दिया है कि दुनिया के विभिन्न भागों में आपात कालीन परिस्थितियों और संकटों के कारण स्थापित किये जाने वाले विशिष्ट मिशनों का खर्च चलाने के लिए शांति निधि रखी जाय ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य सदस्यों की क्या राय है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहले ही आरंभ किये गये शान्ति व्यवस्थापन उपायों को चलाने के लिये बित्त देने के बारे में जो मतभेद है उसको ध्यान में रखते हुए, कौन से उपाय उपयुक्त हैं इस संबंध में सामान्य प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के १५ सदस्यों के एक कार्यकारी वर्ग को सौंपा गया है जो अभी मामले का अध्ययन कर रहा है। इसके प्रतिवेदन पर आगामी महा सभा सत्र में चर्चा की जाएगी। विभिन्न सदस्यों की सामान्य स्थिति में इस बात के बारे में अन्तर है कि ये व्यय सब सदस्य राज्यों के लिये राज लेख दायित्व है और प्रत्येक मामले में पृथक और विशेष व्यवस्था की जरूरत है, परन्तु कार्यकारी दल या इसके विभिन्न सदस्य क्या ठोस प्रस्ताव दे सकते हैं, उन पर इसका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही पूरी तरह विचार किया जा सकता है।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या सरकार अब भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस मामले की पैरवी करना चाहती है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** निश्चय ही, इस पर सब सरकारें चर्चा करेंगी और इसकी पैरवी की जायेगी ।

भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों के लिये अपील न्यायालय

+

†*१००४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री तंगामणि :
श्री कुन्हन :

क्या **प्रधान मंत्री** ५ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत की भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों में पेरिस स्थित अपील न्यायालयों की जगह वैकल्पिक भारतीय निकाय स्थापित करने का निश्चय कार्यान्वित करने के लिए प्रशासनिक ब्यौरे अन्तिम रूप से तैयार कर लिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). सरकार अभी कुछ प्रशासनिक ब्यौरे का परीक्षण कर रही है और आशा है कि निकट भविष्य में अपीलीय भारतीय निकायों की स्थापना करने की व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : पेरिस में अन्तिम अपीलीय प्राधिकार की इस समय क्या वैध स्थिति हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पेरिस में ? क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं इस विषय में फ्रांसीसी विधि बतलाऊं ? मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूं, और केवल इतना कह सकता हूं कि उनको पेरिस में किसी अपीलीय प्राधिकार के सामने जाना होगा । अब हम उसे भारतीय अपीलीय न्यायालयों में बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री त्यागी** : इन राज्य क्षेत्रों के न्यायिक हस्तान्तरण का प्रश्न किस हालत में है ? क्या यह प्रश्न सामने है, क्या इसके बारे में बातचीत हो रही है या यह रखा पड़ा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह प्रश्न ऐसा है जिस पर हम समय समय पर फ्रांस सरकार को याद कराते हैं और हमें उनसे उत्तर मिलता है कि वे हमसे सहमत हैं कि यह किया जाना चाहिये, और वे करेंगे, परन्तु इस समय वे अन्य कामों में लगे हुए हैं।

†**श्री कुन्हन** : पिछले प्रश्न के उत्तर में मा० मंत्री ने यही कहा था। निर्णय को कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अर्थात् इसे न्यायिक बनान में।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समय नियत नहीं कर सकता।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार पांडिचेरी के न्यायिक हस्तांतरण के बारे में हो रहे अत्यधिक विलम्ब के पक्ष में एक भी ठोस तर्क देने में सफल नहीं हुई है, क्या सरकार फ्रांस सरकार को एक चेतावनी देने जा रही है और तिथि निश्चित कर रही है जब तक न्यायिक हस्तांतरण किया जाना चाहिये क्योंकि आज पांडिचेरी में आन्दोलन हो रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं।

†**श्री ही० न० मुकर्जी** : यह प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है और कुछ भी नहीं किया गया है। हमें उस सरकार के प्रसाद की कब तक प्रतीक्षा करनी होगी जिसने बिजरटा में इतना बुरा आचरण किया है ? सरकार हमें बतलाती है कि वह मामलें में शीघ्रता करने का प्रयत्न कर रही है, परन्तु सब्र की हद होती है, विशेषकर पांडिचरी के लोगों की।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह क्या सुझाव देते हैं ?

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या सरकार को कुछ कहना है ? अभी अभी प्रधान मंत्री ने यहां पूछे गये प्रश्न के उत्तर में "नां" कहा है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे खेद है । मुझे समझ में नहीं आता कि हम उनको याद करवाते रहने के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं। हम इस मामले पर फ्रांस से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते और यदि तोड़ भी लेते हैं, दो उस तरीके से यह हल नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** ५ मई को जब यह प्रश्न अपीलीय अदालत के बारे में पूछा गया था, हमें बताया गया था कि विलंब का एक कारण यह था कि विधि मंत्रालय, गृह-कार्य मंत्रालय, मद्रास उच्च न्यायालय आदि से परामर्श लेना था। क्या इन मंत्रालयों और मद्रास उच्च न्यायालय के मत जान लिये गये हैं या अभी यह भी किया जा रहा है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** निस्संदेह उनसे परामर्श किया गया है, परन्तु मुझे पक्का पता नहीं है कि क्या उन सबने इसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन :** इसमें कितना समय लगेगा क्योंकि जब तक ये विचार मालूम नहीं होते, हमें हरबार यही उत्तर मिलता प्रतीत होता है कि इसमें कुछ समय लगेगा? क्या इस मामले को तेज किया जा रहा है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमारे पास प्रश्न में तेजी करना काफी सरल है परन्तु दूसरे पक्ष के उत्तर में तेजी करना हमारे लिये सरल नहीं है।

श्री हेम बरुआ उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सूचना प्राप्त किये जाने की अनुमति दे सकता हूं। काफी सूचना दी जा चुकी है। मा० सदस्य चाहते हैं कि पैरवी की जाए और यह सुझाव देते हैं कि तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ :** यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है।

†**श्री तंगामणि :** विधि मंत्रालय ने इसमें १२ महीनों से अधिक समय लगाया। हमें पहले बताया गया था कि इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** हमेशा प्रतीक्षा करते रहने में सरकार को प्रसन्नता नहीं है। शिकायतें हैं। इसलिये वे इस मामले में अपना पूरा यत्न कर रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या मैं पांडिचेरी के मुख्य आयुक्त के वक्तव्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं?

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार

†*१००५. **श्री चुनी लाल :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री कुन्हन :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १४ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के तरीकों की छानबीन करने और उसे दूर करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किन उपायों का सुझाव दिया गया है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग): सवाल पैदा नहीं होता।

एशियाई उत्पादकता संगठन

†*१००६. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कालिका सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अभी हाल में स्थापित एशियाई उत्पादकता संगठन में शामिल हो गया है ;

(ख) क्या उसका उद्देश्य भारत तथा अन्य एशियाई देश में जापानी उत्पादकता प्रविधियां लाना है ;

(ग) एशियाई उत्पादकता संगठन और भारत की राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के बीच क्या सम्बन्ध है ; और

(घ) उसके क्या लाभ तथा दायित्व हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटरल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । उद्देश्य यह है कि पारस्परिक सहयोग से सदस्य देशों की उत्पादकता बढ़ाई जाए ।

(ग) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् एशियाई उत्पादकता संगठन का सीधा सदस्य नहीं है । केवल भाग लेने वाले देशों की सरकारें इस संगठन की सदस्य हैं ।

(घ) सदस्य बनने के द्वारा, भारत उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से एशियाई उत्पादकता संगठन की विभिन्न परियोजनाओं में भाग लेने का लाभ उठाएगा और उनके उत्पाकदता कार्यक्रमों में सहायता दे कर पड़ौसी देशों में आर्थिक विकास में अपना वैध भाग लेने का अवसर प्राप्त करेगा । पहले दो वर्षों के लिये प्रत्येक सदस्य का वार्षिक अंशदान निम्न आधार पर निर्धारित किया जाता है :—

(१) दो हजार डालर (अमरीकी) की राशि में मूलभूत अंशदान ।

†मूल अंग्रेजी में

(२) मूलभूत अंशदान के अतिरिक्त, प्रत्येक एकक के लिये १५ सौ डालर के आधार पर अनुपूरक अंशदान एक एकक उस सदस्य की सकल राष्ट्रीय आय या कम के एक अरब डालर (अमरीकी) के बराबर होनी चाहिये ।

वर्ष १९६१ के लिये भारत का सदस्यता अंशदान का अंश संयुक्त राष्ट्र संघ सांख्यिकी की में प्रकाशित १९५७ के राष्ट्रीय आय आंकड़ों पर आधारित है और ३८,००० डालर का अनुमानत: १८२,००० रुपये होता है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या प्रविधिक लोगों और ज्ञान के आदान प्रदान के बारे में कोई खण्ड है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या भारतीय उत्पादकता संगठनों से पूछा जाएगा कि उनको कितनी प्रविधिक सहायता की जरूरत है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** एशियाई उत्पादकता संगठन का वार्षिक सम्मेलन में प्रत्येक देश से अपनी आवश्यकता बताने को कहा जाएगा और यह भी पूछा जाएगा कि अन्य सदस्य देशों को कितनी सहायता दे सकते हैं ।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** क्या उत्पादकता का कोई भारतीय विशेषज्ञ जापान जाएगा अथवा जापान का कोई विशेषज्ञ इस योजना के अन्तर्गत निकट भविष्य में भारत आएगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी हां । भारत में एशियाई उत्पादकता संगठन के तत्वावधान में स्थापित उत्पादकता के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिये कुछ प्रशिक्षण क्रम होंगे और जापान, भारत तथा अन्य देशों के विशेषज्ञ प्रत्येक सदस्य देश में जायेंगे ।

उत्तरी बिहार में रेडियो स्टेशन

***१००७. श्री विभूति मिश्र :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दोनों रेडियो स्टेशन बिहार के दक्षिणी भाग में स्थिति हैं और उत्तरी भाग में एक भी नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अगले वर्ष तक उत्तर बिहार की जनसंख्या के अधिक लाभ के लिये एक रेडियो स्टेशन मुजफ्फरपुर (उत्तर बिहार) में खोलना चाहती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चं० जोशी) : (क) यदि माननीय सदस्य का बिहार के दक्षिणी भाग से मतलब गंगा नदी के दक्षिण की ओर के भाग से है, तो उत्तर "हां" है ।

(ख) गंगा के उत्तर बसने वाले लोग पटना के वर्तमान २० किलोवाट मीडियम वेव के ट्रांसमिटर से और भागलपुर में लगने के लिए प्रस्तावित १० किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमिटर से अच्छी प्रकार कार्यक्रम सुन सकते हैं क्योंकि वह इलाका इन केन्द्रों के निकट है । इसलिये मुज्जफरपुर में रेडियो स्टेशन खोलने की कोई तजवीज नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : पटने से हिमालय की तराई तक उत्तर बिहार पड़ता है और पूर्व में पाकिस्तान तक पड़ता है । यह एरिया बहुत ज्यादा पापुलेटिड है । पटना के रेडियो स्टेशन से काम नहीं चल सकता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने जा कर वहां की स्थिति को देखा है और देखा है तो इस बात का ख्याल रखा है कि कैसे इस एरिया का काम चलेगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : यद्यपि रेडियो स्टेशन प्रविधिक दृष्टि से गंगा के दक्षिण में है, यह उत्तर बिहार के साथ इतना मिला हुआ है कि जितना कोई दूसरा स्टेशन हो सकता है । रेडियो स्टेशन के लिये हमेशा यह कसौटी रहेगी कि आया इसे अच्छी तरह सुना जा सकता है, और मैं समझता हूं कि मुजफ्फरपुर—दरभंगा क्षेत्र का जहां तक सम्बन्ध है, कोई शिकायत नहीं हो सकती । पूर्वी क्षेत्र अर्थात् भागलपुर और इस का उत्तरी भाग पर्याप्त रूप से इसके द्वारा सेवित नहीं था और हम वहां एक ट्रांसमीटर लगाने का विचार कर रहे हैं ।

श्री विभूति मिश्र : उत्तर बिहार का एरिया हिमालय की पहाड़ियों तक चला जाता है । जंगल भी बीच में पड़ता है । वहां पर हमारे मंत्री जी जा कर देखें तो उनको पता चलेगा कि सुनाई नहीं पड़ता है । चूंकि वहां सुनाई नहीं पड़ता है इस वास्ते क्या मंत्री जी मुजफ्फरपुर में खोलने की चेष्टा करेंगे ?

श्री आ० चं० जोशी : एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर १० किलोवाट का भागलपुर में लग रहा है । दूसरे रांची के मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति ५ किलोवाट हो रही है । जब ये कम्पलीट हो जायेंगे तो अधिकांश उत्तरी भाग को सुनने में आसानी हो जाएगी ।

श्री विभूति मिश्र : यह सारा साउथ बिहार है । भागलपुर, रांची और पटना एक ही लाइन में पड़ते हैं । नार्थ बिहार की पापुलेशन लगभग दो करोड़ है । वहां कोई स्टेशन नहीं है । मैं वहां के लिए पूछ रहा हूं और आप साउथ बिहार की बात बता रहे हैं ।

डा० केसकर : मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि नार्थ बिहार में पटना का जो ट्रांसमिटर है, उससे सुनाई नहीं देता है, । यह हो सकता है कि तराई में और जो पहाड़ियां हैं, उनमें सुनाई न देता हो । हर कोने में सुनाई दे, इसका इंतिजाम करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च करने की जरुरत होगी । इस समय जो हम कर सकते हैं । अधिक से अधिक जितना कवरेज दे सकते हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं । मुजफ्फरपुर की जहां तक बात है, वहां ट्रान्समिटर लगने से बहुत बड़ा अन्तर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके और पटने के बीच अन्तर बहुत कम है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : पटने में जो ट्रांसमिटर लगा हुआ है वह कितने किलोवाट का है और क्या कारण है कि उत्तरी भाग में उससे सुनाई नहीं पड़ता है । यदि माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि उससे सुनाई नहीं पड़ता है । तो क्या उस ट्रांसमिटर की ताकत बढ़ाने का कोई इंतिजाम किया जा रहा है ?

डा० केसकर : पटना का ट्रांसमिटर काफा शक्तिशाली है, बीस किलोवाट का है । और जैसा मैं ने कहा, मैं अपने दोस्त श्री विभूति मिश्र के इस बयान को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वह नार्थ बिहार में सुनायी नहीं देता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रुई का निर्यात

†*१००८. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास की ३ लाख गांठों के वार्षिक निर्यात का लक्ष्य दूसरी योजना अवधि में किये गये पिछले निर्यात को देखते हुए अपर्याप्त नहीं समझा जाता ;

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में रुई का वार्षिक औसत निर्यात कितना था ;

(ग) क्या सरकार ने भारत से कोई निर्यात करने के लिये नये बाजार ढूंढ़ने की कोशिश की है ; और

(घ) यदि हां तो ये प्रयत्न कहां तक सफल हुए ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) सरकार ने कच्ची रुई के निर्यात के लिये ३ लाख गांठों का वार्षिक लक्ष्य नियत नहीं किया इसलिये लक्ष्य की अपर्याप्तता का प्रश्न नहीं उठता। तथापि यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष के लिये निर्यात की जाने वाली रुई की मात्रा फसल की स्थिति और देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् उपलब्ध शुद्ध मात्रा के ध्यानपूर्वक परीक्षण के पश्चात् निर्धारित की जाती है ।

(ख) ३·३ लाख गांठें ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : विवरण में लिखा है कि प्रति वर्ष फसल की स्थिति और शुद्ध उपलब्धि के ध्यानपूर्वक परीक्षण के पश्चात् मात्रा के बारे में फैसला किया जाता है। क्या यह सच है कि भारत में बड़ी मात्रा में रुई बेकार पड़ी है और फिर भी निर्यात का आदेश नहीं दिया जाता है ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : पंजब और गजरात के सब बाजारों में जो छोटे रेशे वाली फालतू रुई पड़ी है उस का निपटारा करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†**श्री कानूनगो** : स्थिति के बारे में मेरा अनुमान यह है कि देश में कहीं भी छोटे रेशे वाली रुई फालतू नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पटसन उद्योग

†*९८३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २९ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४९४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पटसन उद्योग में इस समय उत्पादन की कुछ क्षमता फालतू है ; और

(ख) यदि हां, तो असम में सिलघाट में एक नयी पटसन मिल स्थापित करने के लिये लाइसेंस क्यों दिया गया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी नहीं ।

(ख) पटसन के माल के निर्माण के लिये क्षमता का अधिक विस्तार करने की सामान्यतया अनुमति नहीं दी जाती । तथापि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य होने के कारण आसाम की विशेष स्थिति को फैक्टरियों से राज्य के बाहर पटसन के माल को भेजने की ऊंची लागत को ध्यान में रखते हुये सिलघाट में १५० करघों की एक फैक्टरी लगाने की अनुमति दी गई है ।

औद्योगिक परियोजना

†*९८५. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**
श्री पुन्नूस :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को औद्योगिक परियोजनायें अपने अधीन लेने की अनुमति देने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उन्हें उसके लिये अनुमति दी जायगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री दया० नं० मिश्र) :** (क) जी हां । राज्यों की तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में अनेक औद्योगिक योजनायें शामिल हैं ।

(ख) इन योजनाओं को विदेशी मुद्रा समेत वित्तीय साधनों की उपलब्धि, उन उद्योगों के निकाय की गुंजाइश और उनको दी गई प्राथमिकता के आधार पर योजना आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाता है । औद्योगिक एकक की स्थापना के लिये लागू होने वाली सामान्य शर्तें, अर्थात् औद्योगिक अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस लेना, पूंजी उपकरण आदि के लिये इस्पात, लाइसेंस, राज्य सरकारों के औद्योगिक एककों के लिये लागू होती हैं ।

मलाया, सिंगापुर और आस्ट्रेलिया को चमड़े के थैलों आदि का निर्यात

†*९८८. **श्री बि० दासगुप्त :**
श्री अरविंद घोषाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलाया, सिंगापुर और आस्ट्रेलिया में भारतीय चमड़े के थैले, सूटकेस और खेलकूद के सामान की काफी मांग है और

(ख) यदि हां, तो निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) चमड़े के थैलों, और बक्सों की मांग कम है परन्तु खेल के सामान की बहुत मांग है।

(ख) खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा भेजा गया एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल इन देशों में १९६० में गया था। भारतीय खेल का सामान का स्थानीय समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापन दिया गया। चमड़े के सामान और खेल के सामान का कुआलालूमपुर, सिंगापुर और सिडनी में प्रदर्शनियों में हाल ही में प्रदर्शन किया गया था।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिक प्रोत्साहन योजनाय

†*९९०. **श्री मुरारका :**
श्री प्रमथनाथ बनर्जी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी विशेषज्ञों के एक दल ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिक प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां। प्रतिवेदन की प्रतियां सभा के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ख) से (घ). प्रतिवेदन विचाराधीन है।

भारी इंजीनियरी औद्योगिक परियोजनायें

†*९९२ **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन भारी इंजीनियरी औद्योगिक परियोजनाओं के लिये जापान ने भारत को सहयोग देने और उसके साथ सहकार्य करने में दिलचस्पी दिखायी है; और

(ख) यदि हां, तो किन किन उद्योगों के लिये, किस रूप में और किस हद तक ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). ८०० लाख डालर के बराबर येन का ऋण देने का हाल ही में जापान ने फैसला किया है। इस ऋण से कौन सी परियोजनायें चलाई जायेंगी इस प्रश्न का अभी फैसला नहीं किया गया है।

हाथकरघा कपड़े की बिक्री पर छूट

†*९९४. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा कपड़े की बिक्री पर छूट की योजना के कुछ वर्षों तक बिना किसी परिवर्तन के जारी रहने की संभावना है;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या वह छूट छै नये पैसे से पांच नये पैसे कर दिये जाने के कारण हथकरघा कपड़े की बिक्री कम हो गयी है ; और

(ग) हथकरघा कपड़े की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिये छूट की योजना के अलावा और दूसरी किन बातों पर सरकार विचार कर रही है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

हथकरघा के कपड़े की बिक्री पर छूट की योजना कुछ समय के लिये जारी रखने की संभावना है परन्तु योजना की शर्तों और दरों में आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

छूट की दर में कमी से हथकरघा के कपड़े की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

हथकरघा कपड़े को अच्छी तरह समापित करने की योजनायें, बिक्री डिपु खोलने, चलती फिरती बिक्री गाड़ियों की व्यवस्था और विभिन्न साधनों के द्वारा हथकरघा के कपड़े की बिक्री को लोकप्रिय बनाने के लिये प्रचार करने की योजनायें कुछ समय से चल रही हैं । राष्ट्रीय औद्योगिक विकास परिषद् द्वारा हथकरघा कपड़े के विपणन के बारे में नियुक्त किये गये कार्यकारी दल (अध्ययन दल) द्वारा सिफारिश किये गये अन्य उपाय सरकार द्वारा सिद्धांततः स्वीकार किये जा चुके हैं इन सब योजनाओं के गुण-दोषों पर विचार किया जायेगा ।

विस्थापित व्यक्तियों को हस्तान्तरण पत्रों और विक्रय पत्रों का जारी किया जाना

†*१०००. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम पाकिस्तान के उन अनेक विस्थापित व्यक्तियों को, जिन्हें सरकार द्वारा बनायी गयी जायदाद अलाट की गयी है, हस्तान्तरण पत्र या विक्रय पत्र नहीं दिये गये हैं, यद्यपि उन्होंने बहुत पहले ही नकद या दावा बन्ध पत्रों क्लेम बांडस् के रूप में उसके लिये पूरा पूरा भुगतान कर दिया है ; और

(ख) क्या सरकार इस बीच की अवधि के लिये उन विस्थापित व्यक्तियों द्वारा जमा की गयी धनराशि पर ब्याज उन्हें देगी ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) लगभग २½ लाख संपत्तियां बेची गई हैं । अधिकतर संपत्तियों के बिक्री लेख जारी किये जा चुके हैं । परन्तु अन्य मामलों में वे अभी जारी करने शेष हैं । इस काम को शीघ्र करने के लिये कार्रवाई की गई है ताकि अवशिष्ट बिक्री लेख यथा शीघ्र जारी कर दिये जायें ।

(ख) ब्याज देने का प्रश्न नहीं पैदा होता क्योंकि अधिकांश मामलों में अस्थायी कब्जा दिया जा चुका है और नियत तिथियों के बाद सरकार कोई किराया नहीं लेती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री लंका सरकार के साथ व्यापार वार्ता

†*१००१. **श्री आचार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्री लंका के बीच व्यापार विनियमित करने के लिये सहमत होने के हेतु श्री लंका संरकार के साथ बातचीत शुरू करने का विचार है ; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये श्री लंका सरकार का भारत में एक शिष्टमंडल भेजने का विचार है और यदि हां, तो वह यहां कब आ रहा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख) . लंका सरकार को, भारत-लंका व्यापार संबंधी मामलों की चर्चा करने के लिये सितम्बर, १९६१ में भारत को एक प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिये, हाल ही में निमंत्रण दे दिया गया है। अभी तक यह मालूम नहीं है कि प्रस्तावित प्रतिनिधिमंडल कब आयेगा ।

छोटे पैमाने के उद्योग

†*१००२. **श्री पुन्नूस** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो छोटे निर्माता छोटे औद्योगिक कारखाने खोलना चाहते हैं और किस्त पर सरकार से कर्ज लेना चाहते हैं, उन्हें केवल खास फर्मों से ही मशीनें खरीदने के लिये कहा जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये फर्में बाजार में प्रचलित प्रतियोगितात्मक दरों से कहीं अधिक ऊंची दरों पर दाम लेते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस नीति के कारण अनेक निर्माता इस सुविधा से लाभ न उठा सके ; और

(घ) यदि हां, तो क्या छोटे निर्माताओं को ऋण देने के लिये यह शर्त हटाने का सरकार का विचार है ?

†***उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ) . एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) भारत सरकार द्वारा मशीनरी खरीदने के लिये छोटे एककों को सीधे ऋण नहीं दिये जाते । संभवत: मा० सदस्य उस योजना का उल्लेख कर रहे है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय अल्प उद्योग निगम छोटे पैमाने के एककों को किराया-खरीद प्रणाली के आधार पर मशीनरी देता है । इस योजना के अन्तर्गत, प्रार्थियों को पूरा विवरण देना पड़ता है और संभरणकर्त्ताओं से उनको प्राप्त होने वाली कोटेशनों का एक सैट देना पड़ता है । राष्ट्रीय छोटा उद्योग निगम प्रार्थी द्वारा बताये गये संभरणकर्ता से कोटेशन मंगवता है और यदि संभरणकर्ता केवल अधिकर्ता या पौतिक है, तो निगम यह जानने के लिये कि अभिकर्ता पौतिक द्वारा बताये गये दाम उचित हैं । निर्माताओं से कोटेशन मंगवाने का भी अधिक उपचार करता है । इस प्रकार प्राप्त कोटेशनें चुनने के लिये प्रार्थी को भेजी जाती है और उनके द्वारा किये गये चुनाव के अनुसार आर्डर दिये जाते हैं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) राष्ट्रीय छोटा उद्योग निगम द्वारा इसकी किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत मशीनरी के संभरण के लिये प्रार्थियों की संख्या बहुत बढ़ रही है अर्थात् १९५६-५७ में १६५.४३ लाख रुपये की लागत से ६६१ मशीनों के लिये प्रार्थियों के मुकाबले में १९६०-६१ में ९७२.२८ लाख रुपये की लागत पर २००९ मशीनों के लिये प्रार्थनायें स्वीकार की गई हैं।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता।

भारत में रहने वाले गोआनी लोगों को मताधिकार

†*१००३. **श्री ब्रजराज सिंह :**
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार भारतीय राज्य क्षेत्रों में रहने वाले गोआनियों का मताधिकार देने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं तो हमारी इस घोषित नीति को देखते हुए गोआ सदा ही भारत का अंग रहा है, क्या सरकार भारत में रहने वाले गोआनियों को आगामी सामान्य निर्वाचनों में मताधिकार देगी ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) सब गोआनी जो भारत में रहते थे और २६ जनवरी १९५० से पहले पांच वर्ष से भारत में साधारणतया रहते थे, यदि वे अन्यथा अर्ह हैं, मतदाता के रूप में, पंजीबद्ध होने के लिये अर्ह हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा यह बात सब राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अफसरों को स्पष्ट कर दी गई है। अन्य मामले में, उन को नागरिकता अधिनियम के अन्तर्गत देशीयकरण का प्रमाण पत्र लेना पड़ता।

(ख) सरकार के मतानुसार भारत में रहने वाले अधिकांश गोआनी इन हिदायतों के अन्तर्गत मतदान के अधिकार का उपयोग करेंगे। इसलिये किसी विशेष विधान की जरूरत नहीं है।

अलौह धातुओं का आयात

†*१००९. **श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने अलौह धातुओं के आयात के लिए, इस देश में आजकल कमी है, भारत को २ करोड़ डालर ऋण देना मंजूर कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण की मुख्य मुख्य शर्तें क्या हैं ; और

(ग) ये धातु किन प्रयोजनों के लिए काम में लाये जायेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). अभी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इसलिये हस्ताक्षर होने के उपरांत उस की एक प्रति वित्त मंत्रालय द्वारा यथा पूर्व संसद् के पुस्तकालय में रख दी जाएगी।

भारतीय कर्मचारियों का बड़ाहोती जाना

†*१०१०. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में राजस्व कर्मचारियों का एक दल बड़ाहोती गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह वहां कितने समय तक रहा ; और

(ग) उन्हें वहां की स्थिति किस प्रकार प्रतीत हुई ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) भारतीय राज्य क्षेत्र में आराहोती, अतः एक राजस्व दल इस वर्ष भी वहां गया है।

(ख) यह दल अब भी वहां है।

(ग) इसे कोई असाधारण बात का सामना नहीं करना पड़ा

योजना आयोग

†**१०११. श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या योजना आयोग विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के लिए योजनायें व्यवस्था किये जाने के बाद भी उनकी अलग अलग छानबीन करता है केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों को योजना आयोग द्वारा स्वीकृत सीमाओं के अन्तर्गत अंतिम योजनाएं निर्धारित करने की छट होती है ; और ;

(ख) योजना आयोग का विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ क्या संबंध होता है और उसका क्या नियंत्रण होता है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) कुछ सिंचाई और विद्युत् उद्योग और परिवहन संबंधी परियोजनाओं को छोड़ कर, योजना आयोग अनुमोदित होने और योजना में शामिल होने के पश्चात् साधारणतया प्रत्येक परियोजना और योजना का परीक्षण नहीं करता।

(ख) योजना आयोग सलाहकार निकाय है और पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं को तैयार करने में यह राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के परामर्श से काम करता है।

निर्यात के बारे में पूछताछ

†*१०१२. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब कभी किसी विशिष्ट मद सम्बन्धी नीति और निर्यात प्रयोजनों के लिए स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में उन के मंत्रालयों से पूछताछ की जाती है तो आवश्यक जानकारी देने के बजाय प्रशुल्क सूची की ओर निर्देश किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे उत्तर निर्यात बढ़ाने की सरकार की नीति के अनुरूप है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बात के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी कि निर्यात बढ़ाने के लिए जनता को विशिष्ट जानकारी तुरन्त दी जाये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). निर्यात के बारे में सब पूछताछ का तुरन्त उत्तर दिया जाता है। प्रकाशन प्रबन्धक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक 'निर्यात व्यापार नियंत्रण संबंधी पुस्तक, में नियंत्रित पदार्थों के बारे में निर्यात नीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस प्रकाशन का मूल्य है परन्तु इसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। सरकार निर्यात को बढ़ाने और व्यापारियों को प्रत्येक संभव सहायता देने को उत्सुक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जब तक विशिष्ट मामला न बताया जाए, सही उत्तर देना कठिन है।

गोदी मजदूर बोर्डों को ऋण

†*१०१३. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १४ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदी मजदूर बोर्डों को ऋण देने के प्रस्तावों के सम्बन्ध में सरकार को बम्बई तथा कलकत्ता स्थित गोदी मजदूर बोर्डों से अंतिम उत्तर मिल चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां। परन्तु उन्होंने गोदी कर्मचारियों के लिये सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के विस्तार के लिये कहा है।

(ख) मामले पर पुनर्विचार किया गया है और इन कर्मचारियों के लिये एक पृथक आवास योजना बनाने का विचार है।

मिश्र को चाय का निर्यात

†*१०१४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्र को भारत के चाय का निर्यात आजकल बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल से जून १९६१ के दौरान, गत वर्ष इसी अवधि में निर्यात के आंकड़ों के मुकाबले में, निर्यात के आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या उस देश को चाय के निर्यात में और अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) जी हां।

(ख) अप्रैल जून १९६१ में भारत से मिश्र को चाय का निर्यात ६१.३१ लाख पौंड था जब कि १९६० की तत्समान अवधि में ६१.१४ लाख पौंड था।

(ग) और (घ). आशा है कि भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच द्विपक्षीय व्यापार करार की सहायता से मिश्र में हमारे संवर्धन प्रयत्नों के कारण चाय का निर्यात बढ़ जाएगा।

निर्यात संवर्धन

†*१०१५. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि निर्यात संवर्धन संबंधी पूछ ताछ और उन के स्पष्टीकरणों के

---

†मूल अंग्रेजी में

मामले में उन के मंत्रालय में काफी देर लग जाती है ; और

(ख) ऐसी पूछ ताछ के एक महीने से अधिक पुराने कितने मामले मंत्रालय में पड़े हुए हैं और उसके कारण क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). निर्यात संबर्धन संबंधी पूछ ताछ का तुरन्त उत्तर दिया जाता है। एक महीने से अधिक पुरानी कोई पूछ ताछ ऐसी नहीं है जिसका निपटारा न कर दिया गया हो।

गोआ की जेल में गोआनी राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु

†*१०१६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में स्वतंत्रता आन्दोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रयत्न में पुर्तगाली पुलिस द्वारा पहुंचाये गये आग के जख्मों के कारण एक गोआनी राष्ट्रवादी नेता जेल में ही मर गया ;

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) राजनैतिक बंदियों पर इस प्रकार के अत्याचार को रोकना के लिए क्या कायवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) सरकार को सूचना मिली है कि श्री यूसेवियो वीगास, एक गोआनी राष्ट्रवादी, जिसे हाल ही में पुर्तगाली अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था, गोआ के अधिकारियों द्वारा उस पर की गई यातनाओं के परिणाम स्वरूप, १४ अगस्त १९६१ को मर गया।

(क) और (ग). भारत सरकार ने पुर्तगारी अधिकारियों के अमानुषिक व्यवहार तथा राष्ट्रवादी आन्दोलन को दबाने के लिये जिस प्रकार अंगोला में बर्बरता के तरीके अपनाये हैं वैसे ही तरीके गोआ में अपनाये हैं, उन पर बारबार खेद प्रकट किया है।

खादी तथा ग्रामोद्योग केन्द्र

†२५१३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में पंजाब में कितने तथा किन-किन स्थानों पर खादी तथा ग्रामोद्योग केन्द्र खोले गये ; और

(ख) १९६१-६२ में किन-किन स्थानों पर ऐसे केन्द्र खोले जायेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). कुछ उद्योगों को छोड़ कर जिन के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, १९६०-६१ में पंजाब में १४३ खादी तथा ग्रामोद्योग केन्द्र खोले गये। १९६१-६२ में जिन जिन स्थानों पर ऐसे केन्द्र को खोले जायेंगे, उनका विवरण साथ में सलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ५५**]। शेष उद्योगों के संबंध में ऐसी जानकारी उचित समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब का औद्योगिक विकास

†२५१४. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में पंजाब में केन्द्रीय सरकार ने प्रत्यक्षतः कौन-कौन से बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित किये ; और

(ख) क्या १९६१–६२ में ऐसा कोई उद्योग वहां स्थापित किया जायेगा ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) केन्द्रीय सरकार ने पंजाब में एक बड़े पैमाने का उद्योग अर्थात् नंगल उर्वरक भारी जल परियोजना स्थापित किया है। परियोजना का उर्वरक भाग (नंगल उर्वरक कारखाना) १९६०–६१ में तैयार हो गया था और फरवरी १९६१ में उस में उत्पादन शुरू हो गया है। परियोजना का भारी पानी भाग १९६१–६२ में उत्पादन आरंभ करेगा, ऐसी आशा है।

(ख) पंजाब में पिंजौर नामक स्थान पर १००० मशीनी औजार प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता वाला एक मशीनी औजार कारखाना स्थापित करने का निश्चय कर लिया गया है। इस कारखाने का आरम्भिक कार्य चालू वर्ष (१९६१–६२) में आरम्भ कर दिया जायेगा।

केन्द्रीय डिजाइन संगठन

†२५१५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ५ मई, १९६१ तारांकित प्रश्न संख्या १९२८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक महत्वपूर्ण प्रकार के कार्यों के लिये अनेक प्रकार की डिजाइनें बनाने के लिए क्या सरकार केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में एक विशेषज्ञ केन्द्रीय डिजाइन संगठन स्थापित करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

† निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा) : (क) और (ख). केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में एक केन्द्रीय डिजाइन संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

नेफा और आसाम के बीच सीमा विवाद

†२५१६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री हेम बरुआ : }

क्या **प्रधान मंत्री** ५ मई १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६११ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेफा और आसाम के सीमा विवाद का अन्तिम फैसला कर दिया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सीमा निर्धारण के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). आसाम और नेफा के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है।

स्थानीय मांग थी कि आसाम के कुछ गांवों को, जिनमें आदिवासी लोग रहते हैं, नेफा के क्षेत्र के अन्दर लाने के लिये सीमा का संशोधन कर दिया जाये। नेफा के स्पांग सीमांत डिवीजन के पोलिटिकल अफसर तथा आसाम के लखीमपुर जिले के डिप्टी कमिश्नर ने इस क्षेत्र का दौरा कर लिया है और वहां की जनता को समझा दिया है कि वे चाहे आसाम के अधीन रहे या नेफा के अधीन उनके परम्परागत अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा।

भूमि पर सीमा निर्धारण का काम हो रहा है। आसाम के सर्वेक्षण विभाग ने कुल ४२७ मील में से २४७ मील तक काम पूरा कर लिया है।

रबड़ के बागान

†२५१७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में सरकारी बन भूमि तथा अन्य व्यक्ति गत भूमि पर रबड़ के नये बागान लगाने संबंधी केरल राज्य की योजना का परीक्षण कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). नये रबड़ बागान लगाने संबंधी केरल राज्य की योजना पर योजना आयोग ने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के परामर्श से परीक्षण किया और निम्नलिखित कार्यक्रम को यथार्थवादी माना गया :—

	एकड़	अनुमानित व्यय
		लाख रु०
(१) सरकारी कम्पनी द्वारा बागान लगाना	२०,०००	२५०.००
(२) छोटे किसान (१० एकड़ के एकक) . .	७५,०००	३८०.००
(३) भूमिहीन तथा गरीब किसान (७ एकड़ के एकक)	१०,०००	६०.००
	१०५,०००	६९०.००

मलाया के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता

†२५१८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार करार संबंधी मलाया की पेशकश पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है ।

हस्तकला तथा ग्रामीणकला के संग्रहालय

†२५१९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में देश में हस्तकला के तथा ग्रामीण कला के संग्रहालय खोलने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**उद्योग मंत्री श्री (मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) नई दिल्ली में स्थापित हस्तकला के एक केन्द्रीय संग्रहालय के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार तीसरी योजना में अनुबन्ध संख्या १ में दिये गये ग्रामीणकला के संग्रहालय खोलने का विचार रखती है । **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५६ (क)]**

कोरा केन्द्र, वोरीवाली में एक खादी तथा ग्रामोद्योग संग्रहालय खोलने के लिये बम्बई उपनगरीय जिला ग्रामोद्योग संस्था को १ लाख रु० की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। राजघाट नई दिल्ली में एक और खादी तथा ग्रामोद्योग संग्रहालय खोलने के लिये १० हजार रु० की राशि स्वीकृत की जा चुकी है । तीसरी योजना में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित कला संग्रहालयों को अनुबन्ध संख्या में दिखाया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५६ (ख)]**

ओटावा में एक भारतीय पदाधिकारी की हत्या

†२५२०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** ५ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में ओटावा में मारे गये भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय के पदाधिकारी श्री शंकर पिल्लै की विधवा को परितोष देने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). सरकार स्वर्गीय श्री शंकर पिल्लै की विधवा को मासिक भत्ता (परिवार पेंशन) के रूप में एक असाधारण पुरस्कार देने का विचार कर रही है । शीघ्र ही इस संबंध में एक निर्णय कर लिया जायेगा ।

फेनी नदी

†२५२१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** २ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८४९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा पाकिस्तान के बीच फेनी नदी के संबंध में जो विवाद था, क्या वह अन्तिम रूप से तय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** :(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रद्दी तांबे और पीतल[1] का आयात

†२५२२. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में कितने रद्दी (स्क्रैप) तांबे और पीतल का आयात किया गया और उसका मूल्य कितना है ;

(ख) १९६०–६१ में महाराष्ट्र को कितना रद्दी (स्क्रैप) तांबा तथा पीतल आवंटित किया गया ; और

(ग) उक्त अवधि में वास्तव में कितना स्क्रैप दिया गया ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सन्लग्न है।

विवरण

(क) १९६०–६१ में आयात की गयी तांबे व पीतल की छीजन की मात्रा तथा उसके मूल्य के संबंध में आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) १९६०-६१ में महाराष्ट्र को तांबे तथा पीतल की छीजन का आवंटन निम्न प्रकार किया गया :—

	मीट्रिक टन
तांबें की छीजन .	१२२
पीतल की छीजन	२३४

(ग) उपरोक्त अवधि में महाराष्ट्र के छोटे पैमाने के उद्योगों के कारखानों को वास्तव में तांबे व पीतल की छीजन की जो मात्रा दी गयी वह लगभग उतनी ही है, जैसा कि (ख) में बताया गया है। वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

व्यापार शिष्ट मंडल

†२५२३. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ के आरम्भ के ६ महीनों में कितने विदेशी व्यापार शिष्टमंडल भारत आये और कितने भारतीय व्यापार शिष्टमंडल बाहर के देशों को गये ; और

(ख) अप्रैल से जून, १९६१ की अवधि में कितने देशों के साथ व्यापारिक करार किये गये ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १९६१ के आरम्भ के ६ महीनों में ९ विदेशी व्यापार शिष्ट मंडल भारत आये तथा सरकार द्वारा भेजे गये दो भारतीय व्यापार शिष्टमंडल विदेशों को गये।

(ख) अप्रैल से जून १९६१ की अवधि में ईरान तथा उत्तरी कोरिया के साथ व्यापारिक करार/समझौते किये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Copper and Brass scrap.

पाकिस्तान की यात्रा के लिये भारतीयों को पारपत्र

†२५२४. **श्री पांगरकर :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ के अन्त के तीसरे तथा छठे महीने के बीच कितने भारतीय नागरिकों ने पाकिस्तान जाकर अपने संबंधियों से, जोकि पाकिस्तान के नागरिक हैं, मिलने के लिये पारपत्र हेतु आवेदन पत्र दिये ;

(ख) कितने आवेदन पत्रों को स्वीकार किया गया ;

(ग) कितने आवेदन पत्र अभी विचाराधीन हैं ; और

(घ) कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) २९,२५९

(ख) २८,०९१ पारपत्र जारी किये गये और कुछ पारपत्रों का नवीकरण भी किया गया ।

(ग) और (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नोट:—(क) और (ख) में दिये गये आंकड़ों में पंजाब राज्य सरकार की जानकारी सम्मिलित नहीं है ।

दक्षिण वियतनाम तथा इण्डोनेशिया में भारतीय

†२५२५. **श्री पांगरकर :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दक्षिण वियतनाम तथा इन्डोनेशिया में पृथक-पृथक कितने भारतीय राष्ट्रजन रह रहे हैं ; और

(ख) क्या उन्हें नागरिकता के सभी अधिकार प्राप्त हैं ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) इस समय दक्षिण वियतनाम में लगभग १४०० तथा इन्डोनेशिया में २०,००० तथा २५,००० के बीच भारतीय राष्ट्रजन रह रहे हैं ।

(ख) उन्हें नागरिकता के सभी अधिकार प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता । उन्हें अन्य विदेशियों की ही भांति समझा जाता है । जहां तक हमारी जानकारी है उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता ।

एण्टी बायोटिक्स फैक्टरियां

†२५२६. **श्री न० म० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में भारत में कितने एंटी बायोटिक्स कारखाने खोले जाने वाले हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ये कारखाने किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे तथा प्रत्येक कारखाने की लागत क्या होगी ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) चार कारखाने खोले जा चुके हैं और तीन और योजनायें कार्यान्वित की जायेगी ।

(ख)	**स्थान का नाम**	**अनुमानित लागत**
	ऋषिकेश	१०.५ करोड़ रु०
	बलसर	०.७ करोड़ रु०
	गुजरात राज्य में	०.७ करोड़ रु०
	(अभी स्थान निश्चित नहीं किया गया है)	

मध्य प्रदेश के छोटे पैमाने के उद्योग

†२५२७. **श्री किस्तय्या : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में चलने वाले छोटे पैमाने के उद्योगों, विशेषतया सस्ते रेडियो सेट, ट्रान्जिस्टर सेट तथा इसी प्रकार के अन्य उद्योगों (गैर-सरकारी क्षेत्र के) का कोई निर्धारण किया गया है ;

(ख) ऐसे कौन-से उद्योग हैं, जो इस राज्य में नहीं हैं परन्तु जो बहुत ही सामान्य हैं तथा आम जनता के लिए बहुत उपयोगी हैं और अन्य राज्यों में है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश में ऋण देकर, ट्रेनिंग देकर तथा अन्य ऐसी सुविधायें देकर वहां के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सन्लग्न है ।

विवरण

जी हां ।

२. छोटे पैमाने के उद्योगों, जिनमें घरेलू बेतार के तार रिसीवर सेट तथा उसके पुर्जे भी सम्मिलित हैं, की संख्या के सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश भर में (मध्य प्रदेश में भी) सर्वेक्षण किया जा चुका है ।

३. १९६० में मध्य प्रदेश के भिलाई क्षेत्र का, एक सर्वेक्षण वहां की औद्योगिक संभावनाओं का निर्धारण करने के लिये किया गया था और उस क्षेत्र में अनेक उद्योगों के, जिनमें निम्न-लिखित उद्योग भी सम्मिलित हैं, विकास के लिए सिफारिश की गयी है :—

(१) आटो लीफ स्प्रिंग, (२) आटो बैटरी, (३) हाथ के औजार, (४) कृषि के औजार, (५) बिल्डर्स हार्डवेयर, (६) इस्पात का फर्नीचर, (७) साइकिल के पुर्जे व सामान, (८) लकड़ी की बनी लेखन सामग्री तथा उपयोगी वस्तुयें, (९) औद्योगिक दस्ताने, (१०) पुनर्वेलन मिल (११), धातु इंजीनियरिंग वर्कशाप तथा ढलाई कारखाने, (१२) सूटकेस फिटिंग, (१३) फैली हुई धातु तथा (१४) एलेक्ट्रिक मोटर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

४. सरकार की नीति मध्य प्रदेश तथा सम्पूर्ण देश में वित्तीय सहायता देकर, ट्रेनिंग सुविधायें देकर तथा उधार-क्रय आधार पर मशीनों की व्यवस्था आदि उपायों द्वारा उद्योगों की उन्नति करने की है।

५. तीसरी पंचवर्षीय योजना में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए ४७२.०२ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है।

विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में कर्मचारी

२५२८. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेश स्थित किन-किन भारतीय दूतावासों में हिन्दी स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट नियुक्त हैं;

(ख) क्या सभी दूतावासों में उन्हें नियुक्त करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हमारे काठमांडू (नेपाल) स्थित राजदूतावास में एक हिन्दी आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) और हमारे पीकिंग (चीन) स्थित रजदूतावास में एक हिन्दी स्टेनो-टाइपिस्ट नियुक्त किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में रिक्शा खींचने वाले

†२५२९. **श्री ओंकार लाल** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रिक्शा खींचने वालों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन रिक्शा खींचने वालों की अवस्था में सुधार करने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उस योजना की रूपरेखा क्या है?

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली)** : (क) १५०९।

(ख) और (ग). रिक्शा खींचने वालों की सहकारी संस्था बनाने की एक योजना सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय द्वारा तैयार की गयी है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास भेज दी गयी है। परन्तु निकट भविष्य में कोई सारवान परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

विदेशों में भारतीय मिशन की इमारतें

†२५३०. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों में भारतीय दूतावास/मिशन की इमारतें बनाई जा चुकी हैं;

(ख) प्रत्येक देश की राजधानी में इन इमारतों की लागत क्या बैठी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) किन देशों में ऐसी इमारतें निकट भविष्य में बनवाई जायेंगी ?

†**प्रधान मन्त्री तथा, वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५७**]

आन्ध्र प्रदेश में बेरोजगार लोग

†२५३१. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९६०-६१ में आन्ध्र प्रदेश के काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने व्यक्तियों के नाम रजिस्टर्ड हुये;

(ख) इनमें स्नातकोत्तरों, स्नातकों, इण्टरमीडियेट, हाई स्कूल पास लोगों की संख्या पृथक-पृथक कितनी-कितनी थी; और

(ग) इसी अवधि में प्रत्येक श्रेणी के कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ?

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली)** : (क) १२,४४,०४१ ।

(ख) और (ग). स्नातकोत्तरों के संबंध में पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्रेणी	१९६०–६१ में रजिस्टर की गयी संख्या	१९६०–६१ में कितने लोगों को रोजगार दिलाया गया ।
स्नातक तथा स्नातकोत्तर	६,५४२	१९१७
इण्टरमीडियेट	७,५२६	१३२३
मैट्रिक	३९,४५०	६९५६
योग	५३,५१८	१०,१९६

आन्ध्र प्रदेश में श्रमिक शिक्षा केन्द्र

†२५३२. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष १९६१-६२ में आंध्र प्रदेश में श्रमिकों के शिक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली)** : (क) यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय खण्डीय श्रमिक शिक्षा केन्द्रों से है तो उत्तर नकारात्मक है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

†२५३३. { श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री मं० वे० कृष्णराव :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में अब तक कितनी औद्योगिक बस्तियां आरम्भ की गई हैं ; और

(ख) तृतीय पंच वर्षीय योजना में ऐसी कितनी बस्तियां स्थापित की जायेंगी?

†उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) आन्ध्र प्रदेश में सनातनगर, विजयवादा, समलकोट, विशाखापत्तनम और नन्दयाल के स्थानों पर पांच औद्योगिक बस्तियों में काम आरम्भ हो गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में वारंगल के स्थान पर औद्योगिक बस्ती स्थापित कर दी और कुडप्पा के स्थान पर औद्योगिक बस्ती का निर्माण किया जा रहा है। दूसरी योजना काल के आखिर में चंदूलाल बारादरी के लिये एक और औद्योगिक बस्ती स्वीकृत की गई थी।

(ख) तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में विशाखापत्तनम, विजयवादा, वारंगल और सनातनगर की बस्तियों का विस्तार किया जायेगा और आंध्र प्रदेश में २१ नई औद्योगिक बस्तियां बनाई जायेंगी।

हिमाचल प्रदेश में घड़ियां बनाने का कारखाना

†२५३४. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में निकट भविष्य में घड़ियां बनाने का एक गैर-सरकारी कारखाना लगाने का विचार है;

(ख) परियोजना पर कुल कितना खर्च होगा और अनुमानतः प्रतिवर्ष कितनी घड़ियां बनेंगी; और

(ग) उत्पादन कब तक आरम्भ होगा ?

†उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना की कुल लागत के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। संयन्त्र और मशीनरी को लागत लगभग ३ लाख रुपये होगी। आरम्भ में प्रतिवर्ष १२,००० घड़ियां बनाने की क्षमता स्वीकृत की गई है।

(ग) लगभग १९६२ में।

१९६१–६२ के लिये पंजाब का व्यय

†२५३५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ के लिये विभिन्न राज्यों के व्यय के बारे में निश्चय कर लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो पंजाब के लिये कितना स्वीकृत किया गया है; और

(ग) क्या विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत किये गये आवंटन और उसकी राशि बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायगा ?

†**योजना उपमन्त्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) सभी राज्य सरकारों ने १९६१-६२ के व्यय के बारे में सूचना भेज दी है ।

(ख) और (ग). १९६१–६२ के लिये पंजाब सरकार द्वारा सूचित किये गये पूंजीव्यय को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५८]**

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

†२५३६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की प्रमाणन् समिति ने आरम्भ से अब तक कितनी संस्थाओं को प्रमाणपत्र दिये हैं ;

(ख) पंजाब में १९६० में कितनों को प्रमाणित किया गया ;

(ग) पंजाब में १९६० में कितनी प्रमाणित संस्थाओं ने अपने प्रमाणपत्र समाप्त करा दिये ?

(घ) ये संस्थायें कहां-कहां पर स्थित हैं और प्रमाणपत्र समाप्त करने के क्या कारण थे; और

(ङ) क्या यह सच है कि कर्मचारियों आदि पर अधिक खर्च होने के कारण खादी का मूल्य बढ़ता जा रहा है हालांकि राज सहायता काफी मात्रा में की जाती है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की प्रमाणन् समिति जब से स्थापित की गई है तब से उसने पंजाब में खादी के उत्पादन और विक्रय के लिये ११ संस्थाओं को प्रमाणित किया है ।

(ख) पंजाब में १९६० में केवल एक संस्था को प्रमाणित किया गया ।

(ग) वर्ष १९६० में पंजाब में २ संस्थाओं के प्रमाण पत्र समाप्त किय गये ।

(घ) वर्ष १९६० में जिन संस्थाओं के प्रमाणपत्र समाप्त किये गये उनके नाम, स्थान और राज्य नीचे बताये जाते हैं :—

संस्था का नाम और पता	कारण
(१) कस्तूर्बा सेवा सदन, न्यू टाउनशिप फरीदाबाद, जिला गुड़गांव ।	संस्था ने स्वयं खादी का काम बन्द कर दिया ।
(२) गवर्नमेंट काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग सेंटर, जालंधर	इस संस्था ने अपना काम पंजाब स्पिनिंग एण्ड वीविंग सेंटर जालंधर को सौंप दिया जो कि प्रमाणित संस्था है ।

(ङ) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी

†२५३७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में अब तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कितने कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के कारण गिरफ्तार किया गया ;

(ख) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने गैर-सरकारी व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ; और

(घ) उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) १९६१ में अब तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के किसी कर्मचारी को भ्रष्टाचार के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

औद्योगिक विषयों सम्बन्धी फिल्में

†२५३८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विषयों सम्बन्धी हिदायतें देने वाली फिल्में तैयार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताये गये विषयों के बारे में चलचित्र विभाग फिल्में तैयार करता है । औद्योगिक विषयों के बारे में हिदायतें देने वाली निम्नलिखित फिल्में फिलम्स डिवीज़न (चलचित्र विभाग) द्वारा बनाई जा चुकी हैं अथवा बनाई जा रही हैं :—

(ग) जो फिल्में बन चुकी हैं :

१. अम्बर चरखा
२. सेफ्टी इन इलैक्ट्रिसिटी (बिजली से बचाव)
३. इकानोमी इन फ्यूल कन्जम्पशन (ईंधन के खर्च में बचत)
४. ब्रिक्लेयिंग (ईंटें बनाना)
५. रेल की पटरी बिछाना और उसकी देखभाल

(घ) जो फिल्में बन रही हैं :

६. खनन के तरीके
७. यंत्रों से बजरी बनाना
८. पुलों का निर्माण
९. यार्डों में होने वाली दुर्घटनायें और उन की रोकथाम के तरीके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाबी भाषा में प्रलेख चित्र

†२५३९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : १९६०–६१ में उनके मंत्रालय ने पंजाबी भाषा में कितने प्रलेख चित्र तैयार किये ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर) :** ९३ प्रलेख चित्रों को पंजाबी भाषा में बदला गया ।

दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार

†२५४०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में १९६१ की दूसरी तिमाही में पंजीबद्ध बेरोजगार व्यक्तियों के तुलनात्मक आंकड़ क्या हैं ; और

(ख) इस अवधि में कितने स्नातकों, इंटर पास और मैट्रिक पास बेरोजगार लोगों ने नाम रजिस्टर कराये ?

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली) :** (क) १९६१ की दूसरी तिमाही के प्रत्येक मास के अन्त में दिल्ली के काम दिलाउ दफ्तर के चालू रजिस्टर में व्यक्तियों की संख्या :—

अप्रैल, १९६१ . . .	५८,४१०
मई, १९६१ . . .	५९,०५१
जून, १९६१ . . .	६०,७५२

(ख) अप्रैल—जून, १९६१ में रजिस्टर किये गये व्यक्ति :—

स्नातक . .	२,२१४
इंटर पास . .	९५४
मैट्रिक पास . . .	६,८५८

आकाशवाणी द्वारा अंग्रेजी की पुस्तकों की समीक्षा

†२५४१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में अब तक आकाशवाणी ने अंग्रेजी की कितनी पुस्तकों की समीक्षा की; और

(ख) इनमें से कितनी पुस्तकें भारतीय लेखकों की हैं और कितनी विदेशी लेखकों की?

†**सूचना और प्रसारण के मन्त्री (डा० केसकर) :** (क) जनवरी से जून, १९६१ तक आकाशवाणी ने १०३ अंग्रेजी की पुस्तकों की समीक्षा की ।

(ख) इनमें से ६९ पुस्तकें अंग्रेज लेखकों की थीं और ३४ भारतीय लेखकों की ।

कच्चे काजू का आयात

†२५४२. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के काजू कारखाना मालिक संघ द्वारा पास किये गये

---

†मूल अंग्रेजी में

उस संकल्प की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें उन्होंने कच्चे काजू के आयात को रोकने के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कारखानों द्वारा पूर्ण क्षमता से कार्य करने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) से (ग). माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट संकल्प सरकार को नहीं मिला है। देश में भारी स्टाक को देखते हुए कुछ समय के लिये कच्चे काजू का आयात बन्द करने का निश्चय किया गया है।

पांडिचेरी में पदाधिकारियों की वेतन वृद्धियां

†२५४३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धी :
श्री वोडयार :

क्या **प्रधान मंत्री** ५ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६९८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच पांडीचेरी में नियुक्त पदाधिकारियों की वेतनवृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने पांडीचेरी प्रशासन में काम करने वाले स्थायी भूतपूर्व फ्रांसीसी अफसरों के विलय के पूर्व के वेतनक्रमों पर १ जून, १९६० से तदर्थ प्रतिकर भत्ता अर्थात्; (एक) ३०१ रुपये अथवा अधिक वेतन पाने वालों के लिये ३५० रुपये ; (दो) १५१ से ३०० रुपये तक वेतन पाने वालों के लिये २५ और (तीन) १५० रुपये अथवा इस से कम वेतन पाने वालों के लिये १५ रुपये।

रबड़ के टायरों का निर्माण

†२५४४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ के टायरों के निर्माण के लिये पांच कारखाने खोलने की योजना को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). मालूम नहीं कि माननीय सदस्य किस

†मूल अंग्रेजी में

पांच योजनाओं का उल्लेख कर रहे हैं । निम्नलिखित तीन योजनायें हाल ही में स्वीकृत हुई हैं ।

फर्म का नाम	स्थान	क्षमता
१. मैसर्ज पी० जाहन जकारिया एंड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कोट्टयम, (केरल राज्य)	तहसील, कोट्टयम, जिला कोट्टयम, केरल राज्य	मोटर गाड़ी टायर और टयूबें—३ लाख प्रतिवर्ष ।
२. मैसर्ज गुडईयर इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता	वल्लभगढ़, जिला गुड़गांव, पंजाब ।	तदेव
३. यूनिवर्सल टायर्स, कलकत्ता	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	तदेव

पंजाब के लिये औद्योगिक विकास योजनायें

†२५४५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :

क्या **योजना** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये पंजाब सरकार से अन्तिम औद्योगिक विकास योजनायें प्राप्त हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**योजना उपमन्त्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख) राज्य सरकार की अन्तिम प्रस्थापनायें अभी आनी हैं ।

औद्योगिक आंकड़ों का संकलन

†२५४६. **श्री रामकृष्ण गुप्त**
श्री चुनीलाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करने के लिये विकास कक्ष में एक सांख्यकीय शाखा स्थापित करने की प्रस्थापना पर इस समय क्या कार्यवाही हो रही है ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : सांख्यकीय शाखा द्वारा अपेक्षित सांख्यकीय मशीनरी इस समय उपलब्ध नहीं है । अगले नवम्बर/दिसम्बर तक सारी मशीनरी प्राप्त हो जायेगी । वर्तमान कर्मचारियों के अतिरिक्त नई मशीनरी के लिये अपेक्षित कर्मचारियों के बारे में विचार किया जा रहा है ।

राज्य व्यापार निगम

†२५४७. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात बढ़ाने का काम राज्य व्यापार निगम को सौंपने की संभावना पर विचार किया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)**: (क) राज्य व्यापार निगम को पहले भी निर्यात बढ़ाने का ही काम सौंपा हुआ है ।

(ख) १९५७–५८ में राज्य व्यापार निगम द्वारा २०·९९ करोड़ रुपये का; १९५८–५९ में २३·३७ करोड़ रुपये का; १९५९–६० में २४·४७ करोड़ रुपये का और १९६०–६१ में ३६·५३ करोड़ रुपये का निर्यात किया गया ।

ब्रिटेन में भारतीय युवकों के साथ बुरा बर्ताव

†२५४८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लन्दन निवासी श्री जी० सी० दास द्वारा की गई शिकायतों की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया कि इंडिया हाउस के कुछ अफसरों ने अपने घरेलू नौकरों (भारतीय युवकों) के साथ बुरा बर्ताव किया है;

(ख) क्या ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त को भी ये शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख) श्री जी० सी० दास , ब्रिटेन के एक निवासी, इस मामले में दिलचस्पी लेते रहे हैं और वह लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग को बड़ी कटु भाषा में ऐसी शिकायतें भेजते रहे हैं ।

(ग) श्री दास द्वारा बताये गये प्रत्यक मामले की जांच की गई परन्तु उनमें कोई तथ्य नहीं था ।

मूल कठिनाई यह है कि ब्रिटेन में भारतीय कर्मचारी जिन भारतीय नौकरों को ले गये हैं वे वहां स्थायी तौर पर बसना चाहते हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार हम उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं सकते । सरकार ने इसके लिये कार्यवाही की है कि भारतीय घरेलू नौकरों को उचित मजूरी मिले और उनके साथ अच्छा सलूक किया जाये । जो लोग नौकरों को विदेश ले जाना चाहेंगे उन्हें उत्प्रवासी महा प्रबन्धक को लिखित रूप में यह देना पड़ेगा तभी उन्हें इसकी अनुमति दी जायेगी ।

गन्दी बस्तियों के हटाने सम्बन्धी अधिनियम

†२५४९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **निर्माण, आवस और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने गन्दी बस्तियों को हटाने अथवा सुधारने संबंधी अधिनियम पास किये हैं ;

(ख) क्या ये अधिनियम पास करने से भूमि को शीघ्र और उचित मूल्य पर अर्जित करने में सहायता मिली है ;

(ग) क्या राज्य की योजनाओं के लिये केन्द्रीय राज सहायता की दर बढ़ा दी जायेगी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने कलकत्ता में गन्दी बस्तियां हटाने और आवास योजनाओं के लिये राज सहायता मांगी है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) गन्दे क्षेत्र (सुधार तथा हटाया जाना) अधिनियम, १९५६ के अतिरिक्त, जो दिल्ली और त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होता है, निम्नलिखित राज्यों ने गन्दी बस्तियों को हटाने अथवा उनमें सुधार करने के लिये निम्नलिखित विधान बनाये हैं :

(एक) असम .	असम गन्दे क्षेत्र (सुधार तथा हटाना) एक्ट, १९५९
(दो) मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश गन्दी बस्तियां सुधार (भूमि का अर्जन) एक्ट, १९५६
(तीन) मद्रास	मद्रास गन्दी बस्तियां सुधार (भूमि का अर्जन) एक्ट, १९५४
(चार) मैसूर . . .	मैसूर गन्दे क्षेत्र (सुधार तथा हटाना) एक्ट, १९५८
(पांच) पंजाब . .	पंजाब गन्दे क्षेत्र (सुधार तथा हटाना) एक्ट, १९६०
(छै) पश्चिमी बंगाल . .	कलकत्ता गन्दी बस्तियां हटाना और बस्तियों के निवासियों का पुनर्वास एक्ट, १९५८।

(ख) गन्दी बस्तियां हटाना/सुधारना अधिनियमों के अन्तर्गत किसी राज्य ने भूमि अर्जित नहीं की है परन्तु अर्जन करने के लिये कार्यवाही आरम्भ की है।

(ग) अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर और मद्रास में गन्दी बस्तियां हटाने की छै परियोजनाओं की अनुमोदित लागत में जो २५ प्रतिशत केन्द्रीय राज सहायता दी जानी थी वह जुलाई १९५९ में बढ़ा कर ३७$^{1}/_{2}$ प्रतिशत कर दी गई। जुलाई, १९६१ में राज्य सरकारों को यह अनुमति दी गई थी कि यदि वे चाहें तो अन्य नगरों को भी (बेहतर हो कि जिनकी जनसंख्या एक लाख या अधिक हो) जहां किराये की दर घटाना जरूरी हो बढ़ी हुई दर से राज सहायता दे सकते हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की रहने की दशा को सुधारने की योजनाओं और भंगियों आदि के रहने की व्यवस्था करने सम्बन्धी परियोजनाओं के लिये साढ़े बारह प्रतिशत राज सहायता और दी जा सकती है।

(घ) गन्दी बस्तियां हटाने के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में पश्चिमी बंगाल को ३१·४३ लाख रुपये राज सहायता (४२·२२ लाख रुपये ऋण के अतिरिक्त) दी गई थी। १९६१-६२ के लिये राज्यों को दी जाने वाली राशियों के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूमि का कटाव

†२५५०. **श्री खीमजी :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने भूमि के परिरक्षण और सुधार के बारे में और भूमि के कटाव को रोकने के बारे में एवं कच्छ की खाड़ी को कृषि योग्य बनाने के बारे में भारत सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का परीक्षण करने और प्रतिवेदन देने के लिये एक रूसी विशेषज्ञ डा० लिनायड कोडिन को नियुक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या डा० लिनायड कोडिन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है और यदि हां, तो क्या सिफारिशें की गई हैं ?

†**प्रधान मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की। डा० लिनायड कोडिन को भारतीय सांख्यकीय संस्था, कलकत्ता ने भारत में विशेषकर मरुभूमि और बंजर प्रदेशों के प्रदेशीकरण सम्बन्धी समस्याओं पर परामर्श करने के लिये आमन्त्रित किया था।

केरल का औद्योगिक विकास

†२५५१. **श्री कुन्हन् :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केरल राज्य में बड़े औद्योगिक कारखाने स्थापित करने के लिये उस सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) तथा (ख). केरल राज्य सरकार अन्य राज्य सरकारों की तरह यह अभ्यावेदन देती रही है कि केन्द्रीय सरकार को तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केरल में सरकारी उद्योग क्षेत्र के कुछ भारी औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने चाहिये। इस प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है।

सरदार बल्लभभाई पटेल की जीवन-गाथा

२५५२. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ४ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरदार बल्लभभाई पटेल की जीवन-गाथा प्रकाशित करने के कार्य में इस बीच क्या प्रगति हुई है और देर से देर कब तक इस पुस्तक के प्रकाशित हो जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर) : सरदार पटेल की जीवनी की पांडुलिपि तैयार करने का काम एक योग्य लेखक को सौंप दिया गया है। इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि पुस्तक को जितनी जल्दी हो सके प्रकाशित किया जाये। परन्तु पुस्तक प्रकाशित करने की किसी निश्चित तिथि का बताना इस समय कठिन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कानपुर में अस्पताल

†२५५३. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल बन गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने मरीजों का उपचार हो सकता है ;

(ग) क्या कामगरों के परिवार भी इस अस्पताल में दाखिल हो सकते हैं ; और

(घ) क्या क्षय के रोगियों के लिये कुछ विशेष प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) उसका निर्माण पूरा हो चुका है ।

(ख) उसमें ११२ मरीजों के लिये जगह है और इसे आखिर ३०० तक बढ़ा दिया जायेगा ।

(ग) इस समय बीमा हुए लोगों के परिवारों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अस्पताल में उपचार करवाने का अधिकार नहीं है ।

(घ) कानपुर में क्षय के रोगियों के लिये एक अलग अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है । क्षय रोग से पीड़ित बीमा हुये लोगों का उपचार इस समय लाला लाजपत राय अस्पताल और क्षय रोगी श्रमिकों के सरकारी अस्पताल, कानपुर में किया जाता है ।

पंजाब में जवाहर नगर और पटेल नगर बस्तियां

†२२५४. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अबोहर (पंजाब) के निकट जवाहर नगर और पटेल नगर बस्तियों में (जिन्हें पहले जामू और सक्खर बस्तियों के नाम से जाता था) ८,००० विस्थापित व्यक्तियों के घरों को फिर से बांटा जा रहा है जब कि इन लोगों ने अपने घरों की मरम्मत पर बहुत पैसा खर्च कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि इन लोगों में बहुत नाराज़गी है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) तथा (ख). १९५१ में जब जामू और सक्खर बस्तियों में मकानों को सामान्य रूप से बांटा गया तो कुछ लोगों ने गलत ढंग से मकान ले लिए । इन गांवों में भूमि प्राप्त करने वालों द्वारा अभ्यावेदन भेजने पर अधिकृत चीफ सेटलमेंट कमिश्नर ने १० मई, १९५८ को एक न्यायिक आदेश जारी किया जिसके द्वारा चालू नियमों के अनुसार मकानों के पुनः आवंटन का निदश दिया । आदेश की मुख्य-मुख्य बात विवरण में दी गई है जो कि टेबल पर रखा गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५९]**

---

†मूल अंग्रेजी में

इस आदेश का पंजाब उच्च न्यायालय ने एक लेख याचिका पर समर्थन किया था । कुल १६२ मकानों को पुनः बांटा जायेगा ।

(ग) हमें ज्ञात नहीं ।

भारतीय फिल्मों के लिये बाजार

†२५५५. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री नेक राम नेगी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच व्यक्तियों के एक प्रतिनिधि दल ने भारतीय चलचित्रों की खपत के विषय में अध्ययन के लिये अपना दौरा पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस दल ने किस किस देश का दौरा किया है ;

(ग) क्या उन्होंने अपने दौरे की रिपोर्ट पेश की है; और

(घ) यदि हां, तो किन देशों में भारतीय चलचित्रों की अधिक मांग हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री केसकर)** : (क) विदेश में भारतीय चलचित्रों की खपत के विषय में अध्ययन के लिये अभी तक कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा गया ।

(ख), (ग), और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मद्रास में केबल बनाने का कारखाना

†२५५६. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में लगाये जाने वाले केबल बनाने के एक कारखाने के लिये अनुज्ञप्ति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आवश्यक विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गई है ; और

(ग) इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी और वह किस देश की होगी ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) निम्नलिखित फ़र्मों को केबल और तारों के निर्माण के लिये मद्रास में नये औद्योगिक उपक्रम खोलने के हेतु उद्योग (विकास तथा विनियमन) एक्ट, १९५१ के अन्तर्गत अनुज्ञप्तियां दी गई हैं :—

(एक) मद्रास केबल्स लिमिटेड

(दो) सेदन केबल कारपोरेशन

(तीन) ओमेगा इंस्लेटेड केबल कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

(चार) साउथ इंडिया केबल कम्पनी लिमिटेड

(ख) पूंजीगत साज सामान के आयात के लिये प्रस्थापनायें अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं की गईं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निम्नआय वाले वर्ग के लिये आवास योजना

†२५५७. **श्री दामानी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में देश में निम्न आय वाले वर्ग के लिए आवास योजना के अधीन योजनाओं की कार्यान्विति में क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : प्रत्येक राज्य /संघ राज्य क्षेत्र में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्न आय वाले वर्ग के लिये आवास योजना के अन्तर्गत की गई प्रगति का एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६०]**

वहनीय नाभिकीय विद्युत् संयंत्र[1]

†२५५८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक ८ मई, १९६१ के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया जिसमें बताया गया है कि इडाहो प्रपान, इडाहो के निकट नेशनल रिएक्टर टेस्टिंग स्टेशन में एक वहनीय नाभिकीय विद्युत् संयंत्र—जिसके बारे में दावा किया गया है कि वह संसार में अपनी किस्म का पहला संयंत्र है —तैयार किया गया है और चालू किया गया है ;

(ख) क्या इस संयंत्र के बारे में पूरा ब्योरा तैयार करने के लिए कोई प्रयत्न किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्रधान मन्त्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क), (ख) तथा (ग). जी हां। सरकार ने उक्त समाचार देखा है। इस रिएक्टर में बंद साइकल गैस कूलेंट प्रणाली का प्रयोग किया गया है जिसमें गर्म गैस को सीधे टारवाइन को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह बिल्कुल प्रयोगात्मक रिएक्टर है जिसकी आकर्षण पूर्ण बातें ये हैं कि वह तुलनात्मक दृष्टि से हल्का है और सुगमता से उसका संचालन किया जा सकता है। इस स्थिति में अनुमान है कि इस प्रणाली की कुशलता तुलनात्मक दृष्टि से कम होगी ।

हलका ट्रक

†२५५९. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक ८ मई, १९६१ के इंडियन एक्सप्रैस में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि इंगलैंड की एक फर्म ने एक हलके ट्रक का आविष्कार और विकास किया है जो सेफ, रिफ्रेजेरेटर आदि भारी वस्तुओं को ऊपर की सीढ़ियों पर ले जाने के लिए उन सीढ़ियों के ऊपर और नीचे जा सकता है जो विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिये बनाये जाते हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार के ट्रक के ब्योरे के बारे में कुछ और पूछ ताछ की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). सरकार ने माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट समाचार देखा है किन्तु उस में उल्लिखित ट्रकों के बारे में कोई पूछ ताछ नहीं की।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Portable Nuclear Power Plant.

कपड़ों पर मुहर लगे मूल्य

†२५६०. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ों आदि पर मुहर लगे मूल्यों में बताया गया लाभ मुख्यतः मध्य बिक्रेता के पास चला जाता है और परचून माल बेचने वालों के हिस्से में कुछ नहीं आता ; और

(ख) इसके परिणाम स्वरूप कपड़ों आदि का मुहर लगे मूल्यों से अधिक मूल्य पर बिकना रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) नहीं श्रीमान। मिल के मूल्यों पर लाभ का हिस्सा १५ प्रतिशत से बढ़ाकर १८ प्रतिशत कर दिया गया है जिससे परचून बिक्रेताओं को उपयुक्त लाभ मिल जाता है ।

(ख) कोई विशेष कदम उठाने का विचार नहीं है क्योंकि कपड़े आदि अधिकतर मुहर लगे मूल्यों पर उपभोक्ताओं को मिल जाते हैं।

दिल्ली में एलाट किये गये मकानों का नीलाम

२५६१. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में लाजपत नगर तथा अन्य स्थानों पर कुछ शरणार्थियों को एलाट किये गये मकान उन के द्वारा आखिरी तारीख निकलने से पहले पहली किश्त जमा किये जाने के बाद भी नीलाम कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह गलती दुरुस्त करेगी ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६१**]

'एच' टाइप क्वार्टरों के लिये पंखे

†२५६२. **श्री बलराज मधोक** :
श्री राम गरीब :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दशरथ देव :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री प्रभातकार :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री २ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३१८ के उत्तर के संबंधमें यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राजधानी में गर्मी का मौसम बहुत सख्त होने और पंखों के अत्यधिक मूल्यों को, जो निरंतर बढ़ रहे हैं दृष्टिगत रखते हुए 'एच' टाइप क्वार्टरों में पंखे लगाने के प्रश्न पर पुनः विचार किया जायेगा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि १५० रुपये तक वेतन क्रम वाले केन्द्रीय सरकार के सब कर्मचारियों से ७ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत दर से किराया वसूल किया जाता है और इसलिए 'एच' टाईप और 'जी' टाईप क्वार्टरों का किराया एक ही है और यदि हां तो उन दो प्रकार के क्वाटरों में सुविधाओं की व्यवस्था में असमानता क्यों होनी चाहिये ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : श्रेणी ४ के क्वार्टरों में छत के पंखे लगाने के प्रस्ताव पर, निधि उपलब्ध होने पर पुनर्विचार किया जायगा जब आवास की वर्तमान कमी को पूरी हो जायगी ।

(ख) १४६ रुपये तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों से वेतन का ७ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत या एफ आर ४५-ए के अन्तर्गत प्रामाणिक किराया, दोनों में से जो भी कम हो वसूल किया जाता है । एक कर्मचारी द्वारा देय किराया वस्तुतः उसके वेतन पर निर्भर करता है । इस प्रकार 'जी' टाइप क्वार्टर वालों से जो किराया वस्तुतः वसूल किया जाता है वह 'एच' टाइप क्वार्टर वालों द्वारा देय किराये से अधिक होता है । इसके अतिरिक्त श्रेणी ४ के कर्मचारियों के लिए जो क्वार्टर हैं वे उच्च आय वाले कर्मचारियों को नहीं दिये जाते जब कि 'जी' टाइप क्वार्टर कभी कभी १५०–२४६ रुपये के वेतन क्रम वाले कर्मचारियों को भी दिये जा सकते हैं । उस स्थिति में वेतन का १० प्रतिशत किराया वसूल किया जाता है । इस प्रकार 'जी' और 'एच' टाइप क्वार्टरों से वसूल किये जाने वाले किरायों और उनके परिणाम स्वरूप इस प्रकार के क्वार्टरों में उपलब्ध सुविधाओं के बीच तुलना करना ठीक नहीं है ।

प्रबन्ध अभिकर्ता

†२५६३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ७ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) १ अप्रैल, १९५६ के बाद की अवधि में प्रबंध अभिकर्ताओं की पुनर्नियुक्ति और/अथवा उन्हें देय पारिश्रमिक के बारे में सरकार की सामान्य नीति के अनुसार न चलने की अनुमति विशेष प्रकार की कितनी कम्पनियों को दी गई ;

(ख) इस अपवाद की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री काननगो)** : (क) तथा (ख). समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ३२६ के अन्तर्गत प्रबंध अभिकर्ताओं की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति की शर्तों के बारे में सरकार द्वारा बनाये गये सामान्य सिद्धान्तों में अपवाद के लिए ४७ मामले हुए । अलग अलग मामलों में अपवाद की अनुमति समवाय विधि सलाहकार आयोग के परामर्श पर, सरकार द्वारा बनाये गये उन पथ प्रदर्शक सिद्धांतों के अनुसार दी गई जो कि ६ मार्च, १९६१ को सभा पटल पर रखी गई ३१ मार्च, १९६० को समाप्त वर्ष से सम्बंधित समवाय अधिनियम, १९५६ के कार्य संचालन और प्रशासन सम्बन्धी चौथी वार्षिक रिपोर्ट के पैरा ८२ में पहले ही विस्तारपूर्वक दी जा चुकी है ।

कूपर्स केम्प, रानाघाट

†२५६४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कूपर्स केम्प रानाघाट को एक नगर बनाने के लिए दिये गये वचन को केन्द्रीय मंत्रालय ने क्यों त्याग दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चन्द्रनगर के निकट नगर बनाने के क्या कारण हैं ;

(ग) ऐसे विभिन्न शिविरों को नगर बनाने के लिए जिनमें बहुत से शरणार्थी एकत्र हो गये थे, मंत्रालय ने जो योजना बनाई थी उसका क्या हुआ है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) यदि निर्देश पुनर्वास मंत्रालय की ओर है तो इस मंत्रालय ने कोई ऐसा वचन नहीं दिया था । किन्तु पश्चिमी बंगाल सरकार कूपर्स केम्प को एक छोटी नगरीय बस्ती बनाने के प्रस्ताव पर विचर कर रही है जिसके लिए भूमि अर्जित कर दी गई थी और विस्तृत योजनाएं तथा अनुमान तैयार किये जा चुके हैं । यह समाचार मिला है कि कूपर्स केम्प के छोटे मोटे व्यापारियों के लगभग ५०० परिवार पहले ही कार्यक्रम के एक भाग के रूप में इस बस्ती में बसाये जा चुके हैं ।

(ख) चन्द्रनगर के निकट नया उपनगर स्थापित करने की कोई प्रस्थायना नहीं है ।

(ग) जिन बस्तियों में बड़े-बड़े शिविर हैं वहां उपनगर बसाने के प्रश्न का अब कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है क्योंकि खेतीहर परिवार दण्डकारण्य उत्तर प्रदेश अन्दमान आदि में बसाये जा रहे हैं और जो परिवार खेतीहर नहीं उन्हें बाइनानामा और अन्य योजनाओं के अन्तर्गत बसाया जा रहा है ।

सर्जिकल रूई का निर्माण

†२५६५. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्जिकल रूई भारत में बनाई जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां और कितनी मात्रा में ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अनुमान है कि कपास के १५,००० गठ्ठे (प्रत्येक गट्ठा ४०० पाउंड का होता है) सोखने वाली कपास के निर्माण में लगाये जाते हैं । शल्य चिकित्सा के लिए अपेक्षित रूई कितनी तैयार की जाती है इसके निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

बिजली के मीटर का कारखाना

†२५६६. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पोलैंड के साज-सामान से बिजली के मीटर का एक कारखाना स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां और गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र में अथवा सरकारी उद्योग क्षेत्र में ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तथा (ख). मेसर्स इलेक्ट्रो इक्विपमेंट कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई (जो पहले खेमका एंड कम्पनी (एजेंसीज़) प्राइवेट लिमिटेड के नाम से विख्यात थी) को गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र में पोलेंड के मेसर्स केम्प की सहायता से घरों में काम आने वाले ६०,००० मीटर प्रतिवर्ष तैयार करने के हेतु बम्बई में एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए उद्योग अधि नियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति दी गई है

†मूल अंग्रेजी में

मैसूर मे अल्युनिनियम परियोजना

†२५६७. **श्री बि० दास गुप्त :**
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री न० म० देव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के लिए कोई अल्युमिनियम परियोजना निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी सहायता से और क्या सरकारी उद्योग क्षेत्र में या गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र में ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) तथा (ख). एक गैर सरकारी समवाय से अमरीका के मेसर्स रेनाल्ड के सहयोग मैसूर राज्य में एल्युमिनियम पिघलाने का कारखाने स्थापित करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए एक प्रार्थना पत्र मिला है और उस पर विचार किया जा रहा है।

विदेशों को सहायता

†२५६८. **श्री दामानी :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष १९६१ में पड़ोसी देशों को सहायता अनुदान देने के लिए क्या वचन दिये हैं ;

(ख) उन वचनों में से कौन कौन से अभी पूरे नहीं किये गये ?

†**प्रधान मन्त्री और वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नहरू)** : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है ---

नेपाल . .	. तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने नेपाल को १८ करोड़ रुपये तक सहायता देने का वचन दिया था जिसमें १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में ३.२२ करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है। १४.७८ करोड़ रुपये की सहायता का वचन बाकी है।
सिक्किम . .	. भारत सरकार ने सिक्किम की दूसरी विकास योजना के अन्तर्गत सिक्किम में विकास कार्य की लागत पूरी करने की सहमति दी है। योजना के अन्तर्गत कुल व्यय पांच वर्षों (१९६१-६६) में ८.१३ करोड़ रुपये किया जायेगा। १९६१-६२ में १०१.५ लाख रुपये के काम का अनुमान है।
भटान .	. भारत सरकार ने भूटान की पांच वर्षीय योजना (१९६१-६६ की लागत पूरी करने के लिये सहमति दे दी है। कुल १७.५ करोड़ रुपये के व्यय की योजना है जिसमें से लगभग २ करोड़ रुपये की आवश्यकता १९६१-६२ में होगी ।

†मूल अंग्रेजी में

बर्मा और श्री लंका

. कोलम्बो योजना के देशों के जिनमें बर्मा और श्री लंका सम्मिलित हैं, उम्मीदवारों को प्रशिक्षण की सुविधायें देने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में ५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

नगरों का विकास

†२५६९. **श्री दशरथ देव :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में खोवाई, कमलपुर, कानिया शहर धर्मनगर, सोनामूर, अमरपुर, बेलोनिया, उदयपुर और सबरूम नगरों के विकास के लिये कोई योजनायें हैं ;

(ख) यदि हां, तो बनाई गई योजनाओं की रूप रेखा क्या है ; और

(ग) क्या इन नगरों के विकास की देख रेख करने के लिए नगर क्षेत्र समितियां निर्वाचित की जायेंगी ?

†**योजना उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र):** (क) से (ग) ज्योंही त्रिपुरा प्रशासन से जानकारी मिलेगी एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

कैलाश और मानसरोवर की यात्रा

†२५७०. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल में चीन की इस घोषणा के बाद कि कैलाश और मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के संरक्षण और उन्हें सुरक्षित लाने लेजाने के लिए वह कोई गारंटी नहीं दे सकता, कितने यात्री उस यात्रा के लिये गय ; और

(ख) उनके संरक्षण तथा सुरक्षित प्रत्यवर्तन के लिऐ क्या उपाय किये गये ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) ३१ जुलाई, १९६१ तक भारत से ७४ यात्रियों के कैलाश और मानसरोवर जाने की सूचना मिली है । इस वर्ष कैलाश और मानसरोवर जाने के लिये भारतीय यात्रियों को अनुमति देने के लिये सहमत होते हुए तिब्बत स्थित चीनी अधिकारियों ने यह कहा था कि आरी जिले में कुछ विद्रोहियों की कार्यवाही के कारण यात्री अपनी सुरक्षा पर अधिक ध्यान दें और केवल लिपुलेख दर्रे से ही पश्चिम तिब्बत में आये जायें ।

(ख) १९५४ में दोनों सरकारों के बीच हुए पत्र व्यवहार में चीन गणतंत्र राज्य सरकार ने चीनी राज्य क्षेत्र में भारतीय यात्रियों के जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है । यह माना जाता है कि इस संबंध में उस सरकार ने आवश्यक कार्यवाही की है ।

काश्मीर में वर्स्टेड ऊन के धागे की सप्लाई

†२५७१. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर के शाल उद्योग में पश्मीने की जगह आस्ट्रेलियन ऊन के लच्छों से बानये गये वर्स्टेड धागे की सप्लाई की काफी कमी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या लद्दाख और तिब्बत प्रदेशों में पश्मीने की सप्लाई के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) वर्स्टेड धागे की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) सरकार जानती है कि विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण ऊन के लच्छों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने से ऊनी उद्योग के उस क्षेत्र में जो आयात किये गये ऊन के लच्छों से काते हुए वर्स्टेड धागे पर निर्भर रहता है, सूत की कमी से किसी हद तक प्रभाव पड़ा है। उससे उस हदतक शाल उद्योग पर भी संभवत: असर पड़ेगा। काश्मीरी शाल बुनने वालों को उस राज्य में तथा पंजाब से भी मिल से अपनी आवश्यकता के काफी बड़े हिस्से में सूत मिल जाता है।

(ख) कुछ शालें स्थानीय तौर पर उपलब्ध पश्मीने से भी तैयार की जा रही हैं। तिब्बत और लद्दाख से पश्मीने का आयात कम रहा है।

(ग) वर्स्टेड धागा तैयार करने में भारतीय ऊन का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिये ऊन उद्योग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे ऐसे सूत की सप्लाई की स्थिति संभवत: सुधर जायेगी।

हिमाचल प्रदेश में उद्योग

†२५७२. **श्री बहादुर सिंह :**
श्री नेकराम नेगी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में ऐसे छोटे और बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए जिनके लिये स्थानीय रूप से कच्चा माल मिल जाता है, कोई योजना तैयार की गयी है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए ग्रामोद्योग तथा बड़े उद्योगों के लिए अलग अलग कितनी रकम नियत की गयी है ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए लोगों को कुछ ऋण भी दिया जायेगा ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) कुटीर तथा छोटे उद्योगों और बड़े उद्योगों के लिए क्रमश : १८.०५ लाख रुपया और २० लाख रुपया रखा गया है।

(ग) जी हां।

अनिवार्य भविष्य निधि

†२५७३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पिछले तीन महीने में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन अनिवार्य भविष्य निधि के लाभ कुछ और उद्योगों के लिए भी लागू किये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किन किन उद्योगों के लिए ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत और कितने कर्मचारी आ जायेंगे ?

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) यह अधिनियम मई, १९६१ से जुलाई, १९६१ तक की अवधि में प्रत्येक के आगे दिखाई गयी तारीख से निम्नलिखित उद्योगों/प्रतिष्ठानों के वर्ग पर लागू किया गया है :—

१. स्टार्च उद्योग	३१–५–१९६१ से
२. होटल	३०–६–१९६१ से
३. रेस्टरां	,,
४. पेट्रोलिम या प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस में से किसी एक की बनी वस्तुओं के भंडार या परिवहन या वितरण से संबंधित प्रतिष्ठान . .	,,
५. पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस की खोज, अन्वेषण छिद्रण या उत्पादन . .	,,
६. पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस की सफाई	,,
७. सिनेमा जिनमें रिव्यू थियेटर भी शामिल हैं	३१–७–१९६१ से
८. चलचित्र स्टूडियो	,,
९. चलचित्र उत्पादन कंपनियां . .	,,
१०. एक्सपोज्ड फिल्मों से संबंधित वितरण संस्थाएं .	,,
११. फिल्म प्रोसेसिंग प्रयोगशालायें . .	,,

(ग) अनुमान है कि यह अधिनियम इन उद्योगों/प्रतिष्ठानों के वर्ग पर लागू किये जाने और १ लाख कर्मचारी इसके अन्तर्गत आ जायेंगे ।

पूर्व जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य से माल का आयात

†२५७४. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और पूर्व जर्मन लोकतंत्र गणराज्य सरकार के बीच रुपया भुगतान पर उस देश से कपड़ा मशीनरी सहित कुछ माल आयात करने के बारे में बातचीत चल रही थी ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में इस बीच करार हो गया है ; और

(ग) उस करार की शर्तें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) दिसम्बर, १६५६ में भारत सरकार और पूर्व जर्मन लोकतंत्र गणराज्य सरकार के बीच एक व्यापार करार हुआ था जिसके अधीन रुपया भुगतान पर उस देश से कपड़ा मशीनरी सहित कुछ माल मंगाया जा रहा है।

(ग) करार की प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० ३१६७/६१]**

क्वालालम्पुर तथा सिंगापुर में भारतीय माल की प्रदर्शनी

†**२५७५. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २६ मार्च, १६६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५०५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तैयार किये गये माल की प्रदर्शनीयां क्वालालम्पुर तथा सिंगापुर में की गयी थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन प्रदर्शनीयों के कारण गैर सरकारी व्यापारियों तथा मलाया सरकार की ओर से अच्छा और उत्साहजनक प्रत्युत्तर मिला ;

(ग) यदि हां, तो किस हद तक ; और

(घ) किस प्रकार की वस्तुओं के कारण अधिक पूछताछ हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) १५० व्यापारिक पूछताछ प्राप्त हुई। कुछ एजेन्सियों के साथ बातचीत की गयी और अभी कुछ के साथ बातचीत चल रही है। मलाया सरकार प्रदर्शनी की वस्तुओं से प्रभावित होकर इस वर्ष के आखिर के करीब भारत में एक खरीद-शिष्टमंडल भेजने का विचार कर रही है।

(ग) मशीनी औजार और दूसरा इंजीनियरी सामान, क्राकरी और शीशे के बर्तन, सिनोलियम डिब्बों में बन्द तथा परिष्कृत खाद्य पदार्थ, दवाइयां और रसायनिक पदार्थ, कपड़ा, दस्तकारी जूता आदि ।

ऑस्लर इलैक्ट्रिक लैम्प कम्पनी बम्बई

†**२५७६. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एच० डी० मूंदड़ा के स्वामित्व की ऑस्लर इलैक्ट्रिक लेम्प कम्पनी, बम्बई, समाप्त कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मूल्य कितना था ;

(ग) क्या वह २ लाख रुपये में फिलिप्स एण्ड कम्पनी को बेच दी गयी थी ;

(घ) यदि हां, तो बोली बोलने वाले कौन थे; और

(ङ) क्या वही सबसे ऊंची बोली थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां। श्री एच० डी० मूंदड़ा एक डायरेक्टर था और उसका मालिक नहीं।

(ख) ३१ जुलाई, १९५५ को इस कंपनी के सबसे ताजे तलपट के अनुसार इस कंपनी की परिसम्पद का मूल्य १,१२,९५,०२५ रुपये था और स्थिर परिसम्पद् (ज़मीन और इमारतों सहित) का मूल्य (ह्रास घटाकर) ४०,२६,७०० रुपये था। चूंकि समापन आदेश की तारीख तक कम्पनी के खाते अभी तक सरकारी परिसमापक के पास नहीं पहुंचे हैं इसलिए समापन आदेश के समय तक कंपनी के वसूल किये जा सकने लाले परिसम्पद् का कुल मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका।

(ग) जी नहीं। बंबई में कम्पनी की संपति जिसमें मशीनरी, नाम (गुडविल) और सामान शामिल था, अदालत ने मेसर्स फिलिप्स (इंडिया) लिमिटेड को ५१,००,१२३ रुपये की कीमत पर बेच दिया था।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) अदालत द्वारा बिक्री के समय मेसर्स फिलिप्स (इंडिया) लिमिटेड की बोली सबसे ऊंची थी। अदालत के जरिये बिक्री पूरी हो जाने के बाद श्री एच० डी० मूंदड़ा ने पंजाब कमर्शियल कंपनी लिमिटेड के जरिये और ऊंची बोली दी थी। अदालत ने वह बोली मंजूर नहीं की।

कानपुर में मूंदड़ा फर्में

†२५७७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में मूंदड़ा फर्मों में से एक, इकोमी, परिसमापित कर दी गयी थी और २ लाख रुपये में बेच दी गयी थी ;

(ख) क्या किसी व्यापारी ने २५ लाख रुपये की रकम का प्रस्ताव रखा था ; और

(ग) सरकार ने यह संस्था अपने हाथ में क्यों नहीं ले ली ;

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : संभवत : माननीय सदस्य का निर्देश कानपुर काटन मिल्स से है, जिस शाखा में ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर सूती कपड़ा तैयार करने और बेचने का काम करता था और यदि ऐसा हो तो उत्तर एस प्रकार है :—

(क) इन मिलों में दो कारखाने थे, एक जूही में और दूसरा कूपर गंज में। ये दोनों ही कानपुर की बस्तियां हैं। पहला कारखाना ३१ जनवरी, १९५४ को और दूसरा १६ फरवरी, १९५९ को बन्द कर दिया गया था। पहले कारखाने की अधिकतर मशीनें १९५७ में बेच दी गयी थीं। कूपरगंज कारखाना एलिगन मिल्स लिमिटेड को ३५ लाख रुपये में बेच दिया गया था।

(ख) जी हां। ज्ञात हुआ है कि २५ लाख रुपये का ज़बानी प्रस्ताव रखा गया था।

(ग) चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त संचालक मंडल निगम का प्रबन्ध कर रहा था, इसलिये सरकार द्वारा ये मिलें अपने हाथ में ले लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

परताबपुर कम्पनी लिमिटेड

†२५७८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री एच० डी० मूंदड़ा के स्वामित्व की परताबपुर कंपनी लिमिटेड २ लाख रुपये में बेच दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जानती है कि इस मिल का वास्तविक मूल्य क्या है ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां। परताबपुर कंपनी ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर की एक सहायक संस्था थी। ३१ अक्तूबर, १९५७ को समाप्त वर्ष के लिए उपर्युक्त सहायक कंपनी के खातों से यह पता चलता है कि ३१ अक्टूबर, १९५७ को उसकी प्राधिकृत, जारी और बिक्री पूंजी इस प्रकार थी :—

६०,००० दस दस रुपये के १० प्रतिशत संचयी पूर्वाधिकार अंश जो नकदी पूर्णतः प्रदत्त हों	६ लाख रुपये
९०,००० दस दस रुपये के साधारण अंश जो नकदी के अलावा अन्यथा प्रदत्त हों	९ लाख रुपये
	१५ लाख रुपये

समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा २१२ (१) (ङ) के अनुसरणमें ३१ दिसम्बर, १९५७ को समाप्त वर्ष के लिए ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड के खातों में संलग्न विवरण से यह दिखाई पड़ता है कि निगम और उसकी सहायक कंपनियों के पास परताबपुर कंपनी लिमिटेड के १७,९५० संचयी अंश और ५७,५१५ सामान्य अंश थे। ३१ दिसम्बर, १९५८ को समाप्त वर्ष के लिये खातों के संबंध में निगम के संचालक मंडल की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि निगम ने उस वर्ष में १०,१४,४३४ रुपये के मनाफे पर परताबपुर कंपनी लिमिटेड के सारे निवेश बेच दिये। निगम की दूसरी सहायक कंपनी बेग सदरलैंड एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के खातों से यह दिखाई पड़ता है कि परताबपुर कंपनी लिमिटेड में उसके निवेश १०,८८१ रुपये के मुनाफे पर १९५८ में बेच दिये गये थे।

(ख) जी नहीं।

कच्ची फिल्में और मूलभूत रासायनिक पदार्थ तैयार करना

†२५७९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी सहयोग से कच्ची फिल्में और मूलभूत रासायनिक पदार्थ और मध्यवर्ती पदार्थ तैयार करने की योजनाएं किस दिशा में है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :

कच्ची फिल्म परियोजना :

इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये मद्रास में नवम्बर, १९६० में पंजीकृत पूर्णतः सरकारी कम्पनी हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ने जमीन समतल करने

†मूल अंग्रेजी में

और इमारतें आदि बनाने के लिये प्रारंभिक कार्यवाही की है। परियोजना रिपोर्टें फ्रान्स के मेसर्स बॉशेट को प्राप्त हो चुकी हैं और उनकी ब्यौरेवार छानबीन हो रही है। फ्रांसीसी फर्म के कारखानों में प्रशिक्षण के लिये भारतीय इंजीनियर और टैक्नीशियन फ्रांस भेजे जा रहे हैं।

मूलभूत रासायनिक और मध्यवर्ती पदार्थ परियोजना :

यहां भी परियोजना कार्यान्वित करने के लिये जर्मन संघ के सहयोग से सरकार द्वारा स्थापित कम्पनी, हिन्दुस्तान आर्गनिक केमिकल्स लिमिटेड ने जमीन समतल बनाने तथा कारखाने और इमारतें बनाने के लिये प्रारम्भिक कार्यवाही की है। रासायनिक पदार्थ तैयार करने के लिये आवश्यक संयंत्र और मशीनों का ब्यौरा जर्मन फर्मों ने दे दिया है। करार के अनुसार उन्हें खरीदने के लिये भुगतान की शर्तें उन्हें बता दी गयी हैं। कारखाने का नकशा, सप्लाई करने वालों का चुनाव और परियोजना के लिये उपकरण आदि की बातें तय करने के लिये कम्पनी के पदाधिकारियों का एक दल शीघ्र ही जर्मनी जाने वाला है।

हथकरघा उद्योग

†२५८०. **श्री कालिका सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा उद्योग के सहकारी संगठनों की मौजूदा हालत क्या है ;

(ख) हथकरघा उद्योग के लिये सारे देश भर में सच्चे सहकारी संगठन कायम करने के लिये प्रोत्साहन देने के हेतु क्या ठोस कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ;

(ग) क्या कुछ सहकारी बुनाई संस्थाओं द्वारा उत्पादन के गलत हिसाब पेश कर बड़े पैमाने पर रियायत लिये जाने कों शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

अभी फिलहाल राज्यों में प्राथमिक और शीर्ष बनकर सहकारी संस्थाएं हैं। इनमें से कुछ संस्थाएं थोड़ा अच्छा मुनाफा कमाती हैं, कुछ लोग मुनाफा कमाती हैं, कुछ को घाटा होता है और कुछ संस्थाएं क्रियाहीन हैं। वर्तमान संस्थायें सच्चे सहकारी संगठन समझे जाते हैं। इसलिये सुप्त संस्थाओं को उचित सहायता देकर पुनरजीवित करने के अतिरिक्त वास्तविक सहकारी संगठन बनाने के लिये प्रोत्साहन देने के हेतु कोई विशेष कार्यवाही करना सरकार जरूरी नहीं समझती। रियायत योजना के दुरुपयोग के कुछ आरोप सरकार की जानकारी में हैं। सम्बन्धित राज्य सरकारों ने उनकी जांच पड़ताल की है। इस योजना का दुरुपयोग रोकने के लिये हर सम्भव सावधानी बरती जाती है।

मजदूर संघों के विकास के लिये अनुदान

२५८१. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मजदूर संघों के विकास के लिये कुछ अनुदान मंजूर किये थे;

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम मंजूर की गई थी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अनुदान की रकम के भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने श्रमिकों की शिक्षा के कार्य-क्रम को चलाने के लिये दो ट्रेड युनियनों को अनुदान मंजूर किया है ।

(ख) दस-दस हजार रुपये ।

(ग) अनुदान उचित रूप से खर्च हो, इसके लिये अनुदान लेने वाली संस्थाओं को एक समझौते की शर्तें माननी पड़ती हैं । इन शर्तों से सम्बन्धित कुछ कानूनी बातें पूरी करना बाकी हैं। इसलिये अनुदान की रक़म की अदायगी नहीं की जा सकी ।

केन्द्रीय कामगर शिक्षा बोर्ड

२५८२. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री अपने मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (१९६०–६१) के पृष्ठ ५ के पैरा १० के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय कामगर शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार किया गया साहित्य अब तक किन भाषाओं में प्रकशित हो चुका है;

(ख) इस वर्ष कौन-कौन सी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं;

(ग) सरकार कितने प्रकाशन श्रमिकों में मुफ्त बांटना चाहती है और कितने मूल्य पर बेचना चाहती है; और

(घ) क्या अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों के मूल्यों में कोई अंतर है?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (घ). अभी तक साहित्य प्रकाशित नहीं हुआ है ।

औद्योगिक बस्तियां

†२५८३. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने की योजना है;

(ख) इन बस्तियों पर कितना खर्च किया जायगा; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये राज्य को कितनी रकम केन्द्रीय सहायता के तौर पर दी जायगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) केरल में तीसरी पंचवर्षीय योजना में २५ वर्क शेड और ११ औद्योगिक बस्तियां कायम करने का विचार है । इसके अलावा, शहरों में जमीनों के विकास का काम भी इस अवधि में किया जायगा ।

(ख) अनुमान है कि तीसरी योजना अवधि में वर्क शेड, औद्योगिक बस्तियों और जमीनों के विकास पर क्रमशः २.५ लाख रुपये, ७० लाख रुपये और २२.२९ लाख रुपये की रकमें खर्च की जायेंगी ।

(ग) औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिये राज्य की योजनाओं के निमित्त तीसरी योजना में १२५ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है । केन्द्रीय सरकार यह सारी रकम राज्य को ऋण के तौर पर देगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि

२५८४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कोयला खान श्रमिक-कल्याण निधि के अधीन एक कार्यक्रम बना रही है जिसके अन्तर्गत श्रमिकों को साक्षर बनाने के अलावा उन्हें उत्पादन बढ़ाने और मजदूर संघों का संगठन करने का प्रशिक्षण दिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) कोयला खान मजदूरों को लिखना पढ़ना सिखाने के लिये कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था की ओर से बहुत से बालिग़ शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं । जुलाई १९६१ में इस संस्था ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय द्वारा शुरू की गई श्रमिक शिक्षा योजना चालू की । इस योजना के अनुसार, बालिग शिक्षा अध्यापकों को उत्पादन-क्षमता, ट्रेड यूनियन पद्धति इत्यादि की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे ट्रेनिंग के बाद इन विषयों को भी पढ़ा सकें ।

जेनेवा में प्रशुल्क-वार्ता

†**२५८५. श्री खीमजी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के तत्वावधान में जेनेवा में हो रहे प्रशुल्क वार्ता सम्मेलन के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) भारत किन किन देशों के साथ बातचीत कर रहा है और उसका परिणाम क्या रहा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) और (ख). यूरोपीय आर्थिक समदाय (बेल्जियम, फ्रान्स, पश्चिम जर्मनी, इटली, लम्ज़ेम्बर्ग और नीदरलैण्डस) और अमेरिका के साथ प्रशुल्क वार्ता चल रही है । आशा है कि आस्ट्रेलिया, फिनलैण्ड, नाइजेरिया, नार्वे और स्वीडेन के साथ भी बातचीत होगी । इन प्रशुल्क वार्ताओं के परिणाम उनके पूरे हो जाने के बाद ही मालूम होंगे ।

जार्ज टाउन में प्रो० शेनाय के साथ मारपीट

†२५८६. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री आसर :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री खाडिलकर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जार्ज टाउन में एक भारतीय प्रोफेसर श्री बी० आर० शेनाय को उनकी लेक्चर यात्रा के बाद पीटा गया था;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). ब्रिटिश गाईना में प्रो०बी० आर० शेनाय को उनकी यात्रा में कभी नहीं पीटा गया। पोर्ट मोरेन्ट पर किसी दर्शक ने, जहां वह स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था पर बोल रहे थे, मीटिंग समाप्त होने पर उनसे पूछा कि वह ब्रिटिश गाईना क्यों आये और उसके तुरन्त बाद ही कुछ गड़बड़ और शायद कुछ धमकी दी गई। डा० शेनाय की यात्रा के समय, गाईना में निर्वाचन पूर्व का तनाव था और प्रत्यक्ष है कि घटना इस भावना के कारणहुई कि डा० शनाये जो स्वतन्त्रता अर्थ-व्यवस्था की विशेषतायें बता रहे थे, फलस्वरूप डा० जगन का विरोध कर रहे थे और उनके विरोधियों का पक्ष ले रह थे।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

केरल में स्थापित होने वाली औद्योगिक परियोजनायें

†२५८७. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में केरल में सरकारी क्षेत्र में कौन कौन औद्योगिक परियोजनायें स्थापित होंगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६२]**

उत्तर प्रदेश में विस्थापित परिवार

†२५८८. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पयागपुर योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बहराइंच जिले में भेजे गये २९५ परिवार इस कारण बहुत परेशान हैं कि सरकार ने अपना वचन पूरा नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो समूची योजना को उचित रूप से लागू न करने के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) यह समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य किस वचन का उल्लेख कर रहे हैं। विस्थापित व्यक्तियों को राज्य सरकार की बनी और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्वास योजनाओं के अनुसार बसाया जाता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में उद्योगों का संवर्द्धन

†२५८९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० और १९६१ में अब तक दिल्ली प्रशासन ने विभिन्न उद्योगों को उनके संवर्द्धन के लिए ऋण व आर्थिक सहायता के रूप में कितनी धन-राशि दी है और उन उद्योगों के नाम क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : १९५९–६० और १९६०–६१ में दिल्ली प्रशासन द्वारा विभिन्न उद्योगों को दिये ऋण दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६३]**।

जम्मू तथा काश्मीर में केन्द्रीय परियोजनायें

†२५९०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने प्रथम और द्वितीय पंच वर्षीय योजनाओं में जम्मू तथा काश्मीर में क्या क्या परियोजनायें आरम्भ कीं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या परियोजनायें आरम्भ की जायेंगी ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नागपुर में "स्टील-वूल" कारखाना

†२५९१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स स्ट्यूवाल्स एण्ड कम्पनी नागपुर में एक "स्टील वूल" कारखाना स्थापित कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) हां, श्रीमान ।

(ख) बम्बई के मेसर्स स्ट्यूवाल्स एण्ड कम्पनी का प्रति वर्ष लगभग ३ लाख पाउण्ड "स्टील वूल" बनाने का बम्बई में एक कारखाना था । ३१ जनवरी, १९५८ को कारखाने में आग लग गई थी और तत्पश्चात् कोई उत्पादन नहीं हुआ है । कारखाने तथा मशीन को चालू करने के लिए अपेक्षित पुर्जे मंगाने के लिए हाल में उन्हें आयात लाइसेंस दिया गया है । फर्म ने सूचना दी है कि वे अपना कारखाना बम्बई से नागपुर ले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें बम्बई में कारखाने के लिए स्थान नहीं मिला है । महाराष्ट्र सरकार ने फर्म को नागपुर में औद्योगिक बस्ती में कारखाना-शेड दे दिया है ।

क्वार्टरों का दिया जाना

†२५९२. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ४ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० डब्ल्यू० और डी० डब्ल्यू० प्रकार के क्वार्टरों के उम्मीदवारों की सूची अप्रैल, १९६१ में अद्यतन बना दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह किन किन डिविज़नों में नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) हां, दो डिविज़नों के अतिरिक्त ।

(ख) (१) 'सी' डिविज़न ।

(२) 'एफ' डिविज़न ।

सूचियों को अद्यतन न बनाने का कारण यह है कि मजदूरों से प्रार्थना-पत्र नहीं मिल रहे हैं ।

क्वार्टरों का दिया जाना

†२५९३. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० डब्ल्यू० और बी० डब्ल्यू० प्रकार के क्वार्टरों के उम्मीदवारों की सूचियां अप्रैल, १९६१ में अद्यतन बना ली गई हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह किस किस सर्किल में नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उन कर्मचारियों को जो बी० डब्ल्यू० प्रकार के क्वार्टरों के अधिकारी हैं, और सी० डब्ल्यू० तथा डी० डब्लू प्रकार के क्वाटरों में हैं, कुछ डिविजनों और सर्किलों में बी० डब्ल्यू० प्रकार के क्वार्टरों के लिए प्रार्थनापत्र नहीं देने दिया ; और

(घ) यदि हां, वे डिविज़न और सर्किल कौन कौन हैं और इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) हां, ५ सर्किलों के अतिरिक्त ।

(ख) निम्नलिखित सर्किलों ने सूचियों को अद्यतन नहीं बनाया । कुछ मामलों में मजदूरों ने बहुत थोड़ा सहयोग दिया और अन्य मामलों में डिविजन समय पर कार्यवाही न कर सके :

१. प्रथम सर्किल
२. द्वितीय सर्किल
३. बिजली डिविज़न संख्या १
४. बिजली डिविज़न संख्या ३
५. निर्माण सर्किल

(ग) नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये कालका जी के पास बस्ती

†२५९४. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने दिल्ली में रहने वाले पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को जमीन देने के लिए दिल्ली में कालका जी के पास एक बस्ती बनाने की योजना तैयार कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और उस पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) उल्लिखित बस्ती के विका स का कार्य कब आरम्भ होगा और कब समाप्त होगा ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). कालकाजी के पास २१८.३ एकड़ पर एक बस्ती बनाने का विचार है । यह क्षेत्रफल विभिन्न आकार की लगभग १६०० जमीनों में विकसित तथा सीमांकित किया जायेगा और इस पर लगभग ३५.४८ लाख रु० व्यय होंगे । ये जमीनें पूर्वी पाकिस्तान के उन विस्थापित लोगों को दी जायेंगी जो दिल्ली में बस गये हैं और रोजगार से लगे हैं । जमीन देने की शर्तें अभी निश्चित नहीं हुई हैं ।

(ग) विकास कार्य इस वर्ष के अन्त में आरम्भ होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी योजना और उड़ीसा

†२५९५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी योजना में औद्योगिक और खनिज विकास के लिए ऋण तथा अनुदान स्वरूप उड़ीसा को अलग अलग कुल कितना धन नियत किया गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र):** उड़ीसा की तीसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों तथा खनिजों के विकास का व्यय निम्न है :—

	(रु० लाखों में)
बड़े व मध्यम उद्योग	३५
खनिज विकास	१५३
ग्राम तथा छोटे उद्योग	५१०*
	६९८

*राज्य बोर्ड, पंजीबद्ध संस्थाओं, आदि को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दिया जाने वाला धन और हथकरघों को सहकारी आधार पर शक्तिचालक करघों में बदलने की केन्द्रीय योजनाओं को दिया जाने वाला धन इस आवंटन के अतिरिक्त होगा ।

बड़े तथा मध्यम वर्ग के उद्योगों और खनिजों को वित्तीय सहायता ऋण के रूप में दी जाती है । ग्राम व छोटे उद्योगों को सहायता कुछ ऋण और कुछ अनुदान के रूप में दी जाती है और उसकी अलग अलग राशियां अभी नहीं बताई जा सकती । इसका निश्चय विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के स्वरूप और वार्षिक योजना सम्बन्धी विचार विमर्श के समय प्रति वर्ष के आधार पर होता है ।

परिष्करण मशीनों[1] का आयात

†२५९६. **श्री जीत चन्द्रन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में चाय, रबड़, काफी आदि के बागों में प्रयोग होने वाली परिष्करण मशीनों का कितना मूल्य है ;

(ख) क्या ऐसे कोई आंकड़े हैं जिनसे इन मशीनों सम्बन्धी हमारी आवश्यकताओं का बोध हो ;

(ग) क्या इनमें से किसी मशीन का निर्माण भारत में होता है ; और

(घ) यदि हां, तो उस उत्पादन का वार्षिक मूल्य क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Processing Machines.

गुवार गम का निर्यात

२५६७. श्री वाजपेयी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गवार गम का निर्यात बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो १६५६–६० और १६६०–६१ में कितना गवार गम निर्यात किया गया और किन-किन देशों को किया गया ; और

(ग) इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग). १६५६–६० और १६६०–६१ में निर्यात किये गये गवार गम का परिमाण और उसका मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	परिमाण (मेट्रिक टनों में)	मूल्य (रुपयों में)
१६५६–६०	६,४२४	७८,०३,६२७
१६६०–६१	८,५४८	७२,४५,००४

यह निर्यात ब्रिटेन, नीदरलैण्ड्स, इटली, यूनान, अमरीका, स्पेन, स्विटज़रलैण्ड, जर्मनी, (पश्चिमी) जापान तथा फ्रांस को किया गया ।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड

†**२५६८. श्री कालिका सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि०, भोपाल की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट, १६५६–६० के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक उत्पादित तथा बिकी वस्तुओं का विस्तृत ब्यौरा और चालू वर्ष का उत्पादन प्रोग्राम क्या है ;

(ख) ५० करोड़ रु० के उत्पादन का लक्ष्य कब तक पूरा होगा ;

(ग) भावी विस्तार प्रोग्राम के समाप्त होने पर कितनी विदेशी मुद्रा बचेगी ; और

(घ) संचालक मंडल ने २८–३–६१ की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के पृष्ठ १२ पर दिये गये मद २ और ३ का और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का, जो रिपोर्ट के पृष्ठ १३ पर मद १ और २ में उल्लिखित है, क्या उत्तर दिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

१००० के० वी० ए० क्षमता के छः ट्रांसफार्मर और ११ के० वी० स्विचगीयर के दस यूनिट बने हैंजिनकी उपभोक्ताओं के देने से पहले गहन जांच की जा रही है । इसके अतिरिक्त, ऐसी अनेक मशीनें अर्धपूर्ण संकलन की स्थिति में हैं और अधिक निर्माण के लिए अनेक पुर्जे तैयार हैं । "कैपिसिटर्स" भी निर्माण और संकलन अवस्था में हैं । १-७-१६६१ से ३१–३–६२ तक का उत्पादन कार्यक्रम में शक्ति

†मूल अंग्रेजी में

ट्रांसफार्मर्स, वितरण ट्रांसफार्मर्स, थर्मक वेल्डर्स, कैपिसिटर्स, स्विचगीयर और कंट्रोल गीयर का निर्माण सम्मिलित है जिनका मूल्य लगभग ३.५ करोड़ रु० है।

आशा है कि १९६८-६९ में ५० करोड़ रु० का उत्पादन होने लगेगा।

परियोजना के पूर्ण विस्तार की कार्यान्विति पर विदेशी मुद्रा की बचत का ठीक अनुमान लगाना अभी कठिन है क्योंकि यह देश में कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं के अन्तिम संकलन में प्रयोग होने वाले पुर्जों की उपलब्धता पर निर्भर है। कारखाने में ५० करोड़ रु० का उत्पादन होने पर आशा है कि यह बचत मोटे तौर पर लगभग ३५ से ४० करोड़ रु० तक की होगी।

दिनांक २८ मार्च, १९६१ की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के मद २ और ३ पर हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि० के संचालक मण्डल ने विचार कर लिया है और प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितताओं को ठीक करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों में तीन सुझाव थे जो वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ १३ के पैरा १(१), १(२) और २ पर थे; इन में से १(१) और (२) लागू किये जाने के लिए स्वीकार कर लिये गये हैं। सुझाव १(२) विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में गत्ता बनाने का कारखाना

†२५९९. **सरदार इक़बाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में एक गत्ता बनाने का कारखाना (हार्ड बोर्ड फैक्टरी) खुलेगा;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर खुलेगा; और

(ग) कौन खोलेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) बरवाहा, जिला खरगोन।

(ग) मैसर्स मध्य प्रदेश टिम्बर इन्डस्ट्रीज़, मालिक मैसर्स जय श्री टी एण्ड इन्डस्ट्रीज़ लि०, कलकत्ता।

पंजाब में नये कारखाने

†२६००. **सरदार इक़बाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में पंजाब में कौन कौन नये औद्योगिक कारखाने खुले;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने कुल कितना व्यय किया; और

(ग) तीसरी पंच वर्षीय योजना में कौन कौन औद्योगिक कारखाने खुलेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नंगल उर्वरक कारखाने पर १९६०.८९ रु० व्यय किये हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब में केवल एक यही नया कारखाना खोला गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) **केन्द्रीय क्षेत्र**

चण्डीगढ़ में मशीनी औज़ार कारखाना--पिंजोर स्थान

राज्य क्षेत्र

१. सीमेन्ट कारखाना कांगड़ा जिला
२. अखबारी कागज कारखाना, कांगड़ा जिला
३. सहकारी कताई मिल (स्थान की सूचना अभी नहीं मिली)

} गैर-सरकारी क्षेत्र/सहकारी समिति में इन परियोजनाओं के लिए राज्य का भाग या वित्तीय सहायता ।

पंजाब में रेडियो ग्रामीण गोष्ठी[1]

†२६०१. **सरदार इक़बाल सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०-६१ में पंजाब में आकाशवाणी के केन्द्रों को रेडियो की प्रत्येक ग्रामीण गोष्ठी से कितनी पूछ ताछ प्राप्त हुई ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६५]**

पंजाब में विस्थापित व्यक्तियों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधायें

†२६०२. **सरदार इक़बाल सिंह :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९६१-६२ के बीच पंजाब में पुनः बसे पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए पंजाब सरकार को कितना धन दिया गया; और

(ख) पंजाब की विभिन्न शरणार्थी बस्तियों में कितने प्रारम्भिक स्कूल खोले गये हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) तथा (ख). पंजाब सरकार से जानकारी मांगी गई है । प्राप्त होने पर वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

संयुक्त अरब गणराज्य को निर्यात

†२६०३. **सरदार इक़बाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त अरब गणराज्य को भारतीय वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) अब तक क्या परिणाम निकला है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) संयुक्त अरब गणराज्य को भारतीय वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने मुख्य रूप से निम्न कार्यवाही की है :--

(१) मिश्र विदेशी व्यापार समवाय, काहिरा के साथ रुपया भुगतान की विशेष व्यवस्था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Radio Rural Forums.

(२) काहिरा में एक व्यापार केन्द्र और एक चाय केन्द्र की स्थापना ।

(३) १९५७ और १९६१ में दमश्कश में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना ।

(४) कुछ निर्यात संवर्धन परिषदों के कुछ प्रतिनिधि मण्डलों की इस उद्देश्य से यात्रा कि बाजार की संभाव्यताओं का पता लगाया जाय ।

(५) हमारी औद्योगिक प्रगति देखने के लिए इस वर्ष संयुक्त अरब गण राज्य के कुछ मंत्रियों को भारत आने के आमंत्रण ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में संयुक्त अरब गण राज्य को निम्नलिखित निर्यात हुआ :—

(रु० लाखों में)

१९५८	१९५९	१९६०
———	———	———
१०१५	९७६	१५८८

काश्मीर में चीनी मिट्टी का सामान बनाने का कारखाना

†२६०४. **सरदार इक़बाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में चीनी, मिट्टी बर्तन का कोई कारखाना बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार का विचार जम्मू में प्रति वर्ष ५६० टन कमोड, बेसिन, आदि, प्याले, प्लेट, आदि और बिजली के काम में प्रयोग होने वाली पोर्सलीन की वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक कारखाना स्थापित करने का है । इस पर कुल लगभग ३० लाख रु० पूंजीगत व्यय होगा और राज्य में उपलब्ध कच्चे माल का प्रयोग किया जायेगा किन्तु फैल्स्पार पास वाले क्षेत्र से लाया जा सकता है । कारखाने के निर्माण और आरम्भिक संचालन में चैकोस्लोवाकिया के दो टक्निसियनों को सहायता लेने का भी विचार है ।

उड़ीसा में शिक्षितों में बेकारी

†२६०५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जुलाई, १९६१ को उड़ीसा में पंजीबद्ध बेकार मैट्रिकुलेट्स, इन्टरमीडियेट्स और ग्रेजुयेटों की संख्या क्या थी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** ३१ जुलाई, १९६१ तक की जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह तिमाही के आधार पर एकत्रित की जाती है । ३० जून, १९६१ को चालू रजिस्टरों में संख्या निम्न थी :—

ग्रेजुयेट्स	६३२
इन्टरमीडियेट्स . .	४६३
मैट्रिकुलेट्स	५१५०

†मूल अंग्रेजी में

मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात

†२६०६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम को १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ के वित्तीय वर्षों में मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात पर कुल कितनी व्यापार हानि हुई ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : १९५९–६० में ही ३.५६ लाख रु० की शुद्ध हानि हुई। यह हानि, हानि और लाभ का उचित समायोजन करने के बाद हुई। अन्य वर्षों में राज्य व्यापार निगम को मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात पर लाभ हुआ।

लौह अयस्क का निर्यात

†२६०७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम द्वारा १९५९–६० और १९६०–६१ में लौह अयस्क के निर्यात में कुल कितना विलम्ब शुल्क दिया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: राज्य व्यापार निगम द्वारा १९५९–६० और १९६०–६१ में लौह अयस्क के लदान में भुगतान किये गये विलम्ब शुल्क की कुल राशि निम्न प्रकार है :

वर्ष	विलम्ब शुल्क
१९५९–६० .	५.५७ लाख रुपये
१९६०–६१ .	१५.४८ लाख रुपये

नई दिल्ली स्थित विज्ञापन निदेशालय के कार्यालय में आग लगना

†२६०८. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, १९६१ में नई दिल्ली स्थित विज्ञापन निदेशालय के कार्यालय में आग लग गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उससे कितना नुकसान हुआ।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) मामले की जांच की जा रही है। कुल नुकसान का अनुमान १३०० रुपये लगाया जाता है।

हावड़ा में आद्यरूप उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र[1]

†२६०९. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा में आद्यरूप उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की मुख्य कर्मशालाओं के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Prototype Production-*cum*-Training Centre.

(ख) क्या समस्त आवश्यक मशीनें समय के अन्दर आ गई हैं ;

(ग) क्या प्रशिक्षण कार्यक्रम अप्रैल से प्रारम्भ हो गया है जैसी कि कल्पना की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या आवश्यक कर्मचारी भर्ती किये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) मुख्य कर्मशाला की नींव पूरी हो गई है और ऊपर का ढांचा बनाया जा रहा है। मुख्य कर्मशाला के एक तिहाई भाग में खंभे खड़े करने और बल्लियां डालने का कार्य पूरा हो गया है। मुख्य कर्मशाला की इमारत के शेष दो तिहाई भाग में खंभे खड़े करने का कार्य जारी है। मुख्य कर्मशाला की इमारत के अक्टूबर, १९६१ के मध्य तक तैयार हो जाने की आशा है। फिनिशिंग शाप और बिजली के सब स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है। बिजली का सब-स्टेशन अक्टूबर, १९६१ तक और फिनिशिंग शाप दिसम्बर, १९६१ के मध्य तक तैयार हो जायेंगे ।

(ख) ८५ प्रतिशत मशीनें आ गई हैं ।

(ग) प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र ही प्रारम्भ होगा ।

(घ) प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के पूर्व आवश्यक कर्मचारी रख लिये जायेंगे ।

'जी' टाइप के क्वार्टरों का किराया

†२६१०. **श्री बलराज मधोक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'ई' टाइप के क्वार्टरों के हकदार बहुत से सरकारी कर्मचारी अभी तक 'जी' टाइप के क्वार्टरों में रह रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हे ऐसे 'जी' टाइप के क्वार्टरों के लिये किराया ऐसे क्वार्टरों के अन्य आवष्टियों से अधिक दर पर भुगतान करना होता है ; और

(ग) इस अनियमितता का क्या औचित्य है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). मूलभूत नियम ४५–क के अनुसार सरकारी कर्मचारियों से उनके रहने के लिये दी गई सरकारी जगह के लिये किराया अधिकारी की उपलब्धियों के १० प्रतिशत (१५० रुपये प्रतिमाह से कम पाने वालों के मामले में ७ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत) की दर से अथवा इमारत का प्रतिमान किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाता है। यह नियम सब पर एक समान लागू किया जाता है ।

भारत-पाक व्यापार करार

†२६११. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९६० में किये गये भारत-पाक व्यापार करार के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिये कोई भारतीय व्यापार दल पाकिस्तान जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चंद्र)**: इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

हथकरघा कपड़े का उत्पादन

†२६१२. **श्री तंगामणि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६० में हथकरघा कपड़े के उत्पादन में १९५९ की तुलना में कुछ वृद्धि हुई है ;

(ख) वास्तविक उत्पादन कितना है ; और

(ग) १९६१ का अनुमानित उत्पादन कितना है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) वर्ष १९६० में १८६०३.४ लाख गज़ उत्पादन हुआ जब कि वर्ष १९५९ में १९१८३.७ लाख गज़ हुआ था ।

(ग) तीसरी योजना अवधि में विकेन्द्रित क्षेत्र के लिये ३५,००० लाख गज़ का लक्ष्य आवन्टित किया गया है जिसमें से २८,००० लाख गज़ प्रति वर्ष हथकरघा उद्योग क्षेत्र को आवन्टित किये जाने की आशा है । तीसरी योजना में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं यद्यपि १९६१ में सारभूत विस्तार नहीं होगा ।

अनुशासन संहिता

†२६१३. **श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुशासन संहिता बैंकों और जीवन बीमा निगम में भी लागू किया जायेगा ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को अधिक भुगतान

†२६१४. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २० फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८५ और २८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधि-भुगतान के ३२ मामलों का निपटारा किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) १८.५ लाख रुपये में से कितनी राशि ठेकेदारों से वापस प्राप्त की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) अधि-भुगतान के इन ३२ मामलों में से छै के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय किया जा चुका है ।

(ख) १२ अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है :—

४ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ;

३ असिस्टेंट इंजीनियर ; और

४ सैक्शन आफिसर ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

१ वर्क असिस्टेंट और दण्ड चेतावनी। निन्दा से लेकर नौकरी से हटा देने तक भिन्न भिन्न हैं।

(ग) ठेकेदारों से ४,०८,५२० रुपये वसूल किये जा चुके हैं।

राजस्थान में उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र

२६१५. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान में जन संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये उद्योग प्रशिक्षण केंद्र बढ़ाने की कोई व्यवस्था की गई है ?

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : तीसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में ग्यारह नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के बारे में प्राप्त राजस्थान सरकार के प्रस्ताव मंजर कर लिये गये हैं।

कारों तथा जीपों का आवण्टन

†**२६१६. श्री धर्मलिंगम्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी सामान्य निर्वाचनों में प्रयोग किये जाने के लिये कारों और जीपों का दलीय आधार पर आवण्टन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, ता उसका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

मनीपुर में असैनिक संभरण अधिकारी

†**२६१७. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर प्रशासन द्वारा हाल में बहुत से असैनिक संभरण अधिकारी नियक्त किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनको संख्या कितनी है; और

(ग) ये नियुक्तियां किस प्रयोजन के लिये की गई थीं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) से (ग). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मनीपुर लोक-निर्माण विभाग

†**२६१८. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के लोक निर्माण विभाग मे दो मुख्य इंजीनियर नियुक्त किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके कृत्यों का विभाजन किस प्रकार किया गया है ताकि अतिछादन न हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) और (ख). मनीपुर लोक निर्माण विभाग में एक मुख्य इंजीनियर १३००—६०—१६०० रुपये के वेतनक्रम में है और एक अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के वेतनक्रम (अर्थात् ६००—२५—७५० —२५—९००) में, जिसमें १०० रुपये विशेष वेतन भी है। मुख्य इंजीनियर विभाग का सर्वछादी प्रभारी है। वह मनीपुर प्रशासन का पदेन सचिव (निर्माण-कार्य) भी है।

इन कृत्यों के अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर ९ डिवीजनों में से ५ का प्रभारी है। अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर अन्य ४ का प्रभारी है। इस प्रकार कृत्यों में किसी प्रकार का अतिछादन नहीं है।

सरकारी क्वार्टरों का किराया

†२६१९. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार उन लोगों से, जिन्हें सरकारी क्वार्टर आवंटित किये गये हैं और जिन का वेतन १५० रुपये मासिक से कम है, मकान किराये के रूप में मूल वेतन के ७$^{1}/_{2}$ प्रतिशत से अधिक वसूल कर रही है ;

(ख) क्या मकान किराये की उपरोक्त दर सरकार के घोषित निर्णय की भावना के विरुद्ध नहीं है ;

(ग) यह वृद्धि कितने मामलों में लागू की गई है ; और

(घ) सरकार उन कर्मचारियों से, जिन का वेतन १५० रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं है, मूल वेतन के ७$^{1}/_{2}$ प्रतिशत से अधिक मकान किराया न लेने के लिये क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (घ). मूलभूत नियम ४५—क के उपबन्धों के अनुसार सरकारी कर्मचारी से, जिसे सरकारी क्वार्टर आवंटित किया गया हो, किराया पहले अधिकारी की उपलब्धियों के १० प्रतिशत अथवा क्वार्टर के प्रतिमान किराये में जो कम हो लिया जाता था। दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति के परिणाम-स्वरूप इस नियम में इस प्रकार संशोधन किया गया है कि १५० रुपये प्रतिमाह से कम वेतन पाने वालों से किराया उन की "उपलब्धियों" के ७$^{1}/_{2}$ प्रतिशत से अधिक न लिया जाय। मूलभूत नियम ४५—ग के अनुसार "उपलब्धियां" पद का तात्पर्य केवल मूल वेतन नहीं है वरन् उस में विशेष वेतन, कुछ प्रतिकर भत्ते, पेन्शन आदि भी सम्मिलित हैं। सरकार का किराये की वसूली के इस आधार में परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है।

सरकारी क्वार्टरों का आवण्टन

†२६२०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डायरेक्टर ऑफ एस्टेट्स के नियंत्रण के अन्तर्गत सरकारी क्वार्टरों के लिये अग्रिमता की तारीख "नियुक्ति की तारीख" से बदल कर हक की तारीख कर दी गई है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकारी कर्मचारियों को इस से क्या लाभ हुआ है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). २५ जुलाई, १९५९ के पूर्व दिल्ली/नई दिल्ली में जनरल पूल में से क्वार्टर के आवंटन के प्रयोजन के लिये अग्रिमता की तारीख निम्न प्रकार निश्चित की जा रही थी :

(१) ५०० रुपये मासिक से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों के मामले में ।

वह पहली तारीख जिस से कोई अधिकारी वह वेतन ले रहा है जो उसे किसी श्रेणी के क्वार्टर का हकदार बनाता है ।

(२) ५०० रुपये मासिक से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों के मामले में ।

वह पहली तारीख जिस से कोई अधिकारी योग्य नियुक्ति धारण कर रहा है चाहे उसका वेतन कुछ भी हो ।

२. आवंटन नियम २५ जुलाई, १९५९ से संशोधित किये गये थे जिस से किसी श्रेणी के क्वार्टर के संबंध में किसी अधिकारी की अग्रिमता की तारीख वह पहली तारीख समझी जायगी जिस से वह अधिकारी उतना वेतन ले रहा हो जो उसे उस श्रेणी के अथवा उससे उच्चतर श्रेणी के क्वार्टर का हकदार बनाता है । इस प्रकार ५०० रुपये प्रतिमाह से अधिक और उससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का अन्तर दूर कर दिया गया है । इस संशोधन से विभिन्न श्रेणियों की सूचियों को अधिक स्थायित्व मिलेगा और यह अधिक न्यायोचित भी है क्योंकि अब एक श्रेणी का अधिक समय से वेतन पाने वाले कर्मचारी उन से वरिष्ठ समझे जायेंगे जो उस श्रेणी में हाल में आये हैं । किसी अधिकारी को सरकारी क्वार्टर के बिना बहुत समय तक न रहना पड़े इस के लिये अधिकारियों को अपनी श्रेणी से नीचे की श्रेणी के लिये भी योग्य बना दिया गया है ।

त्रिपुरा और मनीपुर में छोटे पैमाने के उद्योग

†२६२१. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा और मनीपुर के संघ राज्य-क्षेत्रों में छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों की स्थापना और विस्तार के लिये ऋणों और अनुदानों के आवंटन के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये कोई समिति है ;

(ख) १९५९-६० और १९६०-६१ में छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को कितनी राशि के अनुदान और ऋण दिये गये हैं ; और

(ग) ऐसे एककों को दिये गये ऋणों की वसूली की क्या स्थिति है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) उद्योगों को राजसहायता के नियमों के अन्तर्गत त्रिपुरा और मनीपुर के संघ राज्य क्षेत्रों को ऋणों की मंजूरी के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये औद्योगिक मंत्रणा बोर्ड कार्य कर रहे हैं । अनुदानों के वितरण के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये कोई समिति नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) निम्नलिखित ऋण मंजूर किये गये हैं :—

राज्यक्षेत्र	१९५९–६०	१९६०–६१
	रु०	रु०
त्रिपुरा	८५,०००	९४,०००
मनीपुर	५०,०००	१००,०००

(ग) ऋणों का पुनर्भुगतान वितरण की दूसरी वर्षगांठ की तारीख से प्रारम्भ होता है। चूंकि ऋणों की मंजूरी उचित प्रत्याभूति पर दी जाती है इसलिये वसूली की प्रगति संतोषजनक होने की आशा है।

दिल्ली में अल्प आय वर्ग आवास योजना

†२६२२. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में अल्प आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिये ऋणों के प्रार्थनापत्रों में दिल्ली के आवास आयुक्त के कार्यालय में बहुत विलम्ब होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रार्थियों को बहुत समय तक ऋण मंजूर नहीं किया जाता है और न उन्हें अपने प्रार्थनापत्रों के फैसले के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है ;

(ग) कितने प्रार्थियों ने, जिन्हों ने अल्प आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत ऋणों के लिये प्रार्थनापत्र दिये थे, अपने प्रार्थनापत्र इसलिये वापस ले लिये हैं कि दिल्ली के आवास आयुक्त ने ऐसे प्रार्थियों को ऋणों की मंजूरी में विलम्ब किया था ; और

(घ) इतने असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि :

(क) उस के आवास कार्यालय में अल्प आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत ऋण की मंजूरी के प्रार्थनापत्रों के निपटारे में कोई असाधारण विलम्ब नहीं होता है।

(ख) यदि प्रार्थी योजना के उपबन्धों और उन के अन्तर्गत विनिहित नियमों को पूरा करते हैं तो ऋण सहायता यथाशीघ्र मंजूर कर दिया जाता है। यदि प्रार्थनापत्र नामंजूर किये जाते हैं तो नामंजूरी के कारण संबंधित व्यक्तियों को सूचित कर दिये जाते हैं।

(ग) और (घ). अभी तक कोई प्रार्थनापत्र ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा तथाकथित प्रशासकीय विलम्ब के कारण वापस नहीं लिया गया है।

रबड़ बोर्ड में वेतन-क्रम

†२६२३. **श्री मणियंगाडन**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड के अन्तर्गत पदों और उसी प्रकार के कार्य के सरकार के अन्तर्गत अथवा अर्ध-सरकारी विभागों के पदों के वेतन क्रमों की असमानता को दूर करने के संबंध में कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या रबड़ बोर्ड ने इस मामले में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ग) क्या बोर्ड का निर्णय सरकार को सूचित कर दिया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं तो सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ङ). रबड़ बोर्ड ने वेतनआयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के अनुसार वेतनक्रमों के पुनरीक्षण के प्रस्ताव पेश करते हुए कुछ पदों को ऊंचा उठाने का सुझाव दिया था ताकि वे सरकारी विभागों और संविहित निकायों के समान पदों के स्तर पर आ जायें । चूंकि इन दोनों प्रश्नों---अर्थात् वेतनक्रमों का पुनरीक्षण और असमानतायें दूर करने के लिये कुछ पदों को ऊंचा उठाना---पर अलग अलग विचार किया जाना है अतः रबड़ बोर्ड से वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनक्रमों के पुनरीक्षण के प्रथम प्रस्ताव तुरन्त पेश करने के लिये कहा गया है । जहां कहीं असमानतायें हैं उन को दूर करने के प्रश्न का विचार वेतनक्रमों का पुनरीक्षण समाप्त हो जाने पर किया जायेगा ।

संत फतेह सिंह के साथ बातचीत के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: कुछ दिन पूर्व मैंने अपनी और सन्त फतेह सिंह के बीच हुए पत्र व्यवहार की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी थी । यह पत्र व्यवहार १० अगस्त, १९६१ को मेरे द्वारा मास्टर तारा सिंह को लिखे गये एक पत्र के साथ आरम्भ हुआ था, जिस में मैं ने उन से यह निवेदन किया था कि उन्हों ने १५ अगस्त से जो अनशन करने की घोषणा की है उसे त्याग देवें । सभा पटल पर रखा गया अन्तिम पत्र २३ अगस्त को संत फतेहसिंह को लिखा गया था ।

२३ अगस्त को संत फतेहसिंह दिल्ली में आयें और संध्या के समय मुझ से मिले । २४ और २५ को भी हमारी भेंट हुई । श्री गुरनाम सिंह भी इस बातचीत में शामिल थे । यद्यपि यह बातचीत मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुई थी तथापि इस विषय पर कोई समझौता नहीं हो सका । इस के पश्चात् संत फतेह सिंह अमृतसर को लौट गये ।

मास्टर तारा सिंह का अनशन अभी जारी है । दिल्ली में श्री रामेश्वरानन्द ने और अमृतसर में श्री सूर्य देव ने इस के विरोध में भूख हड़ताल किया हुआ है ।

सरकार इन अनशनों के संबंध में काफी चिन्तित है और उन्हों ने इन को तोड़ने के लिये बार बार अनुरोध किया है । तथापि सरकार के प्रयत्न इस दिशा में सफल नहीं हो सके हैं ।

संत फतेह सिंह और गुरनाम सिंह के साथ हुई मेरी बातचीत के दौरान उन्होंने पंजाबी सूबे की मांग पर ही अधिक जोर दिया । अर्थात् पंजाब का इस प्रकार से विभाजन हो जाये कि पंजाबी भाषा भाषी क्षेत्र पृथक राज्य बना दिया जाये । मैं इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हो सका क्योंकि यह मुझे सिद्धान्ततः और व्यवहारतः हानिकारक प्रतीत हुआ । ऐसी मांग जो कि अनशन इत्यादि की धमकी पर आधारित हो वह संसदीय लोकतंत्र प्रणालि के विरुद्ध, अवांछनीय और हानिकारक है । इससे देश में लोकतंत्र प्रणालि पर आघात होगा और अन्य समस्यायें पैदा हो जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाबी सूबे के संबंध में मैंने कहा कि जहां तक पंजाबी भाषा के विकास का प्रश्न है इसके संबंध में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। शिक्षा और प्रशासन दोनों ही क्षेत्रों में पंजाबी के विकास के लिये बहुत कुछ किया गया है। अवसर आने पर और अधिक किया जा सकता है। वस्तुतः कुछ वर्ष पूर्व हुए इस समझौते के आधार पर कि पंजाब को हिन्दी और पंजाबी दो क्षेत्रों में विभाजित किया जाय, के फलस्वरूप पंजाबी भाषा को बहुत संरक्षण मिला है।

प्रादेशिक फार्मूले पर अमल करने में कुछ विलम्ब इस कारण हुआ कि कई हजार अध्यापकों को पंजाबी में प्रशिक्षण देना पड़ा जिससे कि वह आरम्भिक कक्षाओं में पंजाबी पढ़ा सकें। इनके प्रशिक्षण के साथ साथ इन क्षेत्रों में शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन हुआ। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और भी कई कार्य किये गये। यह निश्चय किया गया कि पंजाबी भाषा का एक विश्व-विद्यालय खोला जाये।

अतः पंजाबी भाषा के संबंध में जो भी मांग रखी गयी है वह पूरी की गयी है। अतः पंजाबी भाषा के विकास के लिये सुविधायें प्राप्त करने के फलस्वरूप पंजाबी सूबे की मांग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। अतः पंजाबी सूबे की मांग एक भाषा के आधार पर रखी गयी है, एक सांप्रदायिक मांग है।

पंजाब का विभाजन उस देश के विभाजन के लिये हानिकारक होगा तथा उससे पंजाब की प्रगति को आघात होगा। पंजाब भारत का एक सर्वाधिक समृद्ध राज्य है। वहां की प्रतिव्यक्ति आय देश में सर्वाधिक है। इसके विभाजन से विकासशील अर्थव्यवस्था और प्रगति को आघात होगा। मेरे विचार से ऐसा करना अवांछनीय होगा।

पंजाबी सूबे के आधार पर निर्मित यह राज्य भारत का सब से छोटा राज्य होगा और वह आत्मनिर्भर नहीं रह सकता है।

पंजाब को पहिले ही विभाजन से बहुत नुक्सान पहुंचा है। तथापि वहां की जनता ने परिश्रम और साहस से विभाजन से प्राप्त निर्यागिताओं को हटा दिया है। इसके पुनः विभाजन से न केवल इसके आर्थिक पहलू पर आघात होगा अपितु ऐसा करना दूसरी दृष्टियों से भी घातक है। पंजाब भाषाई और सामाजिक दृष्टि से एक पूर्ण एकक बन गया है। सारे राज्य की मुख्य भाषा पंजाबी है यद्यपि कुछ भागों की मातृभाषा हन्दी है। उसकी अपनी भाषा और समाज संबंधी संस्कृति है जो पंजाबियों को अन्य राज्यों के निवासियों से विलग करती है। इसमें संदेह नहीं कि संविधान के अनुसार हिन्दी सरकारी कार्यों के लिये अखिल भारतीय स्तर की भाषा है। पंजाब में अधिकांश व्यक्ति हिन्दी और पंजाबी दोनों भाषायें समझते हैं। पंजाब में ऐसे कई परिवार हैं जिनके सदस्य हिन्दू और पंजाबी दोनों हैं। अभी हाल की घटनाओं के पूर्व पंजाब भारत के अन्य राज्यों से अधिक एकीकृत राज्य था। उसका विभाजन करना सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से एक शोचनीय बात होगी। इसके विभाजन से पंजाबी को धक्का पहुंचेगा और विशेषतः सिखों को धक्का पहुंचेगा जो कि समस्त भारत में फैले हुए हैं।

इन सभी कारणों से मैंने यह सुझाव दिया था कि पंजाब का विभाजन देश, पंजाब और विशेषतः सिखों के लिये हानिकारक सिद्ध होगा।

यदि पंजाबी के विकास के लिये कुछ और करना आवश्यक हो तो हम करने को तैयार हैं। वस्तुतः पंजाबी के विकास के लिये जो भी करना संभव था वह किया जा रहा है।

यदि क्षेत्रीय फारमूला संतोषजनक नहीं है तो उसके सुधार के लिये विचार किया जा सकता है। आवश्यक होने पर क्षेत्रीय समितियों को कुछ अधिक शक्तियां दी जा सकती हैं।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

संत फतेह सिंह ने यह कहा था कि प्रादेशिक समितियों को उप विधान सभाओं का रूप दिया जाये। मैं उससे इस कारण सहमत नहीं हो सका कि ऐसा करना न केवल संविधान के विरुद्ध था अपितु इससे पंजाब में तीन विधान सभा हो जाने के कारण विचित्र स्थिति पैदा हो जाती।

यह आरोप गलत है कि क्षेत्रीय फारमूला ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है। जांच के उपरांत यह मालूम हुआ कि यह फारमूला सफलतापूर्वक काम कर रहा है। वस्तुतः पंजाब विधान सभा द्वारा इसकी सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं। तथापि मैं इसे दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधियों तथा पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा जांच करवाने को तैयार हूं।

यह आरोप लगाया गया है कि सिखों के प्रति भेदभाव किया जाता है यद्यपि इसके उदाहरण नहीं प्रस्तुत किये गये हैं। मैंने उन्हें यह सुझाव दिया कि इस आरोप पर एक उच्चस्तरीय जांच की जा सकती है।

संत फतेह सिंह ने मेरे सुझावों को मानने से इन्कार कर दिया। उन्होंने पंजाबी सूबा या उसके स्थान पर अपनी विशेष विधान सभा बनाने का आग्रह किया। मैं उक्त कारणों के आधार पर उनके यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सका। मैंने संत फतेह सिंह से कहा कि वे मास्टर तारा सिंह को समझायें कि वे अपना अनशन छोड़ दें क्योंकि यह एक गलत साधन है और इससे कोई लाभ नहीं हो सकता है। मैंने उन्हें बताया कि पंजाब में हिन्दू और सिखों के बीच मनमुटाव हो जाने से पंजाब का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। वस्तुतः पंजाब की समृद्धि और प्रगति दोनों जातियों के सहयोग पर ही आश्रित है। इसके अग्रेतर विभाजन से दोनों में द्वेष और शत्रुता का वातावरण पैदा हो जायेगा। इससे कई परिवार टूट जायेंगे। वस्तुतः एक ऐसे उद्देश्य की खोज में जो कि हानिकारक और तुच्छ हैं हमें पंजाब की मूल्यवान् धरोहर से हाथ धोना पड़ेगा।

मुझे दुख है कि मैं संत फतेह सिंह को राजी नहीं कर सका इसके फलस्वरूप मास्टर तारा सिंह का अनशन अभी जारी है। इसी प्रकार स्वामी रामेश्वरानन्द और श्री सूर्य देव का अनशन भी अभी जारी है।

पंजाब का भविष्य प्रत्येक पंजाबी और भारतीय के लिये बहुत महत्व रखता है। कई सिखों और हिन्दुओं ने मास्टर तारा सिंह तथा दूसरे लोगों को उपवास छोड़ने का अनुरोध किया है। जिससे कि इन समस्याओं पर विचार करने के लिये उचित वातावरण तैयार हो सके। दुःख है कि उन्हें इस कार्य में सफलता नहीं मिली है।

यह तर्क गलत है कि भारत के अन्य भागों में भाषा के आधार पर राज्य बनाये गये हैं तथापि पंजाब में ऐसा नहीं किया जा रहा है। भारत का कोई भी राज्य पूरी तरह एकभाषीय नहीं है। पंजाब अपेक्षाकृत अधिक सजातीय और एकीकृत है। वहां की मुख्य भाषा पंजाबी है। यदि भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण का सिद्धान्त स्वीकार किया जाये तो भी इसको अंतिम सीमा तक क्रियान्वित करने से हानि हो सकती है। ऐसा भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने से ही संभव है। ऐसे कृत्रिम विभाजन से दोनों ही ओर ऐसे बहुत से व्यक्ति रह जायेंगे जिनकी सहानुभूति दूसरे क्षेत्र के प्रति होगी। इस प्रकार मनमुटाव पैदा हो जायेगा और सहयोग से काम चला सकना असंभव हो जायेगा। इससे न केवल राज्य के इतिहास और परम्परा पर आघात अपितु इससे राज्य की अर्थव्यवस्था और वहां की जनता के जीवन पर भयंकर आघात होगा।

मैं मास्टर तारा सिंह से यह अनुरोध करता हूं कि वे अपना अनशन छोड़ देवें। क्षेत्रीय फारमूला की जांच के संबंध में मेरा प्रस्ताव अभी भी स्थिर है। इसी प्रकार आवश्यक होने पर सिखों के प्रति भेदभाव के संबंध में भी जांच की जा सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विषय पर कल शाम ४ बजे से चर्चा होनी निश्चित हुई है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : इस विषय पर चर्चा के लिये ३ घंटे का समय दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस विषय पर इस समय कोई स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय प्रस्ताव है वे भी कल ही लिये जायेंगे।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं इस विषय पर अभी चर्चा नहीं करना चाहता हूं तथापि मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह नियमबाह्य तो नहीं है?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह चाहते थे कि इस विषय पर माननीय मंत्री का ध्यान तत्काल आकर्षित हो। मैं इसकी अभी अनुमति नहीं दे सकता हूं क्योंकि यह स्थगन प्रस्ताव नहीं है। अविलम्बनीय महत्व के विषय पर विचार करने में कुछ समय लगता है। अतः उस संबंध में मैं कल अपना निर्णय दूंगा।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक काम रोको प्रस्ताव इस सम्बन्ध में दिया है कि स्वामी रामेश्वरानन्द जिस आर्य समाज मंदिर में अनशन कर रहे हैं आज से ठीक सात दिन पहले एक ऐसी घटना घटी कि वहां पर एक बम फेंका गया था और कल फिर इस प्रकार की घटना घटी है कि जहां जिस कमरे में स्वामी जी निवास करते हैं वहां पर बम फेंका गया और वह बम आर्य समाज मंदिर से टकरा कर टूट गया। पिछली बार गृह-कार्य मंत्री श्री दातार ने कहा था कि हम ने वहां पर पुलिस का प्रबंध बढ़ा दिया है तो भी कल इतनी भयंकर घटना घटी और पुलिस जो वहां पर खड़ी थी यद्यपि उसमें से एक पुलिस के आदमी को चोट भी लगी है तो भी पुलिस अकर्मण्य बनी हुई है ऐसी स्थिति में जब एक पवित्र कार्य वहां चल रहा है। एक धर्म मंदिर के ऊपर एक षड़यन्त्र के रूप में आक्रमण किया जाय तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को इस स्थिति पर अवश्य विचार करना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री प्रकाशवीर शास्त्री का स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार है। "आर्य समाज मंदिर, दीवान हाल, दिल्ली में, जहां श्री रामेश्वरनन्द जी पंजाब की एकता बनाये रखने के लिये अनशन कर रहे हैं वहां दूसरी बार बम विस्फोट से उत्पन्न हुई स्थिति।"

समाचार पत्र की कटिंग के अनुसार यह एक पटाखा है। माननीय मंत्री इसका स्पष्टीकरण करें।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : इस मामले की जांच की जा रही है। लगभग दस व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस मामले में भरसक कार्यवाही कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीयलोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली में मकानों के गिरने से कथित मृत्यु

†**श्रीमती मफीदा अहमद** (जोरहाट) : नियम १९७ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और यह प्रार्थना करती हूं कि वह उसके संबंध में वक्तव्य दें।

"२ अगस्त १९६१ को भारी वर्षा के कारण दिल्ली में मकानों के गिरने और पानी से भरे नालों में डूबने से सात व्यक्तियों की कथित मृत्यु की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया।"

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: २ अगस्त, १९६१ को दिल्ली में अप्रत्याशित बारिश हुई। ऐसी वर्षा पिछले ७० वर्ष में नहीं हुई थी। ७ घंटों के अंदर ७·६५ इंच वर्षा हुई जिसके फलस्वरूप दिल्ली के निवासियों को बहुत कठिनाइयों और असुविधाओं का सामना करना पड़ा। जान तथा माल को भी कुछ नुक्सान हुआ। प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने कुछ प्रभावित क्षेत्रों को दौरा किया। वर्षा के फलस्वरूप जीवन तथा सम्पत्ति की हानि के संबंध में समाचारपत्रों में विस्तृत संवाद प्रकाशित हुए हैं। दिल्ली में कुल ७ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। ये सभी संचित या निकलते हुए जल में फंस गये थे। हमें इस घटना पर बहुत दुख है। हम मृतकों के परिवार से हार्दिक समवेदना प्रगट करते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

चाय (तृतीय संशोधन) नियम, १९६१

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं चाय अधिनियम, १९५३ की धारा २९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १२ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०२७ में प्रकाशित चाय (तीसरा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३१६८/६१]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ४५वें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय सरकारी प्रतिनिधि-मंडल का प्रतिवेदन।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: मैं जून, १९६१ में जेनेवा में हुये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ४५वें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३१६९/६१]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे राज्य सभा के सचिव से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :

"कि राज्य सभा अपने २३ अगस्त, १९६१ की बैठक में लोक सभा द्वारा १७ अगस्त, १९६१ को पारित किये गये दादरा और नगर हवेली विधेयक, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

विशेषाधिकार

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा अब श्री आर० के० करंजिया के २३ अगस्त, १९६१ के पत्र पर विचार करेगी जिसमें उन्होंने यह अनुरोध किया है कि उन्हें लोक सभा के बार के सम्मुख उपस्थित होने के लिये कुछ समय की मोहल्लत दी जाये। यह मामला आज उच्चतम न्यायालय में लिया जाना है। हमें देखना है कि उच्च न्यायालय का इस विषय में क्या निर्णय होता है ? अतः हम इस विषय पर चार बजे विचार करेंगे। इस सम्बन्ध में दिये गये दोनों संशोधनों पर उसी समय विचार कर लिया जायेगा।

धार्मिक न्यास विधेयक

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुछ धार्मिक न्यासों के अधिक अच्छे निरीक्षण तथा प्रबन्ध का उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नियत समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ा दिया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय :** सामान्यतः ऐसा नहीं किया जाता है तथापि माननीय विधि मंत्री ने यह कहा है कि वे इसे फरवरी तक प्रस्तुत करेंगे। फरवरी में प्रतिवेदन उपस्थापित करने से हमें विधेयक के विचार के लिये कोई समय नहीं रहेगा। अतः इस विषय पर कल पुनः विचार किया जायेगा तब तक इस सम्बन्ध में सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि समाचारपत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, १९५६ को जारी रखने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे दुःख है कि कुछ माननीय सदस्य सभा के प्रति वह आदर नहीं प्रदर्शित करते हैं जोकि किया जाना चाहिये। यदि सभा की यह प्रवृत्ति जारी रहेगी तो मुझे उनके विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की शिकायत करनी होगी। हम सामूहिक रूप से इस सभा की प्रतिष्ठा के लिये उत्तरदायी हैं। हम जब तक स्वयं उसका आदर नहीं करेंगे तब तक हम दूसरे से इसकी आशा नहीं कर सकते हैं।

प्रश्न यह है :

"कि समाचारपत्र (मूल्य और पृष्ठ) अधिनियम, १९५६ को जारी रखने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**डा० केसकर :** मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं ।

आयकर विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब आयकर और अधिकर सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करेगी । खंड १२ तक चर्चा हो चुकी थी अब हम खंड १३ पर चर्चा करेंगे । इस खंड पर कुछ सरकारी संशोधन हैं ।

खंड १३—(कुछ मामलों में धारा ११ और १२ लागू नहीं होगी)

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव* करता हूं :

(१) पष्ठ २३, पंक्ति १५ में से "Or Religious" "या धार्मिक" शब्द हटा दिये जायें । (४८)

(२) पृष्ठ २३, पंक्ति २९ में—

'Explanation' ('व्याख्या') शब्द के स्थान पर "Explanation 1" ("व्याख्या १") रख दिये जायें । (४९)

(३) पृष्ठ २३ में पंक्ति ३२ के पश्चात ये शब्द जोड़ दिये जायें :—

Explanation 2-A.—A Trust or institution created or established for the benefit of scheduled castes, backward classes, scheduled tribes or women and children shall not be deemed to be trust or institution created or established for the benefit of race, religious community or caste within the meaning of such clause (i) of clause (b) of this section"

[व्याख्या २—अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित आदिम जातियों या महिलाओं तथा बच्चों के लाभ के लिये निर्मित्त अथवा स्थापित किये गये किसी न्यास या संस्था को, इस धारा के खंड (ख) के उपखंड (१) के अर्थों में किसी धार्मिक समुदाय, या जाति के लाभ के लिये निर्मित्त अथवा स्थापित न्यास या संस्था नहीं माना जायेगा ।] (५०)

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं संशोधन संख्या २२ और २५ प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अग्रेजी में

*संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

†**श्री नथवानी** (सोरठ) : मैं प्रस्ताव* करता हूं :

पृष्ठ २३, पंक्ति १८ में से " Race " "[जाति] शब्द हटा दिया जाये ।" (४६)

खंड १३ धारा ११ को लागू करने के सम्बन्ध में है । धारा ११ उन न्यासों की आय पर करारोपण के सम्बन्ध में है जिनकी आय का २५ प्रतिशत से अधिक भाग खर्च नहीं होता । खंड १३ के दूसरे भाग में व्यवस्था है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले किसी समुदाय विशेष के हित के लिये बने न्यासों, या पूर्त अथवा धार्मिक संस्थाओं को इससे अलग रखा जायेगा । इसमें एक शब्द है "धार्मिक समुदाय" । यदि कोई न्यास किसी समुदाय विशेष या जाति विशेष की शिक्षा तक ही अपने को सीमित रखता है, तो मैं उसे साम्प्रदायिक नहीं मान लूंगा । जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं खंड १० के उपखंड २२ में विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की आय को आयकर से विमुक्ति दी गई है । फिर खंड १३ में ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है ? ये दोनों परस्पर विरोधी हैं ।

और, खंड १३ के उपखंड (ख) (२) में व्यवस्था है कि यदि न्यासकर्त्ता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आय का कुछ भी लाभ मिलता हो, तो उसे खंड ११ का लाभ नहीं मिलेगा । ऐसे कई न्यास हैं जिन को दानकर्त्ता ने किसी पूर्त-कार्य के लिये कोई इमारत दान दी हो और उसका एक भाग अपने इस्तेमाल के लिये रख लिया हो । मैंने कल इसके उदाहरण भी दिये थे । यदि कोई दानकर्त्ता अपने दान की राशि से कोई कॉलेज खुलवाये और उसमें दो-तीन स्थानों की नामजदगी का अधिकार अपने हाथ में सुरक्षित रखे, तो भी उसे खंड ११ का लाभ नहीं मिलेगा । इसीलिये मेरा संशोधन है कि खंड १३ (ख) की पंक्तियां १५ से २८ तक को हटा दिया जाये ।

संशोधन संख्या २५ के द्वारा मैंने "सम्बन्धी" की परिभाषा में रूपभेद करने के लिये कहा है । प्रवर समिति ने इस परिभाषा को इतना विस्तृत कर दिया है कि यदि दूर का कोई सम्बन्धी भी कोई छोटा सा भी लाभ उठा ले तो न्यास की पूरी आय पर करारोपण हो जायेगा । इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिये ।

†**श्री नथवानी** (सोरठ) : मैं श्री भरूचा के संशोधन का विरोध करना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं किसी सदस्य को दो बार अवसर नहीं दे सकता ।

†**श्री मोरारजी देसाई:** मैंने श्री नथवानी का संशोधन स्वीकार कर लिया है । मैं श्री भरूचा द्वारा रखे गये संशोधनों के पक्ष में नहीं हूं । इसलिये कि प्रवर समिति ने सोच-समझ कर उन खंडों में वे परिवर्तन किये हैं । उसके कारण भी बता दिये गये हैं । यदि हम देश को स्थायी रूप से विभिन्न समुदायों में विभाजित नहीं रखना चाहते और देश का एकीकरण चाहते हैं, तो हमें समुदाय विशेष के लिये किये जाने वाले पूर्त-कार्यों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये । इसीलिये हमने उनको आय-कर से विमुक्ति नहीं दी है । हमने उन पर प्रतिबन्ध तो नहीं लगाया । हां, सरकारी धन किसी समुदाय विशेष के लाभ के लिये प्रयुक्त नहीं किया जा सकेगा । इस विधेयक के पीछे यही सिद्धान्त है । मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): मन्दिरों, मस्जिदों, और गिरजों के लिये दिये जाने वाले दानों की क्या स्थिति होगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

*संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

†**श्री मोरारजी देसाई :** उनको विमुक्त किया गया है। मैं इसका स्पष्टीकरण बाद में करूंगा। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो मैं कर दूंगा ;

†**श्री मी० रु० मसानी** (रांची—पूर्व) : अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है।

†**श्री मोरारजी देसाई :** यदि माननीय सदस्य ऐसा समझते हैं तो संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

मैं बता रहा हूं कि मैंने इसके लिये संशोधन रखा है। संशोधन संख्या ४८ द्वारा "धार्मिक" शब्द हटाया जा रहा है। उसका यही प्रभाव होगा। हम यह तो नहीं कह सकते कि हर मन्दिर, गिरजे या मस्जिद में हर आदमी को प्रवेश मिले। इसीलिये इस खंड को संशोधित किया जा रहा है।

आशा है कि माननीय सदस्य संतुष्ट हो गये होंगे।

†**श्री मी० रु० मसानी :** जी, हां। मैंने इसीलिये स्पष्टीकरण चाहा था कि बाद में कोई गड़बड़ी न हो।

†**श्री मोरारजी देसाई :** बाद में गड़बड़ी क्या हो सकती है, जब मैंने संशोधन प्रस्तुत कर दिया है।

संशोधन संख्या ४९ में किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं। उसमें कहा गया है कि "व्याख्या" शब्द के स्थान पर "व्याख्या १" शब्द रख दिया जाये।

संशोधन संख्या ५० के द्वारा, मैंने एक और व्याख्या जोड़ी है। यह कि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित आदिम जातियों के लाभ के लिये स्थापित किये जाने वाले न्यासों या संस्थाओं को धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ के लिये नहीं समझा जायेगा।

मैंने उसमें से "मूलवंश" शब्द हटा दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** लेकिन उसके लिये सभा की अनुमति ली जानी चाहिये।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैंने उस शब्द को हटाने के बाद ही यह संशोधन पढ़ कर सुनाया है।

मैंने जिस संशोधन की पूर्व-सूचना दी थी, उसे अब इसी परिवर्तित रूप में रखा जाना चाहिये, जैसाकि मैंने अभी पढ़ कर सुनाया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

(१) पष्ठ २३, पंक्ति १५ में से

" or religious " ("या धार्मिक") शब्द हटा दिये जायें। (४८)

(२) पृष्ठ २३, पंक्ति २९ में,

" Explanation " ("व्याख्या") शब्द के स्थान पर, "Explanation 1" ("व्याख्या १") शब्द रख दिये जायें। (४९)

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) पृष्ठ २३ में, पंक्ति ३२ के पश्चात, यह जोड़ा जाये—

"Explanation 2.—trust or institution created or established for the benefit of Scheduled Castes, backward classes, Scheduled Tribes or women and children shall not be deemed to be a trust or institution created or established for the benefit of a religious community or caste within the meaning of sub-clause (i) of clause (b) of this section."

["व्याख्या २.—अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित आदिम जातियों या महिलाओं तथा बच्चों के लाभ के लिये निर्मित अथवा स्थापित किसी न्यास या संस्था को, इस धारा के खण्ड (ख) के उपखण्ड (१) के अर्थों में, किसी धार्मिक समुदाय या जाति के लाभ के लिये निर्मित अथवा स्थापित न्यास या संस्था नहीं माना जायेगा।"] (५०)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २३, पंक्ति १८ में से, " race " ("जाति") शब्द हटा दिया जाये। (४६)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या श्री भरूचा अपने संशोधनों पर आग्रह करते हैं ?

†**श्री नौशीर भरूचा** : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २२ और २५ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड १४ से १६ तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १४ से १६ तक विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १४ से १६ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १७—("वेतन", "पूर्वापेक्षा" और "वेतन के स्थान पर लाभ" की परिभाषायें)

†**श्री अमजद अली** (धुबरी) : मैं अपना संशोधन संख्या ९३ प्रस्तुत करता हूं।

मेरे संशोधन का मंशा यह है कि खण्ड १० (१०) के अन्तर्गत उपदान के रूप में इकट्ठी मिलने वाली राशियों को कर से विमुक्ति दी जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अमजद अली]

खण्ड ३ के भाग 'ग' के अनुसार व्यापार या उपक्रम के प्रत्येक मालिक को अनिवार्य रूप से न्यास बनाना पड़ेगा। जीवन बीमा निगम में विनियोजित होने पर, बीमे की किस्तों की अदायगी उसे करनी पड़ेगी; और उस भाग पर कर लगेगा। इससे कर्मचारियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। निधि से मिलने वाले लाभ यदि वार्षिक रूप से दिये जायेंगे तो उन पर कर लगेगा। यह नहीं होना चाहिये।

†**श्री प्रभातकार** (हुगली) : श्री अमजद अली की आपत्ति को मैं ठीक से समझ नहीं पाया। उपदान के लिये एक न्यास निधि बनानी पड़ेगी और उसमें से कर्मचारियों को अदायगी की जायेगी। व्यवस्था यह है कि निवृत्ति के बाद किसी वर्ष विशेष में कर्मचारी को उपदान के रूप में मिलने वाली राशि को आयकर से विमुक्त किया गया है। मालिक उस निधि को जीवन बीमा निगम के पास भी रख सकता है। उसकी किस्त को विमुक्त करने की बात समझ में नहीं आई।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं इसका स्पष्टीकरण करूंगा।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** (मधुबनी) : चीज यह है कि उपदान के रूप में की गई अदायगी पर, २४,००० रुपये तक कोई आयकर नहीं है। जीवन बीमा निगम ने एक नयी योजना निकाली है जिसके अन्तर्गत मालिकों को अनिवार्य रूप से एक न्यास-निधि बनानी पड़ेगी और उसकी किस्तें अदा करनी पड़ेंगी। कर्मचारी की ओर से अदा की जाने वाली किस्त की राशि उसके वेतन में जोड़ दी जायेगी। तब वह आयकर अधिनियम की व्यवस्थाओं के प्रभाव में आ जायेगा।

†**श्री मोरारजी देसाई** : माननीय मित्र को आशंका यह है कि उनके द्वारा उल्लिखित राशियां इस खण्ड के अन्तर्गत आयेंगी लेकिन उनकी आशंका निराधार है। इसलिये कि उपखण्ड (५) निर्धार्य के जीवन के बीमे की अदायगी पर या वार्षिकी की संविदा पर ही लागू होगा। जबकि उपदान व्यक्ति को निवृत्त होने पर अदा किया जाता है, जो खण्ड १७(२)(५) के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसलिये संशोधन की आवश्यकता नहीं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९३ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड १८ और २२ पर कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १७ से २२ तक विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १७ से २२ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब खण्ड २३ है।

†**श्री मी० रु० मसानी** : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड २४ से ३१ पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २३ से ३१ तक विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २३ से ३१ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड ३२—(अवक्षयण)

†**श्री मी० रु० मसानी** : मैं अपना संशोधन संख्या २७* प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री सोमानी** : मैं अपने संशोधन संख्या ५५ और ५६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री मी० रु० मसानी** : इस खण्ड में "इमारतों, मशीनों, कारखानों या फरनीचर" पर अवक्षण की अनुमति दी गई है। मेरा संशोधन है कि इनमें "खानें पेटेन्टस और प्रतिलिप्याधिकार" भी सम्मिलित कर दिये जायें। ये भी सम्पत्ति के ही प्रकार हैं। कराधान जांच आयोग ने सिफारिश भी की है कि खानों पर अवक्षयण की छूट दी जानी चाहिये ।

†**श्री सोमानी** (दौसा) : योजना में देश के सभी प्रदेशों के समान, सन्तुलित विकास की अवधारणा की गई है। लेकिन देश के पिछड़े हुए भागों में उतना औद्योगीकरण नहीं हो रहा है। इसलिये उन क्षेत्रों के उद्योगों को अतिरिक्त अवक्षयण भत्ता दिया जाना चाहिये। तभी दूसरे क्षेत्रों के लोग उन उद्योगों में विनियोजन करने के लिये आगे बढ़ेंगे ।

इससे सरकार को राजस्व की हानि नहीं होगी। १९५९ तक ऐसी व्यवस्था थी भी। इसलिये मैं किसी नयी रियायत की मांग नहीं उठा रहा हूं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : श्री मी० रु० मसानी ने खानों, तेल के कुओं, 'पेटेन्टस' और प्रतिलिप्याधिकार के लिये अवक्षयण की व्यवस्था चाही है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसलिये कि खनन अधिकार प्राप्त करने के लिये एक बार में इकटठी राशि अदा नहीं करनी पड़ती। वह रायल्टी के रूप में अदा की जाती है। व्यवसाय की कर योग्य आय में रायल्टी की रकम सम्मिलित नहीं की जाती। इसलिये खानों के लिये अवक्षयण की व्यवस्था पहले से मौजूद है। 'पेटेण्ट' के अधिकार प्राप्त करने के लिये भी एक ही बार में अदायगी नहीं करनी पड़ती उसकी अदायगी कई वर्षों में फैली रहती है। इसलिये अवक्षयण की कोई आवश्यकता नहीं। खनिज तेलों के लिये, सरकारी सहयोग से चलने वाले उपक्रमों में, खण्ड ४२ के अन्तर्गत न्यूनता भत्ते की व्यवस्था मौजूद है। गैर-सरकारी उपक्रम तो इसमें होंगे ही नहीं। इसलिये अवक्षयण भत्ते की व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिये, मैं संशोधन को स्वीकार नहीं करता ।

श्री सोमानी अपने संशोधनों द्वारा पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिये अतिरिक्ति अवक्षयण भत्ते की अनुमति के लिये जो कारण बता रहे हैं, ठीक नहीं उन्हीं कारणों के आधार पर पहले की ऐसी व्यवस्था रद्द कर दी गई है। उसका यह तरीका नहीं है। इस तरह के स्थायी अधिनियम में ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती। इस प्रकार की चीजें तो आय-व्ययक बनाते समय सोची जाती हैं। और चूंकि सरकार ने विकास सम्बन्धी छूट को काफी उदार बना दिया है, इसलिये अवक्षयण भत्ते की व्यवस्था अनावश्यक होगी। कम विकसित क्षेत्रों के लिये सरकार की अन्य योजनायें हैं। उनमें पहले ही काफी गुंजाइश रखी गई है। इसलिये ऐसी किसी अतिरिक्त प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। कराधान में विभेद करना देश के स्वस्थ विकास के हित में नहीं होगा। इसलिये मैं श्री सोमानी के संशोधनों का भी विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २७ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**श्री सोमानी** : मैं अपने संशोधन संख्या ५५ और ५६ पर आग्रह नहीं करता ।

संशोधन संख्या ५५ और ५६, सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३३ (विकास छूट)

†**श्री मी० रु० मसानी** मैं अपने संशोधन संख्या २८ ,२९ और ३० प्रस्तुत करता हूं ।

मेरे संशोधनों का उद्देश्य यह है कि लाभदायक व्यापार के उत्तराधिकार के सभी मामलों में विकास छूट की सुविधा मिलती रहनी चाहिये क्योंकि इससे देश को फायदा होगा :

†**श्री सोमानी** : मैं अपना संशोधन संख्या ५७ रखता हूं ।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

†**श्री झुनझुनवाला** (भागलपुर) : मैं श्री मसानी का समर्थन करता हूं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : प्रवर समिति में इन बातों पर विचार किया गया था और उस की यह राय थी कि इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिये । यदि इन संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाये, तो इस मामले में दुरुपयोग होने लगेगा । किसी को यह सुविधा क्यों दी जाये कि वह औरों से पैसा ले कर सरकार के खर्च पर लाभ उठाये । इसलिये यह रियायत केवल उन हालतों में दी गई है, जिन में इस का दुरुपयोग न हो सके ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २८, २९ और ३० मतदान के लिये प्रस्तुत हुए तथा अस्वीकृत हुए ।

†**श्री सोमानी** : मैं अपने संशोधन संख्या ५७ पर आग्रह नहीं करता ।

संशोधन संख्या ५७ सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३८ से ४० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ४१—(लाभ जिन पर कर लग सकता है)

†**श्री मोरारका** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४७, पंक्ति २२ और २३ में शब्द

"sub-section (2), उपधारा (२) में"] हटा दिये जायें (९७)

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ४७, पंक्ति २२ और २३ में से शब्द "sub-section" ('उपधारा (२) में') हटा दिये जायें । (९७)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ४१, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४१--संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४३--(ऐसी मदों की परिभाषायें जोकि व्यापार या वृत्ति के लाभ और मुनाफे की आय से संगत हों)

†**श्री सोमानी** : मैं अपने संशोधन संख्या ५८ और ५९* प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : माननीय सदस्य सट्टेबाज़ी का सुझाव दे रहे हैं । इसकी अनुमति तो नहीं दी जा सकती । मैं उन के संशोधनों का विरोध करता हूं ।

†**श्री सोमानी** : मैं इन पर आग्रह नहीं करता ।

संशोधन संख्या ५८ और ५९ सभा की अनुमति से वापिस लिये गये ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४४ और ४५ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४६ से ४८ तक विधेयक का अंग बनें ।"

खंड ४६ से ४८ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ४९--(अर्जन की कुछ किस्मों के सम्बन्ध में लागत)

***संशोधन किया गया ।**

पृष्ठ ५३ (१), पंक्ति १९ में ' trust '(न्यास)के स्थान पर ' or ' (या) रख दिया जाये ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

*संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

(२) पंक्ति १९ के बाद यह शब्द रखे जायें :

(e) Under any such transfer as is referred to in clause 4 of section 47.

["(ङ) धारा ४७ के खंड ४ में उल्लिखित किसी हस्तांतरण के अधीन] (४७)

[श्री मुरारजी देसाई]

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४९, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४९ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ५० से ५३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ५४—(निवास स्थान के लिये प्रयोग में लाई जाने वाली सम्पत्ति के विक्रय पर लाभ)

***संशोधन किया गया ।**

पृष्ठ ५५, पंक्ति ३ से ९ के स्थान पर यह शब्द रख दिये जायें :

"(i) if the amount of the capital gain is greater than the cost of the new asset, the difference between the amount of the capital gain and the cost of the new asset shall be charged under section 45 as the income of the previous year; and for the purpose of computing in respect of the new asset any capital gain arising from its transfer within a period of three years of its purchse or construction, as the case may be, the cost shall be nil; or

(ii) if the amount of the capital gain is equal to or less than the cost of the new asset, the capital gain shall not be charged under section 45; and for the purpose of computing in respect of the new asset any capital gain arising from its transfer within a period of three years of its purchase or construction, as the case may be, the cost shall be reduced by the amount of the capital gain."

["(१) यदि पूंजी लाभ की राशि नई आस्थियों की लागत से अधिक हो, तो पूंजी लाभ और नई आस्थियों के अन्तर पर धारा ४५ के अधीन पहले वर्ष के आय के रूप में कर लगेगा और नई आस्थियों के मूल्यांकन के लिये कोई भी पूंजी लाभ जोकि तीन वर्षों के अन्दर उस की खरीद या निर्माण जैसा भी मामला हो, से उत्पन्न हस्तांतरण की लागत कुछ नहीं मिलेगी या

(२) यदि पूंजी लाभ की राशि नई आस्थियों की लागत से कम या बराबर हो, तो पूंजी लाभ पर धारा ४५ के अधीन कर नहीं लिया जायेगा, और नई आस्थियों के मूल्यांकन के लिये तीन वर्ष की अवधि के अन्दर उस की खरीद या निर्माण, जैसा भी मामला हो, से उत्पन्न हस्तांतरण की लागत पूंजी लाभ की राशि से घटा दी जायेगी] (५)

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस खंड के अनुसार यदि कोई निर्धार्य व्यक्ति या उसके मातापिता अपने किसी रिहायशी मकान को बेचते हैं,तो उस से होने वाले पूंजी लाभ पर कर नहीं लगाया जायेगा

---

†मूल अंग्रेजी में

*संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

यदि सारा का सारा पून्जी लाभ विक्रय के एक साल पहले या बाद नई सम्पत्ति खरीदने में लगा दिया जाता है। इस का उद्देश्य यह है कि नई सम्पत्ति में धन के विनियोग को प्रोत्साहन दिया जाये किन्तु विधेयक के मूल उपबन्ध के अनुसार नई सम्पत्ति को इस की खरीद के थोड़े समय बाद बेच कर इस रियायत का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिये यह संशोधन किया गया है ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४५ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५४ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ५५ से ६१ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ६२—(निश्चित अवधि के लिये हस्तान्तरण अविखंडनीय)

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ ५६, पंक्ति १ में शब्द "made before the first day of April"

[पहली अप्रैल १९६१ से पहले किये गयें] हटा दिये जायें " (३१)

मेरा निवेदन है कि यह खंड उन लोगों के लिये बाधक सिद्ध होगा, जो न्यासों को स्थायी बनाना चाहते हैं । मेरे संशोधन का यह प्रभाव होगा कि यदि कोई न्यास जो १ अप्रैल, १९६१ से पहले या बाद में बनाया गया है, ६ वर्षों तक अविखंडनीय रहता है, तो उसे छट की सुविधा मिलनी चाहिये ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : हम वर्तमान न्यासों के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते । यह उपबन्ध भावी न्यासों के लिये किया गया है । मैं संशोधन का विरोध करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३१ मतदान के लिये प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ६३ से ८६ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ८७—

†**श्री मी० रु० मसानी** : मैं अपने संशोधन संख्या ३२* और ३३* प्रस्तुत करता हूं ।

ऐसा कोई कारण नहीं कि जब बीमे की किश्त पर छूट दी जाती है, तो इस बात पर आग्रह किया जाये कि वह किश्त उस साल की या उस से पहले साल की कर योग्य आय में से दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : बहुत से लोग भविष्य निधि में रुपया जमा करते हैं और वह बीमे की किश्त देने के लिये उसमें से रुपया निकाल सकते हैं। रुपया जमा करने पर तो आयकर नहीं लगता, किन्तु क्या उस पर निकालने के समय भी कर नहीं लाना चाहिये ? ऐसा करना तो दोहरा लाभ पहुंचाना होगा। इसलिये इस पर कर लगाना चाहिये।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३२ और ३३ मतदान के लिये प्रस्तुत हुये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ८७ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ८७ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ८८ पूर्त प्रयोजनों के लिये दान

†**श्री मो० रु० मसानी** : मैं अपना संशोधन संख्या *३५ और प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री नौशीर भरुचा** : मैं अपना संशोधन संख्या *३४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री मोरारका** : मैं प्रस्ताव* करता हूं :

पृष्ठ ७२, पंक्ति ३७ में--

"race" ['जाति'] शब्द निकाल दिया जाये। (४७)

†**श्री मि० रु० मसानी** : यह भारतीय नागरिक का अधिकार है कि वह देश में किसी भी समुदाय को दान दे। यदि जन्म, धर्म या जाति की दृष्टि से वह व्यक्ति उस समुदाय से निकट संबंध रखता है, तो उस बात से दान की महत्ता कम नहीं होती। प्रश्न केवल यह होना चाहिये कि वह दान स्वार्थ के लिये तो नहीं किया गया। मेरे विचार में हमें इस मामले में राजनीतिक पहलू ला रहे हैं।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। यदि न्यास किसी विशिष्ट समुदाय के लिए हो, तो सरकार समझती है कि कोई छूट नहीं देनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति न्यास बना कर उसे किसी भी प्रयोग में ला सकता है। सवाल केवल यह है कि सरकारी राजस्व देना चाहिए।

श्री अमजद अली : मैं श्री मसानी के संशोधन का समर्थन करता हूं। दान अपनी पसन्द के लोगों को दिया जाता है। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि वह किसे दिया जाना है या किस नाम से दिया जाता है। धर्म, जाति आदि शब्द इस खंड में नहीं होने चाहिए।

†**श्री नौशीर भरूचा** : खंड ८८ तर्कहीन है, क्योंकि यह एक प्रकार का पूंजी शुल्क है। मेरा निवेदन यह है कि यदि उस धन पर जो एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग में लाता है कर नहीं लगता, तो क्या उस राशि पर कर लगाना उचित है जो पूर्त प्रयोजनों के लिए दी जाती है, केवल इस लिए कि वह दान एक विशेष समुदाय के लिए होता है ? क्या यह तर्क ठीक है कि चूंकि आप सभी समुदायों के लोगों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं देते, इसलिए किसी भी समुदाय को शिक्षा के लिए

दिया जाये। मैं समझता हूं कि हम धर्म निर्पेक्षता के सिद्धान्त को बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस उपबन्ध में परिवर्तन करने की जरूरत है, नहीं तो शिक्षा के उद्देश्य को बहुत हानि पहुंचेगी।

†**श्री नथवानी:** मैं श्री मसानी के संशोधन का विरोध करता हूं। शिक्षा के उद्देश्य को कोई हानि नहीं पहुंची है। मैं यह पूछता हूं कि क्या ये दान और न्यास जाति या साम्प्रदायिकता की भावनायें पैदा करते हैं या नहीं। यह बात सब को मालूम है कि जाति और साम्प्रदायिकता की भावनायें दान तक ही सीमित नहीं हैं वे राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी लाई जाती हैं।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : मैं संशोधन का विरोध नहीं करता और श्री नथवानी के साथ सहमत हूं कि दान के मामलों में साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये किन्तु यह याद रखना चाहिये कि हमारे संविधान में धर्म की आज़ादी है और धर्मनिर्पेक्षता का अर्थ यह है कि हम सब धर्मों का आदर करते हैं।

अब यह प्रश्न उठता है कि यदि किसी ऐसी धार्मिक संस्था को दान दिया जाये जो उस धर्म के फैलाने एवं उसे समझने में सहायता करती है तो क्या वह इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन आती है अथवा नहीं। मेरा निवेदन है कि धार्मिक दान न केवल आवश्यक है, वरन् वे इसलिये भी आवश्यक हैं कि लोग मूल अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा पूरा लाभ उठा सकें। सरकार इस बात पर विचार करे कि क्या वह संबंधित उपबन्ध से उत्पन्न होने वाली सम्भाव्य गलतफहमी को दूर कर सकती है।

†**श्री मोरारजी देसाई :** श्री मसानी ने कहा है कि यदि मैं इसे सार्वजनिक धन कहता हूं तो यह मेरी नितान्त भूल है। उनका कहना है कि वापस मिला हुआ धन अथवा छूट निजी सम्पत्ति है। मैं इस बात से सहमत हूं वर्ना यह क्यों दी जाती। लेकिन जिस धन पर कर लगता है वह निजी सम्पत्ति नहीं है। वेतनभोगी लोगों का कर हम वेतन मिलने के स्थान पर ही काट लेते हैं। और जो राशि कर स्वरूप काटी जाती है वह सरकार की है इस बारे में दो मत नहीं हो सकते। अब प्रश्न यह आता है कि सरकार क्या है, सरकार एक व्यवस्था है जिसका निर्धारण जनता ने अपनी सुविधाओं के लिये किया है। अतः जनता को कुछ न कुछ राशि इस सरकार को देनी चाहिये ताकि वह अपना काम चला सके। इसी आधार पर कर लगाये जाते हैं। यदि कर ठीक हैं तो जनता को उनका भुगतान करना चाहिये। अब एक प्रश्न यह उठाया जा सकता है कि कर अधिक है या कम। यहां संसद आती है जिसका काम इसके बारे में निर्णय करना है। संसद द्वारा जो कर निर्धारित किया जाता है उसका भुगतान करना अनिवार्य है। और वह सार्वजनिक धन है निजी धन नहीं।

वैयक्तिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है और उसकी महत्ता तभी तक जब कि वह सभी की स्वतंत्रता की गारंटी करती है। अन्यथा यह अच्छी नहीं है। एक सरकार बनाते समय वैयक्तिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है।

आयकर आज का नहीं सौ वर्ष पुराना है। उन दिनों से ही धार्मिक संस्थाओं पर कर लगा हुआ है। डा० अणे का कहना है कि प्रत्येक धर्म, धर्म परिवर्तन में विश्वास रखता है लेकिन वह धर्म परिवर्तन, केवल स्वेच्छा से किया जाता है किसी अन्य तरीकों से नहीं। इसी प्रकार के धर्म परिवर्तन को राज्य भी मान्यता देता है। राज्य की धर्मनिर्पेक्षता का अर्थ भी यही है। राज्य किसी धर्म पर यह प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता कि वह धर्म परिवर्तन न करे बशर्तेकि वह स्वेच्छा

---

†मूल अंग्रेजी में

से किया गया हो। और यही कारण है कि सरकार इन धार्मिक संस्थाओं को छूट नहीं दे सकती। इसलिये सरकार ही एक ऐसी संस्था है जो उचित है, तर्कयुक्त है।

अन्त में मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और श्री मुरारका के संशोधन को स्वीकार करता हूं।

†**सभापति महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या ३४ और ३५ को मतदान के लिये रखूंगा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३४ और ३५ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

†**सभापति महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या ४७ रखता हूं। प्रश्न यह है पृष्ठ ७२ पंक्ति ३७ में

" race " [जाति] शब्द निकाल दिया जाये (४७)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री मुरारका** : एक आनुषंगिक संशोधन है। व्याख्या में से भी "जाति" शब्द निकाल दिया जाये।

†**श्री मोरारजी देसाई** : जी हां। मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ७३ पंक्ति १० में,

" race " [जाति] शब्द निकाल दिया जाये। (९८)

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७३ पंक्ति १० में,

" race " [जाति] शब्द निकाल दिया जाये। (९८)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ८८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ८८, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ८९ से ९३ विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**सभापति महोदय** : खंड ९४ के बारे में एक सरकारी संशोधन है

***संशोधन किया गया**

पृष्ठ ७९ पंक्ति ११ से १३ में

"If the result of the transaction is that interest becoming payable in respect of the securities is receivable by him"

---

†मूल अंग्रेजी में

*संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

(यदि इस आदान प्रदान का परिणाम प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में ब्याज देना है तो वह उसके पाने का भागी बनता है) के स्थान पर यह रख दिया जाये :

"If the result of the transaction is that interest becoming payable in respect of the securities is receivable by him but is not deemed to be his income by reason of the provisions contained in sub-section (1)

(यदि इस आदान प्रदान का परिणाम प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में ब्याज देना है तो वह उसके पाने का भागी बनता है किन्तु वह उपधारा (१) में निहित उपबन्धों के कारण उसकी आय नहीं समझी जायेगी) (६)

(श्री मोरारजी देसाई)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड ६४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ६५ से १०३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १०४—(कुछ समवायों की अविभाजित आय पर प्रतिकर)

†**श्री मी० रु० मसानी** : मैं अपना संशोधन संख्या ३८ और ८२ प्रस्तुत करता हूं ।

समवायों सम्बन्धी धारा २३क के बारे में जो यह खंड प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में मैं दो संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं । यह धारा २३क संविहित रूप से समवायों को इस बात के लिये बाध्य करती है कि वे अपने लाभ को लाभांश के रूप में वितरण करें। इस संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि जब समवाय का लाभ कम हो तो ये उपबन्ध उस पर लागू न किये जायें ।

कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब कि समवाय को अपनी व्यापारिक आवश्यकता लिये धन की आवश्यकता होती है । ऐसी स्थिति में लाभ होते हुए भी उसे इस बात के लिये बाध्य न किया जाये कि वह अपने लाभ को वितरित न करे । अतः आयकर अधिकारियों को कह दिया जाये कि जहां किसी समवाय की वास्तविक व्यापार आवश्यकताएं बाधक होती हों वहां इस खंड सम्बन्धी उपबन्ध लागू न किये जायें ।

मेरा दूसरा संशोधन संख्या ८२ बहुत ही महत्वपूर्ण है और आशा है कि वित्त मंत्री उस पर ध्यान देंगे । इस संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई समवाय किसी वर्ष निर्धारित प्रतिशत से अधिक लाभांश देता है तो अधिक लाभांश को आगामी वर्ष के लिये विचार कर लिया जाये । अतः मेरा निवेदन है कि यदि किसी कम्पनी को लाभांश का जो कि उसे संविधि के अधीन बांटना पड़ता है, प्रतिशत छः वर्षों में ठीक कर लेने दिया जाये तो इससे कोई हानि न होगी । इस आशय का यह संशोधन स्वीकार किया जाये ।

†**श्री मुरारका** : पृष्ठ ८३ पंक्ति ७ में छपाई की भूल है । मैंने प्रवर समिति में इसका उल्लेख किया था इससे इस खंड का अर्थ ही बदल जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई :** इस बात को मैं स्वीकार करता हूं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जहां तक श्री मसानी के संशोधन की बात है मैं सम्पति का प्रतिवेदन रखते समय उसकी चर्चा कर चुका हूं । जहां तक उनके दूसरे संशोधन की बात है मैं निवेदन करता हूं कि खंड १०४ तथा १०९ में जो व्यवस्था हमने की है उसको देखते हुए उनका संशोधन ठीक नहीं है । इसलिये मैं उनके दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३८ और ८२ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १०४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १०४ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड १०५ से ११५, दोनों सम्मिलित हैं ; विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ११९ से १३८, दो सम्मिलित हैं; विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १३९ —(आय का विवरण)

***संशोधन किया गया**

पृष्ठ १०२ पंक्ति ३४

"Paid" (दिया गया) शब्द के बाद यह रख दिया जाये ।

"Or by any tax deducted at course as the case may be."(अथवा कोई कर जो वेतन लेते समय लिया गया हो, जैसी भी स्थिति हो) (७)

[श्री मोरारजी देसाई]

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १३९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १३९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड १४० से १४२ विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १४० से १४२ विधेयक में जोड़ दिये गये

---

†मूल अंग्रेजी में

***संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत**

खंड १४३ (करारोपण)

†**श्री मी० रू० मसानी** : मैं अपना संशोधन संख्या ८३ प्रस्तुत करता हूं।

यह बहुत सीधा है और इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि करारोपण आदेश की प्रति करदाता को कर निर्धारण करने की तिथि से ३० दिन के भीतर भेजी जानी चाहिये।

†**श्री मोरारजी देसाई** : इसके अनुसार एक संविहित सीमा निर्धारित हो जाती है। मान लीजिये कि यह आदेश भूल से नहीं भेजा जाता तो कोई कर उससे वसूल नहीं हो सकेगा। इसलिये इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८३ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है।

"कि खंड १४३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १४३ विधेयक में जोड़ दिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब खंड १४४ से १५३ पर विचार होगा।

श्री मुरारका : प्रवर समिति में माननीय वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि वह ऐसा निदेश देंगे कि अपीलें १२ महीने से अधिक निलम्बित न रखी जायें। हालांकि ऐसी सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि वह ऐसा आश्वासन यहां दें।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रयत्न करूंगा कि ऐसा किया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १४४ से १५३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १४४ से १५३ विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड १५४ से १७८ विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड १७९--(सभापित गैर सरकारी समवायों के संचालकों का दायित्व)

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपना संशोधन संख्या ६८* प्रस्तुत करता हूं।

इस खंड के अनुसार समवाय के समापन पर संचालक को उस समवाय का कर देना होगा। मेरे इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि किसी ऐसे संचालक पर समवाय पर तीन वर्ष से अधिक अवधि के करों के भुगतान की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिये। क्योंकि जब तक वे कार्यभार संभाले हुए हैं तब तक तो उनका नैतिक दायित्व है कि वे कर का भुगतान करें उसके समापन के बाद सरकार को भी तो सावधान रहना चाहिये। आशा है कि वित्त मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

†**श्री मी० रु० मसानी** : मैं इस खंड का विरोध करता हूं क्योंकि सिद्धान्त यह बुरा है। यह खंड देश की औद्योगिक प्रगति को बहुत हानि पहुंचायेगा। समवाय विधि ने जो लाभ एक ओर

---

†मूल अंग्रेजी में

*संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

प्रदान किये हैं उन्हें आय कर विधि द्वारा दूसरी ओर छीन रही है। इस खंड के उपबन्ध न्याय शास्त्र के मूल सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं। अतः मैं इसका विरोध करता हूं।

†श्री मुरारका : जब प्रवर समिति में इस पर विचार हो रह था तो समिति ने कहा था कि यदि समापन के पश्चात् यदि समवाय पर कोई कर लगाया जाता है तो संचालय निश्चय ही इसके उत्तरदायी नहीं होंगे। समापन होने से पूर्व समवाय के दायित्व उसकी आस्तियों से वसूल किये जायेंगे। समापन के बाद संचलकों को उत्तरदायी बनाना वास्तव में बुरी बात है। इस लिये मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि वे इस पर विचार करें।

मेरा इतना ही निवेदन है कि उसे तभी तक उत्तरदायी बनाया जाये जब तक कि समवाय के दायित्वों का समापन नहीं होता। दूसरे इस खंड के उपबन्धों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू न किया जाये। किसी कमी को दूर करने के लिए विधि में परिवर्तन अवश्य किया जाये किन्तु उसके भूतलक्षी प्रभाव वाली बात न होनी चाहिये।

वैसे यह विधेयक बहुत अच्छा है।

†श्री प्रभात कार : मेरा विचार है कि एक निजी लि० कम्पनी तथा सार्वजनिक लि० कम्पनी में मूलभूत अन्तर है। निजी कम्पनी के संचालक सार्वजनिक कम्पनी के संचालकों की अपेक्षा कार्य के लिय अधिक उत्तर दायी है। मेरा विचार है कि यदि कम्पनी ने आयकर नहीं दिया है तो उसके लिये संचालक को उत्तरदायी ठहराया जाये। मेरे विचार से इस खंड में कोई बात अनुचित नहीं है। इसलिये इसे विधयक में रहने दिया जाय। यदि संचालक की असावधानी से भुगतान न किया गया हो तो उसे उस हदतक जिम्मदार ठहराया जाये। सब बातों को देखते हुय, मेरा मत यह है कि यह दायित्वों वाला खण्ड हटा दिया जाना चाहिये।

†श्री मोरारजी देसाई : मैंने इस दिशा में स्थिति स्पष्ट कर दी है और मैं श्री नौशीर भरूचा के संशोधन संख्या ६८ का विरोध करता हूं।

†श्री नौशीर भरूचा : मैं सदन की अनुमति से अपना संशोधन संख्या ६८ वापिस लेता हूं।

संशोधन संख्या ६८ सभा की अनुमति से वापस लिया गया

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १७९ विधयक का अंग बन" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १७९ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १८० से २१६ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड २१७—(बिना अनुदान के करदाता द्वारा दिया जाने वाला ब्याज)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव* संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत करता हूं :

पृष्ठ १४६, पंक्ति ३ से १२ के स्थान पर ये शब्द' रख जायें :—

"217. (1) Where, on making the regular assessment, the Income-tax officer finds that any such person as is referred to in sub-section (3) of section 212 has not sent the estimate referred to there in, simple interest at the rate of four per-cent per annum from the first day of April next following the financial year in which the advance tax was payable in accordance with the said provisions up to the date of the regular assessment shall be payable by the assessee upon the amount equal to the seventy-five per cent referred to in sub-section (1) of section 215."

["२१७(१) जहां नियमित निर्धारण के पश्चात् आयात अधिकारी को यह ज्ञात हो कि ऐसे किसी व्यक्ति ने जिसका उल्लेख धारा २१२ की उपधारा ३ में किया गया है। जिसमें उल्लिखित अनुदान नहीं भेजे है। उससे आगामी अप्रैल की पहली तारीख से जोकि आनुसंगिक वित्तीय वर्ष में जिसका अग्रिम कर विहित उपबन्धों के अनुसार नियदित निर्धारण की तारीख तक भुगतान कर दिया गया हो, उस पर कर दाता को धारा २१५ की उपधारा १ में उल्लिखित राशि के ७५ प्रतिशत के बराबर राशि पर चार प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा।"]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ १४६, पंक्ति ३ से १२ के स्थान पर यह शब्द रख जायें :—

"217. (1) Where, on making the regular assessment, the Income-tax officer finds that any such person as is referred to in sub-section (3) of section 212 has not sent the estimate referred to therein, simple interest at the rate of four per cent per annum from the first day of April next following the financial year in which the advance tax was payable in accordance with the said provisions up to the date of regular assessment shall be payable by the assessee upon the amount equal to the seventy-five per cent referred to in sub-section (1) of section 215."

["२१७(१) जहां नियमित निर्धारण के पश्चात आयकर अधिकारी को ज्ञात हो कि ऐसे किसी व्यक्ति ने जिसका उल्लेख धारा २१२ की उपधारा ३ में किया गया है उसमें उल्लिखित अनुदान नहीं भेजे हैं। उससे आगामी अप्रैल की पहली तारीख से जो कि आनुसंगिक वित्तीय वर्ष में जिसका अग्रिम कर विहित उपबन्धों के अनुसार नियदित निर्धारण की तारीख तक भुगतान कर दिया गया हो, उस पर कर दाता को धारा २१५ की उपधारा १ में "उल्लिखित राशि के ७५ प्रतिशत के बरावर राशि पर चार प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा] (८)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २१७, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २१७ संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २१८ से २२० तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड २२१ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २२२ से २४१ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

*संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

†**उपाध्य महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २४२ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २४२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड २४३—(विलम्बित वापिसियों पर ब्याज)

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव* करता हूं :—

पृष्ठ १५७ और १५८ में क्रमश: पंक्ति ४० और ४१ तथा पंक्ति १ से ५ तक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"243. (1) If the Income-tax officer does not grant the refund,

(a) in any case where the total income of the assessee does not consist solely income from interest on securities or dividend, within three months from the date on which the total income is determined under this Act, and

(b) in any other case, within six months from the date on which the claim for refund is made under this chapter,

The Central Government shall pay the assessee simple interest at four per cent per annum on the amount directed to be refunded from the date immediately following the expiry of the period of three months or six months aforesaid, as the case may be, to the date of the order granting the refund."

["२४३ (१) यदि आयकर पदाधिकारी धन वापिस न दे तो,

(क) किसी ऐसे मामले में जहां कर दाता की कुल आय में केवल प्रतिभूतियों पर ब्याज अथवा लाभांश से होने वाली आय ही न हो तो इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गयी कुल आय की तारीख से तीन मास के अन्दर, और

(ख) किसी अन्य ऐसे मामले में उस तारीख से छः मास के अन्दर जिसको कि इस अध्याय के अन्तर्गत धन की वापिसी के लिये दावा किया गया हो,

केन्द्रीय सरकार उस राशि पर जिसे वापिस देने के लिये निर्देश दिया गया हो, तीन मास अथवा छै मास की उक्त अवधि के समाप्त होने के तत्काल बाद की तारीख से, जैसी भी स्थिति हो धन वापिस देने के आदेश की तारीख तक कर दाता को चार प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज देगी ।"] (९)

इस सम्बन्ध में मैं स्पष्टीकरण कर चुका हूं और इस समय कुछ और कहना अनावश्यक है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन सदन के समक्ष है ।

†**श्री मी० रु० मसानी** : मैं मूल खंड का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं । इस मूल खंड २४३ को प्रवर समिति ने स्वीकार किया था और इसका उद्देश्य यही था कि जिनको अदायगियों में देर हो जाय उन्हें ब्याज दिया जाय । मेरा मत है कि इस दिशा में सरकार कुछ ज्यादती कर रही है । प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत खण्ड में जतनी शीघ्रता और तीव्रता से तबदीली नहीं करनी चाहिये । यदि इस दिशा में इस प्रकार शीघ्रता से काम लिया गया तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*संशोधन राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से प्रस्तुत

†**श्री मोरारका** : खण्ड २४३ में संशोधन कर जो व्यवस्था कर रही है, वास्तव में देखा जाय तो प्रवर समिति का भी यही मतलब था। इसके अतिरिक्त और कुछ बात हो ही नहीं सकती। जब तक हमें देय करों की वापिस मिलने वाली राशि ज्ञात न हो तब तक इस राशि की वापिसी के लिये दावा कैसे पेश कर सकते हैं। मेरा मत यह है कि सरकार का यह संशोधन अल्प आय वाले कर दाताओं के हित में है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १५७ और १५८ में क्रमश: पंक्ति ४० और ४१ तथा पंक्ति १ से ५ तक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"243. (1) If the Income-tax officer does not grant the refund,

(a) in any case where the total income of the assessee does not consist solely of the income from Interest on securities or dividend, within three months from the date on which the total income is determined under this Act, and

"(b) in any other case, within six months from the date on which the claim for refund is made under this Chapter,

The Central Government shall pay the assessee simple interest at four per cent per annum on the amount directed to be refunded from the date immediately following the expiry of the period of three months or six months aforesaid, as the case may be, to the date of the order granting the refund".

[२४३(१) यदि आयकर पदाधिकारी धन वापिस न दे तो,

(क) किसी ऐसे मामले में जहां कर दाता की कुल आय में केवल प्रतिभूतियों पर ब्याज अथवा लाभांश से होने वाली आय ही न हो तो इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की गई कुल आय की तारीख से तीन मास के अन्दर; और

(ख) किसी अन्य ऐसे मामले में उस तारीख से छः मास के अन्दर जिसको कि इस अध्याय के अन्तर्गत धन की वापिसी के लिये दावा किया गया हो,

केन्द्रीय सरकार, उस राशि पर जिसे वापिस देने के लिये निर्देश दिया गया हो, तीन मास अथवा छः मास की उस अवधि के समाप्त होने के तत्काल बाद की तारीख से, जैसी भी स्थिति हो धन वापिस देने के आदेश की तारीख तक कर दाता को चार प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देगी"] (६)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २४३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २४३ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २४४ से २४८ तक विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड २४६—(अपील और सीमाओं का रूप)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मी० रु० मसानी** : मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"पृष्ठ १६०, पंक्ति ३१ में "given" "(दिया हुआ)" के स्थान पर "served" ("प्राप्त हुआ") रखा जाय । (८६)

इस दिशा में मेरा निवेदन है कि 'दिये हुय' के स्थान पर 'प्राप्त हुये' रखना अच्छा होगा ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : अच्छी बात है यह मुझे स्वीकार है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १६०, पंक्ति ३१ में "given" "("दिया हुआ") के स्थान पर "served" ("प्राप्त हुआ") रखा जाय ।" (८६)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २४८, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया जाय "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २४९ को संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खड २५० से २७० तक विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २५० से २७० तक विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड २७१—(नोटिस को मानने तथा विवरण भेजने में असफलता तथा आय का छिपाना)

†**श्री प्रभात कार** : मैं अपने संशोधन संख्या ४७, ८८, ८९ और ९० प्रस्तुत करता हूं ।

आयकर का ब्यौरा देना, आय छिपाना आदि के बारे में खंड २७१ में जो दंड विहित है वह और कड़ा होना चाहिए । खंड को २ प्रतिशत से बढ़ा कर ५ प्रतिशत और २० प्रतिशत से बढ़ा कर २५ प्रतिशत करने का संशोधन स्वीकार किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८७, ८८, ८९ और ९० मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २७१ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २७१ विधेयक में जोड़ दिया गया

---

†मूल अंग्रेजी में

*संशोधन राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से प्रस्तुत

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २७२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २७२ को विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड २७३ को विधेयक में जोड़ दिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खंड २७४ से २८० तक पर चर्चा करेंगे । इनमें संशोधन नहीं हैं ।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : खंड २७८ के सम्बन्ध में मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं । मेरा मत है कि इस खंड के अन्तर्गत जांच करने वाले अधिकारी द्वारा कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है । इसका परिणाम यह होगा कि कोई भी वकील किसी भी करदाता का प्रतिनिधित्व नहीं कर पायेगा । मेरे विचार में यह ज्यादती है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : वकील को इस क्षेत्र में आना चाहिये क्योंकि वह कानून को जानता है । यदि उसे मालूम है कि कुछ बातें गलत हैं या वह किसी व्यक्ति को ग़लत बातें कहने के लिये उकसाता है तो उसे दण्ड दिया जाना चाहिये । उसे क्यों मुक्त किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २७४ से २८० तक विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २७४ से २८० विधेयक में जोड़ दिये गये

श्री झुनझुनवाला ने खण्ड २८१ में एक संशोधन की सूचना दी थी परन्तु उन्होंने उसे पेश नहीं किया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २८१ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २८१ विधेयक में जोड़ दिया गया

†**श्री हेडा** : निरीक्षण पदाधिकारी अथवा कोई अन्य प्राधिकारी किसी प्रकार का आरोप लगा सकता है जिसके आधार पर वकील उस करदाता की ओर से पैरवी नहीं कर सकेगा । उस वकील को किसी मुकदमे में फंसा कर उसको वकालत के व्यवसाय से अलग किया जा सकेगा । अतः मेरे विचार से जिस प्रकार प्रवर समिति ने दो वर्गों को मुक्त कर दिया उसी प्रकार तीसरे वर्ग को भी मुक्त कर दिया जाना चाहिये ।

श्री मोरारजी देसाई : मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि इस विषय में वकीलों को ही क्यों सुविधायें दी जायें । आखिर वकील ही तो लोगों की करापवंचन करने में सहायता करते हैं । यदि वकील दोषी ठहराया जाता है तो उसे दण्ड क्यों न दिया जाये और उसे अपना व्यवसाय क्यों जारी रखने दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित कृ० चं० शर्मा (हापुड़) : बार कौंसिल क्या होगी ?

श्री मोरारजी देसाई : इसके अन्तर्गत जारी किया गया आदेश आयकर प्राधिकारियों के आदेश से पूर्व लागू होगा ।

श्रीमान्, मेरी राय है कि खण्ड २९५ में संशोधन करने की बजाये २८२(१) में संशोधन कर दिया जाये और उस में "Notice or Intimation" सूचना अथवा सन्देश जोड़ दिया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जैसे माननीय मंत्री ठीक समझें ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २८२ से २९४ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २८२ से २९४ विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड २९५ (नियम बनाने की शक्तियां)

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १८१, पंक्ति १७ से १९ के स्थान पर यह रखा जाये :

"(m) the form and manner in which any appeal or cross objection may be filed under this Act, the fee payable in respect thereof, and the manner in which an intimation would be served."

["(एम) इस अधिनियम के अन्तर्गत अपील अथवा प्रति आक्षेप प्रस्तुत करने की रीति; तत्सम्बन्धी फीस देना और सूचना भेजने की रीति ।"] (९९)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"(m) the form and manner in which any appeal or cross objection may be filed under this Act, the fee payable in respect thereof, and the manner in which an intimation would be served."

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खण्ड २९५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २९५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड २९६ से २९८ विधेयक में जोड़ दिये गये

अनुसूची १ से ५ विधेयक में जोड़ दी गईं

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और बिल का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६१-६२

†**अध्यक्ष महोदय** : हम अब अनुदानों की अनुपूरक मांगों को लेंगे ।

वर्ष १९६१-६२ के लिये अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१८	वैदेशिक-कार्य	१,५६,१५,०००
३२	वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और अन्य व्यय	१,०००
३४	राज्यों को सहायता-अनुदान	१,०००
४२	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और अन्य व्यय . .	५,५०,००,०००
६१	सूचना और प्रसारण मंत्रालय .	७५,०००
७३	विधि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय . . .	३,०१,०००
८५	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और अन्य व्यय . . .	२,७५,००,०००
१३२	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	४,५८,००,०००

अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर निम्न कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
१८	४	श्री पाणिग्रही	सिक्किम और भूटान योजनाओं के लिये राज सहायता ।	१०० रुपये
४२	१०	श्री पाणिग्रही	क्षतिपूर्ति के लिये चीनी उद्योग को राज सहायता ।	१०० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही** : मेरा कटौती प्रस्ताव संख्या १० खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के बारे में है। माननीय मंत्री ने बताया कि अमरीका और मलाया को चीनी का निर्यात करने से हुई हानि को पूरा करने के लिये भारतीय चीनी उद्योग को ५·५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राज सहायता दी जानी चाहिये। अब चीनी के निर्यात का काम इंडियन शूगर मिल्स एसोसियेशन और राज्य व्यापार निगम को सौंपा गया है।

जब राज सहायता की राशि निर्धारित की जा रही थी उस समय माननीय मंत्री ने अमरीका और मलाया को चीनी का निर्यात बढ़ाने के लिये ५·५ करोड़ रुपये की राज सहायता देने को कहा था। मैं यह बात स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि ईरान और पाकिस्तान को चीनी का निर्यात करने के लिये राज्य व्यापार निगम से क्यों कहा गया जब कि वहां अधिक हानि होने का भय था। भारत सरकार ने पाकिस्तान और ईरान के साथ चीनी के विक्रय के लिये करार किये परन्तु दोनों देशों ने चीनी खरीदने से इनकार कर दिया।

राज सहायता के बारे में मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ५·५ करोड़ रुपये में वह राशि भी शामिल है जो चीनी को अमरीकी पत्तनों तक पहुंचाने में भाड़े के रूप में खर्च होगी।

दूसरी बात यह है कि क्या उत्पादन शुल्क और गन्ना उपकर पर दी गई छूट भी इस राज-सहायता में शामिल है। यदि नहीं तो असल हानि ५·५ करोड़ रुपये नहीं बल्कि ८ करोड़ रुपये हुई जिस से केवल १२ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय हुई। यदि ऐसी बात है तो सरकार अमरीका और मलाया को चीनी का निर्यात करने के लिये किस हद तक हानि उठायेगी।

श्री पाटिल ने वाद विवाद के दौरान में चीनी की कमी का यह कारण बताया कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है और चीनी का प्रयोग अधिक होने लगा है परन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि गत तीन वर्ष में चीनी का उत्पादन ३० लाख टन बढ़ गया परन्तु खपत वही २०·५ लाख टन ही रही।

मैं ने जब यह कहा कि उड़ीसा में चीनी १·७५ रु० प्रति सेर बेची जा रही है तो उसे गलत बताया गया। श्री पाटिल ने देश में चीनी का उत्पादन बढ़ाने का काम तो अपने ऊपर लिया परन्तु उसका उपयुक्त वितरण वह नहीं कर सके। यही कारण है कि देश में चीनी की बहुतायत होते हुए भी लोगों को चीनी नहीं मिल रही। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि वितरण को ठीक किया जायेगा और चीनी सम्बन्धी नीति को पुनः निर्धारित किया जायेगा परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई और सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि जो हानि हुई है उसे किस प्रकार वहन किया जायेगा।

मैं यह जानना चाहता हूं कि अमरीका और मलाया के अतिरिक्त और देशों को चीनी बेचने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं और ईरान को २४ पौंड प्रति टन चीनी क्यों नहीं दी गई जब कि पाकिस्तान को २३ पौंड प्रति टन देना ही स्वीकार कर लिया गया।

अब मैं अपना कटौती प्रस्ताव संख्या ४ पेश करता हूं जो सिक्किम और भूटान की योजना के लिये आर्थिक सहायता देने के बारे में है। हमें पता चला है कि भारत सरकार ने गत तीन वर्ष में सिक्किम को ३ करोड़ रुपये दिये हैं और सिक्किम और भूटान को ८ करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया है। हाल ही में सिक्किम नैशनल कांग्रेस के नाम से एक शिष्टमण्डल भारत आया था जिन्होंने कहा कि सिक्किम के शासन में जनता का कोई हाथ नहीं। सम्भव है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्हें यह भी मालूम न हो कि उनके देश के विकास के लिये भारत इतनी सहायता दे रहा है जैसा कि नेपाल में हुआ। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि यह रुपया उसी कार्य पर खर्च किया जाये जिसके लिये यह दिया जा रहा है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं केवल मांग संख्या १२, ४२, ६१, ७ और ८५ और १११ के बारे में ही कहूंगा। मांग संख्या १२ के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि सैनिक और असैनिक कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी नियमों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये क्योंकि पेंशन के रूप में जो कुछ मिलता है वह अपर्याप्त है। प्रतिरक्षा और वित्त मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिये।

मांग संख्या ४२ के बारे में हम यह जानना चाहते हैं कि चीनी का निर्यात करके जो १२ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाई गई उसमें ५·५ करोड़ रुपये की हानि हुई या ८ करोड़ रुपये की।

चीनी के मूल्य को देश में कम करने के लिये क्या कार्यवाही सरकार कर रही है। क्या चीनी को एक से दूसरे राज्य में ले जाने पर लगाये गये प्रतिबन्ध हटा दिये गये हैं।

मांग संख्या ७ पुनर्वास के बारे में है। इस विषय में यह पता चला है कि आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का कार्यालय जिस इमारत में है वह किसी नवाब की है। जो बाद में निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित कर दी गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इसे ६.५ लाख रुपये की कीमत पर खरीदा था और इस इमारत को बेचते समय कोई नीलामी की गई थी या नहीं। यदि की गई थी तो और कौन लोगों ने उसमें भाग लिया था।

इस मामले पर लोगों में बड़ा मतभेद पैदा हो गया है। इस इमारत के नौकरों के क्वार्टरों में रहने वाले लोगों को जगह खाली करने के लिये कहा गया है परन्तु चीफ़ सैटलमेंट कमिश्नर ने आदेश दिया है कि कोई व्यक्ति को जगह खाली करने के लिये नहीं कहा जाये। क्या यह आदेश यहां केवल इस लिये लागू नहीं किये जाते कि इस इमारत पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कब्जा है। माननीय मंत्री कृपया इन बातों पर प्रकाश डालें।

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: यह बात असंगत है और इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने इसी बारे में एक प्रश्न की सूचना दे रखी है जिसका उत्तर अगले मास की ५ तारीख को दिया जाना है।

उपसभापति महोदय : अब यह बात कही जा चुकी है तो माननीय मंत्री को इसका उत्तर देना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने औचित्य प्रश्न उठाने में कुछ विलम्ब कर दिया अन्यथा इस पर विचार किया जा सकता था।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मांग संख्या १११ भी प्रतिरक्षा मंत्रालय के बारे में है। एक ठेकेदार ने भारत सरकार पर ३४,००० रुपये के लिये मुकदमा किया। उसके पक्ष में २३,१७७ रुपये की डिग्री हो गई। मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि ठेकेदारी का अन्त कर दिया जाये क्योंकि सैनिक इंजीनियरिंग सेवा में यही भ्रष्टाचार की जड़ है। इसके मैं कई उदाहरण बता चुका हूं और एक यह है कि लखनऊ में ईस्टर्न कमान के चीफ़ इंजीनियर के कार्यालय की इमारत तैयार होने के एक मास बाद ही उसमें पानी आने लगा।

श्री आसर (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी डिमांड्स पर मैं ने कुछ कटोती प्रस्ताव रखे हैं, जो कि डिमांडस नम्बर १८, ३४, ४२, ६१ और ७३ के सम्बन्ध में हैं और उन पर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आसर]

सबसे पहले मैं एक्सटरनल एफेयर्स मिनिस्ट्री की डिमांड पर कुछ कहना चाहता हूं । हमारे जो एम्बेसी और मिशन हैं उन पर इतना पैसा खर्च करते हुए भी उनसे जो परपज सर्व होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है । हमारे खिलाफ विदेशों में जो प्रचार हो रहा है उसका जवाब देनेके लिए हमारे एम्बेसी और मिशन्स की ओर से जो प्रयत्न होना चाहिए वह नहीं हो रहा है । इसका एक ताजा उदाहरण अभी सामने आया जब जनरल अयूब खां हाल में अमरीका गए थे । उन्होंने वहां जा कर हिन्दुस्तान के बारे में और प्राइम मिनिस्टर के बारे में बहुत सी बातें कहीं । उनके जवाब में हमारा दृष्टिकोण जिस सफाई से रखा जाना चाहिए था वह नहीं रखा गया । इसलिए इस बारे में उनको विशेष इंस्ट्रक्शन जारी की जानी चाहिए ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है, जैसा कि आज सुबह राजा महेन्द्र प्रताप ने कही थी, कि हमारे जो देशवासी विदेशों में जाते हैं उनको इन एम्बसीज और मिशन्स से उचित सहायता नहीं मिलती जो लोग वहां जाते हैं उनको आशा होती है कि हमारे एम्बेसी वहां हैं और उनकी ओर से हमको अच्छी तरह सहायता मिलेगी, लेकिन ऐसी सहायता नहीं मिलती और उन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता । इस ओर भी ध्यान देना चाहिए ।

दूसरी बात यह है . . .

विशेषाधिकार—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा द्वारा स्वीकृत विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट के अनुसार मैं ने श्री करंजिया को बिलट्ज में एक लेख प्रकाशित करने के लिये भर्त्सना करने के लिये बुलाया था । उन्होंने पत्र का उत्तर दिया और उपस्थित होने की तिथि को १५ दिन के लिये स्थगित करने के के लिये लिखा । उनका विचार था कि समिति ने सर्चलाईट केस विषयक उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित था जिसका पुनरावलोकन कराने के लिये वह समय चाहते थे ।

श्री करंजिया ने लेख याचिका भी भेजी जो अस्वीकृत हो गई अतः उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन यह मामला नहीं है । अब हम उन्हें यहां बुला सकते हैं । अब किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है । मुझे पता चला है कि वह यहां आये हुए हैं और क्योंकि कोई टीकादेश जारी नहीं हुए हैं और लेखयाचिका भी अस्वीकृत हो चुकी है इसलिये उन्हें कल यहां आना चाहिये ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह उचित नहीं होगा कि जब तक उच्चतम न्यायालय से कोई अधिकृत पत्र प्राप्त न हो तब तक हम आगे कोई कार्यवाही न करें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी भी पक्ष को न्यायाधीश ऐसा कोई पत्र नहीं लिखते हैं ।

†**श्री तंगामणि** : न्यायालय आदेश जारी करेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : समन अथवा वारंट के अतिरिक्त न्यायालय और कोई पत्रादि नहीं भेजता ।

†**श्री तंगामणि** : वाद पक्ष और प्रतिवाद पक्ष के वकीलों ने दो-तीन घण्टे तक वाद प्रतिवाद किया तो जरूरी है कि उसके पश्चात् न्यायालय आदेश देगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ही निर्णय बतादें उन्हें तो मालूम होगा क्योंकि वह स्वयं वहां गये हुए थे ।

†**श्री तंगामणि** : याचिका अस्वीकृत हुई है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मैं श्री तंगामणि से सहमत हूं कि जब तक न्यायालय की कार्यवाही की प्रमाणित प्रति हमें प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हमें कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये । आखिर एक दो दिन के विलम्ब से कोई विशेष हानि नहीं होने वाली है ।

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : श्री ही० ना० मुकर्जी के कथनानुसार हम ने इस मामले को मान्यता दी है । हमारा वकील न्यायालय में मौजूद था और उसकी उपस्थिति में आदेश दिये गये । अध्यक्ष महोदय ने आदेश सभा को सुना दिये हैं । अब और प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं है । श्री करंजिया ने हमारे विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की थी । हमारे एक उपसचिव वहां की कार्यवाही सुनने के लिये भेजे गये थे और उन से हमें पता चला है कि श्री करंजिया की अपील खारिज कर दी गयी । इसके लिये कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता है ।

इसके अलावा माननीय सदस्य श्री तंगामणि भी वहां की कार्यवाही सुनने गये थे और वे भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं । उच्चतम न्यायालय अपनी सुविधानुसार निर्णय की एक प्रति हमारे पास भेज ही देगा । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि सभा में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं है ।

अब हम अगले कार्य पर विचार करेंगे ।

बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव

†**श्री गोरे** (पूना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में सिंचाई और विद्युत् मन्त्री द्वारा ७ अगस्त, १९६१ को सभा-पटल पर रखे गये विवरण पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य प्रायः १० मिनट और अधिक से अधिक १५ मिनट का समय लें ।

†**श्री गोरे** : आपने हमें जो अवसर दिया है उस के लिये धन्यवाद । हमारे देश में प्रति वर्ष बाढ़ें आती हैं । ७ अगस्त के विवरण में माननीय मन्त्री ने स्वीकार किया है कि केरल, मद्रास और मैसूर में बाढ़ से बहुत क्षति हुई है ।

सरकार ने बाढ़-नियन्त्रण के अनेक उपाय किये हैं । यहां केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड और इस के अलावा अनेक नदियों के लिये अलग अलग आयोग बने हुए हैं । इन सब के होते हुए भी बाढ़ों के कारण देश भर में संकट छाया हुआ है । दिल्ली में ही यमुना नदी से काफी खतरा है । उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है । लाखों एकड़ भूमि जलमग्न है । उड़ीसा में भी काफी बाढ़ आई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गोरे]

मैं जिस नगर में रहता हूं अर्थात् पूना में वहां पहली बार इतना भयंकर संकट बाढ़ से पैदा हुआ है। उसके समीप दो बांध टूट गये—एक पंचेट में और दूसरा खड़कवास्ला में। सरकार को बाढ़ पीड़ितों की पूरी सहायता करनी चाहिये। हजारों लोग बाढ़ के कारण अपनी सम्पत्ति खो बैठे हैं। उन्हें थोड़ा बहुत भोजन या थोड़े बहुत वस्त्र देने से समस्या हल नहीं होती।

उन्हें फिर से बसाने की समस्या हमारे सामने है। ७०,००० व्यक्ति बेघरबार हो गये हैं। बांध टूट जाने से पीने के पानी की भी दिक्कत सामने आ रही है और बम्बई के कारखाने बिजली की कमी से पूरा काम नहीं कर पायेंगे।

मैं किसी व्यक्ति पर दोषारोपण करना नहीं चाहता। फिर भी इतना अवश्य कहूंगा कि बांध के अधिकारियों को सावधान रहना चाहिये था। उन्हें जनता को तुरन्त सूचित करना चाहिये था।

बांध टूटने से जो साठ सत्तर मील की नहर है उस पर भी असर पड़ेगा। जमीन के लिये किसानों को पानी नहीं मिलेगा। पंचेट बांध टूटने से ४ करोड़ और खड़कवास्ला बांध टूटने से ६ करोड़ रुपये की हानि हुई है जिसे महाराष्ट्र राज्य अकेला पूरा नहीं कर सकता। इसके लिये केन्द्रीय सरकार को भी सहायता देनी होगी।

इस प्रश्न पर देश के इंजीनियरों को भी सोचना चाहिये कि हमारे बांध इस तरह क्यों टूट जाते हैं। यदि सरकार जल्दबाजी करती है तो उन्हें इसका विरोध करके अपना काम ठीक करना चाहिये।

भाखड़ा-नंगल बांध भी इसी तरह टूटा था जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था। अतः इस प्रश्न पर हमें विचार करना होगा। बांध टूटने से न केवल धन की हानि होती है बल्कि हजारों लोगों का जीवन संकट में पड़ जायेगा। यह सम्बन्धित मन्त्रालय का कर्तव्य है कि वह इन सब बातों को ध्यान में रखे और लोगों को यदि हानि हो तो उन्हें पूरी पूरी क्षतिपूर्ति दी जाय।

श्री ब्रजराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस साल की बाढ़ ने उत्तर प्रदेश में बहुत ही भारी बरबादी की है। पिछले दिनों मन्त्री महोदय ने इस बारे में जो बयान दिया, उसमें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश में १२९ जानें गई हैं, लाखों एकड़ भूमि पर फ़सल नष्ट हो गई है, लाखों लोग बेघर-बार हो गये हैं और अब जब मैं आप के सम्मुख बोल रहा हूं, मेरी सूचना है कि यह संख्या १२९ से बढ़ कर १४५ तक पहुंच चुकी है। सिर्फ उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, अब इस तरह की स्थिति हो गई है कि जब से सरकार ने बाढ़ को कण्ट्रोल करने के लिये कुछ कार्यवाही शुरू की है, तब से बाढ़ की गति बढ़ती जा रही है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, या पंजाब या महाराष्ट्र या उड़ीसा या दूसरे राज्यों का सवाल हो, हम देखते हैं कि हर साल बाढ़ की प्रगति बढ़ती जा रही है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जैसे जैसे सरकार की तरफ से बाढ़ को नियन्त्रण में लाने की कारगुजारी हो रही है, वैसे ही उस की प्रगति बढ़ती जा रही है।

इस सम्बन्ध में पहली बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करे कि इसका कारण क्या है कि एक तरफ तो सरकार बाढ़ का नियन्त्रण करने की कारगुजारी करती है और दूसरी तरफ बाढ़ अधिक आती चली जाती है। मझे लगता है कि इसमें कहीं कोई इस तरह की मौलिक ग़लती है, सरकार के बाढ़ कण्ट्रोल करने के तरीके में कोई ग़लती हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ आ रही है।

उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले तीन चार साल से आगरा, अलीगढ़ और बुलन्दशहर के जिलों में बाढ़ आती है। इस बार भी आगरा में बहुत जबर्दस्त बाढ़ आई। खुर्जा के पास एक नाला निकलता था, जो कि आगे जाकर नदी बन जाता है। उस नदी में पिछले चार साल से इस तरह की जोर की बाढ़ आती है कि उसके आस-पास का दो तीन मील का इलाका रेगिस्तान बनता जा रहा है और वहां कोई फसल नहीं होती है। मुझे बताया गया है—और कुछ मैंने अपनी आंखों से भी देखा है—कि सरकार की तरफ़ से जो विकास के कार्य किये जा रहे हैं और नाले डाले जा रहे हैं, उस का नतीजा यह है कि पानी की मात्रा इतनी बढ़ती जा रही है कि वह छोटा नाला उस को नहीं ले सकता है और इस तरह बाढ़ आने लगती है।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की स्थिति सारे मुल्क में तो नहीं है। कहीं इस तरह की स्थिति तो नहीं कि विकास का कार्य अनियमित तरीके से हो रहा हो, सुनियोजित तरीके से न हो रहा हो, इस बात का विचार करके न हो रहा हो कि पानी के निकालने की अच्छी व्यवस्था हो ?

जब बाढ़ लगातार आ रही है, तब क्या सरकार की तरफ से इस तरह का उत्तरदायित्व लिया जा रहा है कि बाढ़ की वजह से जो लोग बेघर-बार हो जाते हैं, जिनका सर्वस्व नष्ट हो जाता है, उन लोगों के लिये सरकार अपनी तरफ से कोई प्रबन्ध करेगी, उन की रोजी-रोटी की व्यवस्था करेगी, उनके गिरे हुए मकानों को फिर से बनवायेगी, उन की खेती नष्ट हो जाने के बाद उन को कोई धंधा देगी—चाहे वह खेती हो, चाहे कोई दूसरा धंधा हो ? जब कभी कोई विपत्ति आती है, तो किसानों के अलावा दूसरे क्षेत्रों में सरकार की तरफ से करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं। यह दुर्भाग्य था कि देश का बंटवारा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोग इस देश में आये और उन पर सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च हुआ। मैं उसकी कोई शिकायत नहीं करता हूं। वह जरूर करना चाहिये था, क्योंकि उसमें हमारी जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी की वजह से हमें पूरी तरह से उन लोगों की सहायता करनी चाहिए थी। लेकिन हम देखते हैं कि हर साल करोड़ों किसानों की सम्पत्ति और फसलें नष्ट हो जाती हैं, लाखों घर बरबाद हो जाते हैं। उन को फिर से बसाने के लिये, उन की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये सरकार की ओर से कौन से कारगर कदम उठाये गये हैं ? मुझे अफसोस है कि जिन राज्यों में बाढ़ आती है, उन की असेम्बलीज में इस बारे में बहस होती है, लेकिन उसके बावजूद सरकार की ओर से एक मोटी बात नहीं मानी जा रही है कि जिन के घर-बार बरबाद हुए हैं, उन को फिर से बसाया जायगा। जब इस तरह की मांग की जाती है, तो सरकार उस को टालती है और उस की तरफ़ से यह कहा जाता है कि यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है. यह तो कुदरत का तमाशा है, यह तो प्रकृति का काम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल जो बाढ़ें आ रही हैं, उन में कुदरत का कोई हाथ नहीं है—यह सब तो सरकार की ग़लत योजनाओं की वजह से हो रहा है। इसलिये उसको यह जिम्मेदारी, यह उत्तरदायित्व सम्भालना पड़ेगा कि उसकी ग़लतियों की वजह से जो नुकसान हो रहा है, जनता के उस नुकसान को वह पूरा करे।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तरह का हिसाब लगा रही है कि देश में पिछले साल जो बाढ़ आई, उससे कितने लोगों के घर बरबाद हुए। क्या उसने इस आशय के आंकड़े इकट्ठे किये हैं कि पिछले साल की बाढ़ से देश में कितने लोगों की रोजी छीनी गई और अगर किये हैं, तो उनको कम्पेन्सेट करने के लिये, उनको हर्जाना देने के लिये, उन की क्षति पूर्ति करने के लिये सरकार की ओर से कौन से कदम उठाये गये हैं। इस साल की बाढ़ से जो नुकसान हो रहा है, हुआ है, उसकी पूर्ति करने के लिये सरकार की तरफ से कौन से कदम उठाय जाने को हैं, यह बात इस सदन और मुल्क को बताई जानी चाहिये।

[श्री ब्रजराज सिंह]

सिर्फ यही नहीं होता है कि बाढ़ से फ़सल नष्ट हो जाती है और किसानों तथा दूसरे लोगों के घर बरबाद हो जाते हैं, बल्कि कई नई समस्यायें पैदा होती हैं, बीमारियां फैलती हैं, पीने का पानी नहीं रहता है और दूसरी परेशानियां होती हैं । जब भी इस तरह की दुर्घटना होती है, तब सैकड़ों लोग मर जाते हैं, जिनकी कोई खबर नहीं लेता है । मेरे यहां पचास आदमी हैजे से मर गये और उनकी कोई ख़बर नहीं है, कोई जानता नहीं है, सूबे की सरकार उन के बारे में नहीं जानती है और अखबारों को पता नहीं लग पाता है । इस प्रकार लोग लगातार मर रहे हैं । सरकार के लोग शायद सोचेंगे कि देश की आबादी बढ़ रही है और उसको कम करने का यह अच्छा तरीका होगा । मैं कहना चाहता हूं कि देश की जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है । जो भी समस्यायें होंगी, कठिनाइयां होंगी, उनको हल करने के लिये सरकार को सामने आना चाहिये, उस को साफ कहना चाहिये कि आखिर यह जो कुछ हो रहा है उस को हम दूर करना चाहते हैं, उसकी जिम्मेदारी हम ओढ़ना चाहते हैं, इस उत्तरदायित्व को सम्भालना चाहते हैं, और जो नुकसान हुआ है उसको हम पूरा करेंगे । मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की तरफ से इस तरह की घोषणा हो कि जो लोग बाढ़ के कारण बेघरबार हो रहे हैं उन को काम दिया जायेगा, जिन लोगों के मकान बाढ़ की वजह से गिर गये हैं उन के मकानों को फिर से बनाया जायेगा । यह कोई तरीका नहीं है कि ५ रु०, १० रु० २५ रु० अनुदान की शक्ल में दिये जाते हैं । फिर जो रुपया अनुदान की शक्ल में दिये जाते हैं, क्या मंत्री महोदय कभी इस बात की जांच पड़ताल करते हैं कि जो २५ रु० दिये गये हैं किसी किसान को, वह जो उस को लेने वाले हैं उन तक पूरा पहुंचता है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें ५ या १० रु० लोग बीच में ही खा गये हों ? ये शिकायतें चलती रहती हैं पर कोई पूछने वाला नहीं है उस अन्याय को जो कि देश की जनता के साथ हो रहा है । चाहे कुदरत कहिये चाहे सरकार की गलत नीतियों के कारण कहिये, जो भी रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है वह उन आदमियों तक पूरा पहुंच भी रहा है या नहीं जिन को वह दिया जाता है, इस को पूछने वाला कोई नहीं है । आम तौर से ९० प्रतिशत मामलों में यह होता है कि वह रुपया उन लोगों तक पहुंचता नहीं है । इसलिये मैं कहूंगा कि अनुदान का रुपया बढ़ाया जाना चाहिये, काफी मात्रा में अनुदान दिया जाना चाहिये जिससे वे लोग अच्छी तरह अपना पेट पाल सकें, कोई रोज़ी कमाने का साधन बना सकें, या अगर उनके खेत बरबाद हो गये हैं, घर नष्ट हो गये हैं, तो उस अनुदान से वे अपनी जिन्दगी चला सकें ।

इसी के साथ-साथ कुछ ऐसे कारगर कदम उठाये जायें कि जहां लगातार पिछले चार पांच वर्षों से ज्यादा पानी आ रहा है छोट नालों और नदियों में वहां के लोगों की रक्षा की जाय । क्या कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाया जा सकता है जिस से कि उन छोटे नालों और नदियों का पानी बड़ी नदियों में इस तरह से डाला जाय जिस से कि लाखों एकड़ जमीन जो बरबाद हो जाती है, हजारों मकान जो गिर जाते हैं हर साल, उन को बचाया जा सके ? आखिल भारतीय पैमाने पर अगर कोई इस तरह का सर्वेक्षण किया जाय कि जो छोटे नाले, नदियां और ड्रेन्स हैं जिन की वजह से बाढ़ें आ रही हैं उन को किस तरह से बड़ी नदियों में डाला जा सकता है, तो मैं समझता हूं कि लाखों एकड़ भूमि को बचाया जा सकता है, हजारों घरों को बचाया जा सकता है और हजारों प्राणियों को बचाया जा सकता है, जस बाढ़ के आक्रमण से जो हर साल हमारे ऊपर होता है । मैं चाहूंगा कि सरकार की तरफ से इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय, सरकार देखे कि कहां कहां पर उस से गलतियां हुई हैं । कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि अधिकारियों की गलती से, सरकार की नीतियों की गलती से अधिकारियों के निर्देश गलत तरीके से हो रहे हैं । और अगर हो रहे हैं तो फिर उस की जांच पड़ताल की जानी चाहिये, और जांच पड़ताल कर के ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिये जिन्हों ने इस तरह के काम किये हैं । मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि कम से कम मेरे इलाके में उत्तर प्रदेश के, बुलंद-

शहर, अलीगढ़ या इटावा में कुछ नदियां इस तरह की हैं जिन में लगातार छोटे छोटे नाले पड़ते हैं, छोटी नदियां गिरती हैं, जिन के कारण बाढ़ें आती हैं और जिन से लाखों एकड़ जमीन बरबाद होती है, हजारों मकान बरबाद होते हैं और बहुत से आदमियों की जानें भी उन में डूबने से चली जाती हैं। मैं समझता हूं कि देश के अन्य भागों में भी ऐसा ही होता है। इसलिये सरकार को कोशिश करनी चाहिये इस को देखने की कि सरकार की नीति की वजह से, विकास कार्यों के सुनियोजित ढंग से न होने के कारण तो कहीं बरबादी नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो जिन की गलती से ऐसा हो रहा है, उन के खिलाफ कार्रवाई की जाय। पहले तो इस का इन्तजाम किया जाना चाहिये कि यह चीज न हो, और अगर इस तरह की चीज़ होती है, बाढ़ आती है, तो लोगों की दवा दारू का इन्तजाम होना चाहिये, भोजन का इन्तजाम होना चाहिये और यह देखा जाना चाहिये कि बाढ़ के उतरने के साथ-साथ वहां कोई बीमारियां तो नहीं फैल रही हैं। मुझ लगता है कि आम तौर से इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है जिस से कि लाखों की तादाद में आदमी बीमार पड़ जाते हैं और उन की खबर लेने वाला कोई नहीं होता है। जब यह एक वार्षिक बात हो गई है बाढ़ आने की और उस से हजारों अन्य मुसीबतें पैदा हो रही हैं गांवों गांवों में और शहरों शहरों में, तो ऐसी स्थायी योजना बनाई जानी चाहिये जिस से कि लोगों का कम से कम नुकसान हो, लोगों को कम से कम हानि हो और वे इन मुसीबतों को अच्छी तरह बर्दाश्त कर सकें।

तो एक तो अनुदान काफी मात्रा में दिया जाय। जिन लोगों के घर गिर जाते हैं और बेघरबार हो जाते हैं, उन के घरों को बनाया जाय, बाढ़ के दिनों में उन को बिना मूल्य खाना दिया जाय, उन के लिये फ्री किचेन्स कायम किय जायें, और बाढ़ नियंत्र के कामों में जो गलतियां हों उन को दूर किया जाय। जिन लोगों की गलतियां हों उन को सजायें दी जायें, ऐसा इन्तजाम किया जाय जिस में कि भविष्य में बाढ़ आने की आशंका ही न रहे, कम से कम इतने बड़ पैमाने पर न आये और अगर कभी बाढ़ आ भी जाय तो कम से कम उस की ठीक ढंग से सूचना दी जा सके जिस में कि लोगों को अपनी जानें बचाने का मौका रहे। मैं जानता हूं कि सरकार इस तरह के कदम उठायेगी जिस में कि अगले साल इतने बड़े पैमाने पर बरबादी न हो जितने मबड़ पैमाने पर हर साल होती है और जिन लोगों की बरबादी हो रही है उन की और ज्यादा बरबादी न हो। जिन लोगों की बरबादी हो गई हो, उन के मकान बनाय जायें, उन को ज्यादा अनुदान मिलें और जिन किसानों की फसल बरबाद हुई है उन की लगान माफ हो और उन की भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने के लिय कदम उठाये जायें जिस से कि वे अपनी जिन्दगी को नये सिरे से चला सकें।

†**श्री प्र० सिं० बौलता** (झज्जर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। यह हमारी एक राष्ट्रीय समस्या है। केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड को चाहिये कि सर्वेक्षण मानचित्र समस्त सम्बन्धित विभागों को दें ताकि वे बाढ़ की स्थिति में प्रबन्ध कार्य भली भांति कर सकें।

पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बाढ़ से ज्यादा नुकसान हुआ है। पूना, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में भारी संकट पैदा हो गया है। पिछले वर्ष रोहतक शहर में बाढ़ का पानी आ गया था। जब प्रधान मंत्री ने उस क्षेत्र को देखा तब मैं भी उन के साथ था। दो करोड़ रुपये का तो सिर्फ फसलों को ही नुकसान जुआ था।

आये दिन हम यह देख रहे हैं कि सेना की सहायता के बिना हमारा काम नहीं चलता। इस का सीधा अर्थ है यह कि असैनिक अधिकारी अपना काम करने में असफल हैं। पिछले साल रोहतक में जो बाढ़ आई थी उस के १६ मील की नाली अभी तक पूरी नहीं बन सकी है। वे कहते हैं हम ने यह काम भारत सेवक समाज को सौंपा था और वह जसे पूरा नहीं कर सका।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री प्र० सि० दौलता]

रोहतक के किसानों की हालत बिगड़ी हुई है फिर भी इस वर्ष उन्हें लगान में कोई छूट नहीं दी जा रही है । मुख्य इंजीनियर को अथवा सिंचाई विभाग को १६ मील लम्बी नाली क्यों पूरी नहीं हुई इस की जांच करनी चाहिये वर्ना हो सकता है कि अगले वर्ष भी यह तैयार न हो पाये ।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : मद्रास में जनता की यह भावना है कि बाढ़जन्य क्षति का अन्दाजा बहुत कम लगाया गया है । कुल मिला कर डेढ़ करोड़ रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया है । लम्बी अवधि के लिये सहायता का प्रबन्ध किया जाना चाहिये ।

कावेरी नदी में इस वर्ष ऐसी बाढ़ आई जैसी पहले कभी नहीं आई थी । इंजीनियरों का कहना है कि ऊपर होजीनकल पर बांध बनाने से बाढ़ का पानी काफी रोका जा सकता है । अकेले मेत्तूर बांध से काम नहीं चलता । अतः सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिय ।

कावेरी नदी के पानी के बारे में मैसूर और मद्रास राज्य में विवाद जो चल रहा है उस का ठीक ठीक फैसला किया जाना चाहिये । केन्द्रीय सरकार को इस झगड़ का निबटारा करने में दोनों राज्य सरकारों को सहायता करनी चाहियें ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में बाढ़ की समस्या ने काफी गंभीर रूप धारण किया है और जान माल की बहुत क्षति हुई है ।

हम समझते थे कि तीसरी योजना में बाढ़ नियंत्रण की ओर काफी ध्यान दिया जायगा लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं किया गया । उड़ीसा की तो यह स्थिति है कि हर पांचवें वर्ष ऐसी बाढ़ आती है कि सब किये कराये काम चौपट हो जाते हैं । १९५५ और १९६० की बाढ़ों से यह सिद्ध हो गया है ।

दूसरी योजना में ५६ करोड़ रुपये की राशि दी गई थी जिस में ८ करोड़ रुपये खर्च नहीं किय गये । मैं जानना चाहता हूं कि वे क्यों नहीं खर्च किये गये । इसी प्रकार तीसरी योजना में भी उड़ीसा के लिये केवल ६१ करोड़ रुपय स्वीकृत किये गये हैं जो बहुत कम हैं ।

हीराकुड बांध की स्थिति यह है कि उस में मिट्टी और कीचड़ भरता जा रहा है जिस के कारण पानी उतना नहीं भरता और बाढ़ जल्दी आ जाती है । वहां सफाई कराने की जरूरत है ।

एक बात और है जिस की ओर से मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं । १० जुलाई, को उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने यह वक्तव्य दिया कि हीराकुड बांध में पानी और इकट्ठा किया जायेगा । वहां के इंजीनियरों ने उन्हें राय दी कि ऐसा करने से बांध के टूटने का खतरा है फिर भी उन ने उन की बात नहीं मानी और रेडियो पर ऐलान किया कि हीराकुड में पानी और इकट्ठा किया जायगा । मैं यह पूछता हूं कि विशेषज्ञों की राय के विरुद्ध क्या इस प्रकार का कार्य करना उचित है ?

क्या ऐसी परिस्थिति में एक मंत्री विशेषज्ञों की राय की परवाह न करते हुए राजनैतिक प्रयोजन से अपनी मनमानी कर सकता है ।

बाढ़ जांच समिति के सभापति ने एक भेंट में कहा है कि इस वर्ष जब बाढ़ का खतरा था तो केवल १ जुलाई और १२ जुलाई को वर्षा सम्बन्धी पूर्वसूचना के तार मिले थे जबकि वास्तविक खतरा १० जुलाई को था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास बेतार के तार आदि की

†मूल अंग्रेजी में

कोई व्यवस्था है जिस से न केवल बांध के अधिकारियों वरन् लोगों को पता लग जाय कि पानी आने वाला है ।

हीराकुड बांध को विशेष रूप से उड़ीसा में बाढ़ें रोकने के लिये बनाया गया था किन्तु उस यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा । अब तो खतरा और भी बढ़ गया है क्योंकि सामान्य समय पानी नहीं छोड़ा जाता और जब पानी आता है तो वह इतनी मात्रा में आता है कि उस से घरों और फसलों की हानि होती है ।

इन बाढ़ों के समय एक इंजीनियर ने जिस का नाम संभवतः घई है उड़ीसा के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन दिया था क्या उस में बताया गया है कि बाढ़ें कैसे आईं ।

मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में टिकरपारा बांध का निर्माण कर दिया जायगा जिस के बगैर केवल हीराकुड बांध से, राज्यपाल के अभिभाषण के अनुसार, डेल्टा के लोगों को बाढ़ों से नहीं बचाया जा सकता ।

अब समय है कि बहु प्रयोजनीय बांधों की समस्त योजना पर विचार किया जाये । हम बाढ़ से रक्षा की समस्या और विद्युत् उत्पादन की समस्या पर एक साथ विचार कर रहे हैं जिस से मुख्य समस्या की उपेक्षा की जा रही है जिस का प्रभाव हजारों लाखों लोगों पर पड़ रहा है । केन्द्रीय सरकार और राज्यों के मुख्य मंत्रियों को मिल कर इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

श्री मणियंगाडन (कोट्टायम्) : केरल में इस वर्ष जैसी बाढ़ आई वैसी गत ४० वर्षों में कभी नहीं आई । क्या इसे नियंत्रित किया जा सकता था ?

निस्संदेह इस वर्ष की असाधारण वर्षा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था किन्तु बाढ़ से सुरक्षा के जो साधन अपनाये गये उन से कोई लाभ नहीं हुआ । राज्य की पम्पा और इदिक्की नामक विद्युत् परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण का भी ध्यान रखना चाहिये । मौनसून में वर्षा का जो पानी निचले भागों में एकत्र हो जाता है उसके बारे में विचार करना चाहिये कि उसे समुद्र की ओर कैसे बहाया जा सकता है । तनीरमक्कम में जो रेगुलेटर बनाया जा रहा है वह काम बहुत धीमी गति से हो रहा है ।

केरल में जल निस्सारण का बहुत महत्व है । यदि इसकी ठीक व्यवस्था की जाये तो निचले भागों में वर्षा के जल को उपयोग में लाया जा सकता है और दो फसलें पैदा की जा सकती हैं ।

इन बाढ़ों से सैकड़ों लोग मारे गये और हजारों परिवार बेघर हो गये किन्तु राज्य सरकार ने लोगों की तुरंत सहायता की और प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय सहायता निधि में से काफी अंशदान दिया जिसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं ।

पाम्पा और पेरियार नदी घाटी योजनाओं के साथ ही बाढ़ नियंत्रण की अन्य उपयुक्त योजनायें भी आरम्भ करनी चाहिये ।

समुद्र द्वारा भूमि के कटाव की समस्या केरल की विशेष समस्या है । तट के साथ साथ एक फर्लांग भूमि का कटाव हो चुका है और निरंतर भूमि का कटाव हो रहा है । यह समस्या इतनी बड़ी है कि केरल के संसाधन इस के उपचार के लिए पर्याप्त नहीं हैं । इसके लिए तट पर दीवारें बनानी होंगी जिस पर १५ लाख रुपये प्रति मील व्यय होने का अनुमान है । यह क्षेत्र २०० मील लम्बा है जिस में थोड़े से भाग में काम हो रहा है जिस का सारा व्यय राज्य सरकार को उठाना पड़ रहा है ।

[श्री मणियंगाडन]

इस कार्य को बाढ़ नियंत्रण की अन्य योजनाओं के साथ नहीं जोड़ना चाहिये । यह एक राष्ट्रीय समस्या है जिस का हल केवल राज्य सरकार नहीं कर सकती । केन्द्रीय सरकार को इसे केन्द्रीय विषय के रूप में लेना चाहिये । यह जल संसाधन का विषय नहीं वरन् भूमि की रक्षा का विषय है । मुझे पता लगा है कि राज्य सरकार ने प्रार्थना की है कि केन्द्रीय सरकार को इस में से ५० प्रतिशत व्यय करना चाहिये ।

मेनेसरी तथा कोचीन के पास प्रति वर्ष १५ से ३० फुट भूमि का कटाव हो रहा है यदि यह होता रहा तो उस बहु जनसंख्या वाले क्षेत्र की महत्वपूर्ण संस्थाओं और निवासियों के हितों के लिए खतरा पैदा हो जायेगा । केन्द्र को इस गंभीर समस्या के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त सहायता देनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री शंकरैया ।

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय । इस से पहले कि माननीय सदस्य कुछ कहें मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि मेरे क्षेत्र में, खास तौर पर बुलन्दशहर में फ्लड से विशेष हानि हुई है । उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अवकाश दूंगा ।

†**श्री शंकरैया** (मैसूर) : इस वर्ष बाढ़ों से मैसूर में अभूतपूर्व हानि हुई है । मैसूर राज्य में बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता देने और उन्हें पुनः बसाने की क्षमता नहीं है अतः केन्द्रीय सरकार को उदारता से सहायता देनी चाहिये । वहां न केवल खड़ी फसलें और गांव बह गये हैं बल्कि बहुत से खेत नष्ट हो गये हैं अतः सरकार जब तक उन्हें भूमि नहीं देगी और बसने के लिए स्थान नहीं देगी वे अपनी जीविका नहीं कमा सकेंगे ।

कावेरी के तट पर बसे हुए गांव वालों से कहना चाहिये कि वे इन गांवों को छोड़ कर कहीं और जा बसें क्योंकि १९२४ से हर तीसरे या पांचवें वर्ष ये बाढ़ें आती रहती हैं जिन से इन गांवों को हानि पहुंची है ।

मैसूर और मद्रास राज्यों के बीच तनातनी के कारण बहुत सी योजनायें कार्यान्वित नहीं हो सकीं । यदि ऐसा हो सकता तो न केवल बहुत सी बंजर भूमि में कृषि हो सकती वरन् मैसूर में यह तबाही ही न आती । केन्द्रीय सरकार को दोनों राज्य सरकारों में समझौता करवाना चाहिये और ठप्प पड़ी हुई योजनाओं की तुरंत मंजूरी देनी चाहिये ।

मुझे आशा है कि मैसूर राज्य ने तुंगभद्रा नदी से सम्बन्धित जो योजनायें पेश की हैं उन के बारे में सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी क्योंकि इस वर्ष इस नदी की बाढ़ से बहुत तबाही हुई है ।

कृष्णा नदी के पानी का ७५ प्रतिशत मैसूर राज्य में है । इस नदी से सम्बन्धित बहुत सी योजनायें पेश की गई हैं । किन्तु उन में से एक की भी मंजरी नहीं दी गई । इस प्रकार न केवल जल व्यर्थ जाता है वरन् जलागम क्षेत्र में बाढ़ें आती हैं । अतः मैसूर और आंध्र राज्यों के परस्पर झगड़े के कारण नदी परियोजनाओं में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए । मैं केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करूंगा कि मैसूर राज्य की योजनाओं की तुरंत मंजूरी दी जाये ताकि बाढ़ों की रोक थाम हो सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आज ही हमें समाचार मिला है कि हेमावती और कावेरी में पानी बढ़ रहा है । न जाने कब मैसूर पर फिर विपत्ति आ जाये । अतः सरकार को मद्रास, आंध्र और मैसूर के झगड़े को निबटाना चाहिये ताकि ये समस्यायें हल हो सकें ।

†**श्री पाणिग्रही** : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि १९५९, १९६० और १९६१ की बाढ़ों से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए हीराकुड बांध की बाढ़-नियंत्रण की क्षमता पर विचार किया जाये, जिससे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में महानदी की बाढ़ के नियंत्रण के लिये आवश्यक बाढ़-नियंत्रण सम्बन्धी उपाय किये जायें ।"

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर दिलाने के लिए मैं आपका आभारी हूं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों पर अलग अलग चर्चा करने की बजाये वे सरकार के विचार के लिए कुछ ठोस सुझाव दें । मैं माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं कि उन्होंने कुछ ठोस सुझाव दिये हैं और मैं उन्हीं पर चर्चा करूंगा ।

श्री गोरे और श्री द्विवेदी ने यह सुझाव दिया था कि जो बहु प्रयोजनीय बांध बनाये जा रहे हैं उन द्वारा बाढ़ से सुरक्षा भी होती है अथवा उन्हें सिंचाई और विद्यत् के लिए प्रयोग करते हुए बाढ़ से सुरक्षा की बात की अवहेलना कर दी जाती है । यह विचार के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है । हम ने यह सोचा है कि विद्युत् जनन अथवा सिंचाई की खातर बाढ़ से सुरक्षा की बात की अवहेलना नहीं होनी चाहिये । हम यह भी सोच रहे हैं कि यदि भविष्य में हम यह समझें कि विद्युत् पैदा करने के लिए ऊंचे स्तर के जलाशय की आवश्यकता है तो हम ऊंचे बांध न बनायें जिस से विद्युत् प्रजनन के लिए बाढ़ से सुरक्षा की बात की अवहेलना न हो । हम ने उड़ीसा में बाढ़ जांच समिति नियुक्त की है । वह इस प्रश्न की जांच करेगी । जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि हीराकुड बांध का जलाशय पहले ५९० फुट ऊंचा रखा जाना था । फिर विद्युत् प्रजनन के लिए इसे ६१० फुट ऊंचा करने का विचार किया गया । यह विचार किया जा सकता था कि क्या जलाशय के स्तर को ५९० फुट ऊंचा रख कर एक और तापकीय संयंत्र द्वारा अधिक बिजली पैदा की जा सकती है । अब समिति इस की जांच करेगी ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दूसरी बात टिक्करपारा बांध के बारे में उठाई गई है । इस प्रश्न की भी केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग जांच कर रहा है क्योंकि इस से उड़ीसा में बाढ़ से होने वाली हानि को कम किया जायेगा ।

एक और बात जिस पर सरकार ने गंभीरता से विचार किया है यह है कि बाढ़ आयोजन अव्यवस्थित है । अब तक हम ने जो आपातकालीन और अल्पकालीन उपाय अपनाये हैं वे तत्कालीन सहायता के लिए हैं । किन्तु जैसा कि हम ने वक्तव्य में बताया है वास्तविक लाभ एक नदी की एक योजना बनाने से हो सकता है ।

इस से अन्तर्राज्यीय नदियों की समस्या उपस्थित हो जाती है अतः हमने नदी के सारे तास के विकास, बाढ़ से सुरक्षा, सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं की देख रेख के लिए बोर्ड स्थापित करने का विचार किया है जो एक व्यवस्थित योजना तैयार करेंगे अन्यथा एक स्थान पर बनाया गया तट बंध दूसरे क्षेत्र के लिए हानिकर हो सकता है । इसी प्रयोजन के लिए हम ने आठ मास पूर्व

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हाथी]

कार्यवाही की थी और देश की बड़ी बड़ी नदियों के लिए छै नदी बोर्डों की स्थापना कर दी थी। इस अल्पकालीन उपायों से हुए लाभ के अतिरिक्त समस्या का वास्तविक हल मिलेगा।

तीसरी बात जलाशय में रेत इकट्ठी होने के बारे में कही गई है। हीराकुड के जलाशय में इतनी तेजी से रेत इकट्ठी नहीं हो रही जितनी माननीय सदस्य को जानकारी है। किन्तु फिर भी भूमि संरक्षण का कार्य तुरंत आरम्भ किया जायेगा। नदी बोर्डों को भूमि संरक्षण का कार्य अपने हाथ में लेना चाहिये। अन्य उपायों के अतिरिक्त महानदी के जलगम क्षेत्र में भूमि संरक्षण कार्य होना चाहिये। हम ने इस महत्वपूर्ण सुझाव पर पहले ही विचार किया है।

पंजाब के माननीय सदस्य ने जल निस्सारण का प्रश्न उठाया था। यह प्रश्न भी नदियों पर नियंत्रण के समान ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ठीक प्रकार से जल निस्सारण न होने पर पानी एक क्षेत्र में जमा हो जायेगा और फिर दूसरे क्षेत्र में बाढ़ आ जायेगी। केरल का उदाहरण लीजिये। वहां एक स्थान पर औसतन २३ इंच वर्षा हुआ करती थी किन्तु इस बार ८२ इंच वर्षा हुई जिस से निचले भागों में बाढ़ आ गई क्योंकि जल निस्सारण की ठीक व्यवस्था नहीं थी। इस के अतिरिक्त समुद्र में ऊंची लहरें पैदा होने से पानी समुद्र में न जा सका। इसी मुख्य कारण से केरल में इस वर्ष बाढ़ आई। इसलिए बाढ़ से सुरक्षा के लिए जल निस्सारण भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। सभी राज्यों के लिए एक ही उपचार नहीं हो सकता।

उड़ीसा में इस वर्ष बाढ़ इस कारण नहीं आई कि वहां बांध नहीं था। इसके विपरीत वहां के बांध के कारण डेल्टे का क्षेत्र अधिक बाढ़ों से बच गया। अन्यथा और अधिक हानि होती। अतः हर क्षेत्र की अपनी समस्या होती है।

श्री गोरे ने एक और बात उठाई है कि हमने जो करोड़ों रुपया व्यय किया है वह एक दो दिन की बाढ़ में विनष्ट हो गया है। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि सिवाय एक दो मामलों के कहीं भी बाढ़ से सुरक्षा के उपाय जो हमने किये हैं, विफल नहीं हुए। डिब्रूगढ़ का उदाहरण लीजिये। वहां व्यय किये गये ४ करोड़ रुपये ने उस क्षेत्र को बचा लिया है। दलाईघाट की झाल ने भी सम्बन्धित क्षेत्र की रक्षा की है।

बाढ़ से सुरक्षा के उपायों से क्षेत्रों की सुरक्षा ही हुई है। यह बात अलग है कि हम सारे देश में ये उपाय नहीं अपना सके। उदाहरणतः उत्तर प्रदेश में सब नदियों पर नियंत्रण नहीं किया जा सका और सब आवश्यक तटबंध नहीं बनाये जा सके। संभवतः कुछ समय के लिए यह संभव नहीं। किन्तु जो कार्य किये गये हैं उनसे लाभ हुआ है।

मेरे माननीय मित्र ने यमुना के बांध में हाल में आई दरार की ओर निर्देश किया है। १९५५-५६ की बाढ़ में सारे शाहदरे के लिये खतरा पैदा हो गया था। फिर हमने यमुना के बायें तट पर १५ लाख रुपये की लागत से तट बंध बनाया। इसमें कोई दरार पैदा नहीं हुई। किन्तु सर्दियों में यमुना नदी को अतिरिक्त पानी देने वाली हिंडन नदी में दरार आ गई। दिल्ली रेलवे पुल से ओखला तक बन्ध बनाया गया है। उससे आगे एक रेगुलेटर और मिट्टी का बांध बना हुआ है जिसकी देख रेख उत्तर प्रदेश सरकार करती है। २० अगस्त की रात को भारी वर्षा और आंधी आई जिससे शाहदरा का बांध नहीं बल्कि वह मिट्टी का बांध टूट गया और पानी ने दरार में घुस कर दूसरे बांध को धक्का दिया जिससे उस तटबन्ध में भी कुछ दरारें पैदा कर दीं। इससे बस्ती को खतरा हो गया

किन्तु दरारों को तुरन्त बन्द कर दिया गया ।

श्री बाल्मीकी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस प्वाइंट को हिन्दी में कहने की कृपा करें ताकि मैं भी समझ लूं और बुलन्दशहर जिले में बाढ़ द्वारा हानि पर प्रकाश डाल सकूं ।

श्री हाथी : उसका प्रभाव बुलन्दशहर जिले पर भी पड़ा है । संभवतः माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो वह बोल रहे हैं उसको आप समझते हैं ।

श्री बाल्मीकी : उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि बुलन्दशहर जिले में बाढ़ से भारी हानि हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बोलने का समय मांग रहे थे तो उनको कह दिया गया था कि परसों उनको बोलने का अवसर दिया जायेगा । अभी तो मंत्री महोदय को अपनी बात समाप्त कर लेने दी जाय ।

†**श्री हाथी** : जब शाहदरा बांध बनाया गया था तो दिल्ली के आठ गांवों को दूसरी जगह ले जाना पड़ा था और लोगों को आवश्यक अनुदान और ऋण दिये गये थे और सावधानी के अन्य उपाय किये गये थे । अब भी बाढ़ से घिरे लोगों को दूसरे स्थानों पर ले जाया जा रहा है और अन्य उपाय किये जा रहे हैं ।

श्री ब्रजराज सिंह ने लोगों की सहायता, पीने के पानी, औषधि, घरों की मरम्मत आदि के लिये वित्तीय सहायता की बात की थी । राज्य सरकारें इन प्रयोजनों के लिये ५० प्रतिशत अनुदान दे रही हैं । उन्होंने यह भी कहा कि उन लोगों के लिए काम, धन की सहायता और अन्य सहायता कार्यों के लिए क्या किया जा रहा है । मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को इन प्रयोजनों पर व्यय करने का अधिकार है और इसका ५० प्रतिशत केन्द्र वित्तीय सहायता के रूप में देगा ।

माननीय सदस्यों के लिए यह जानना रुचिकर होगा कि केन्द्र खाद्य सामग्री, दान, मुफ्त अथवा रियायती बीज और औषधि, पशुओं की महामारियों की रोकथाम, पीने के पानी की व्यवस्था, सामान ले जाने के लिए यातायात की सुविधाएं और बाढ़ों से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत आदि के लिए अधिकतम ३०० रुपये तक सहायता देना है । मुफ्त सहायता के विकल्प के रूप में प्रयोगात्मक सहायता कार्यों पर भी व्यय किया जाता है । ये विभिन्न मदें हैं जिन के सम्बन्ध में राज्य सरकारें नकद सहायता देती हैं और केन्द्र ५० प्रतिशत व्यय वहन करता है ।

कावेरी के जल के बारे में मद्रास और मैसूर का झगड़ा एक बड़ा प्रश्न है । सिंचाई और विद्युत मंत्री इस सम्बन्ध में दोनों मुख्य मंत्रियों से मिले हैं और उन्होंने आपस में मामला निबटाने की सहमति दे दी है ।

श्री गोरे और श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने बाढ़ों के बारे में पूर्व चेतावनी का प्रश्न उठाया था । हमने इस सम्बन्ध में हिदायतें दे दी हैं और कार्यवाही कर रहे हैं । पूर्व चेतावनी की कुशल व्यवस्था होनी चाहिये ताकि यदि खतरे को कम न किया जा सके तो लोगों को चेतावनी तो मिल जाये जिससे वे ऊंचे क्षेत्रों में जा सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हाथी]

हमने सम्बन्धित राज्य सरकारों को ये हिदायतें भी जारी की हैं कि एक समन्वय अधिकारी होना चाहिये जिसके पास सारी जानकारी एकत्र होती रहे। वह बाढ़ के मौसम में वहीं रहे ताकि मुसीबत के समय वह सम्बन्धित लोगों की आवश्यकतायें पूरी कर सके।

माननीय सदस्यों ने ये सामान्य बातें उठायी थी जिनका मैं उत्तर देना चाहता था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह चर्चा कल जारी रहेगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार २९ अगस्त, १९६१/७ भाद्र, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, २८ अगस्त, १९६१

६ भाद्र, १८८३ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२५५५–८३
तारांकित प्रश्न संख्या		
९८०	कांगो के लिये भारतीय सैनिक	२५५५–५६
९८१	कागज बनाने की मशीनें	२५५६–५७
९८२	निरस्त्रीकरण वार्ता	२५५७–५८
९८४	अल्यूमिनियम कारखाने	२५५८–५९
९८६	सिक्किम के महाराज हुार की यात्रा	२५६०–६२
९८७	"चेन लेटर्स" योजनायें	२५६२
९८९	भूटान का विकास	२५६३–६५
९९१	दंडकारण्य में पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों का बसाया जाना	२५६५–६६
९९३	बर्मा में भारतीयों पर बन्धन	२५६६–६९
९९५	टायरों की कमी	२५६९–७१
९९६	भारत पाकिस्तान पुनर्वास मंत्री सम्मेलन	२५७१–७४
९९७	ब्रिटिश नौसेना के डाक्टर की लद्दाख यात्रा	२५७४–७५
९९८	भारत में बड़े तापीय एकक	२५७६
९९९	संयुक्त राष्ट्रसंघ शान्ति निधि	२५७७
१००४	भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों के लिये अपील न्यायालय	२५७७–७९
१००५	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार	२५७९–८०
१००६	एशियाई उत्पादकता संगठन	२५८०–८१
१००७	उत्तरी बिहार में रेडियो स्टेशन	२५८१–८२
१००८	रुई का निर्यात	२५८३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२५८४ ६४०
तारांकित प्रश्न संख्या		
९८३	पटसन उद्योग	२५८४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखितउत्तर—क्रमशः		
तारांकित प्रश्न संख्या		
९८५	औद्योगिक परियोजना . . .	२५८४
९८८	मलाया, सिंगापुर और आस्ट्रेलिया को चमड़े के थैलों आदि का निर्यात	२५८४–८५
९९०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों मे श्रमिक प्रोत्साहन योजनायें	२५८५
९९२	भारी इंजीनियरी औद्योगिक परियोजनायें .	२५८५
९९४	हथकरघा कपड़े की बिक्री पर छूट . . .	२५८५–८६
१०००	विस्थापित व्यक्तियों को हस्तांतरण पत्रों और विक्रय पत्रों का जारी किया जाना . .	२५८६
१००१	श्रीलंका सरकार के साथ व्यापार वार्ता	२५८७
१००२	छोटे पैमाने के उद्योग . .	२५८७–८८
१००३	भारत में रहने वाले गोआनी लोगों को मताधिकार	२५८८
१००९	अलौह धातुओं का आयात	२५८८
१०१०	भारतीय कर्मचारियों का बड़ाहोती जाना	२५८८–८९
१०११	योजना आयोग .	२५८९
१०१२	निर्यात के बारे में पूछतांछ	२५८९–९०
१०१३	गोदी मजदूर बोर्डों को ऋण	२५९०
१०१४	मिश्र को चाय का निर्यात	२५९०
१०१५	निर्यात संवर्धन . . .	२५९०–९१
१०१६	गोवा की जेल में गोआनी राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु .	२५९१
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२५१३	खादी तथा ग्रामोद्योग केन्द्र	२५९१
२५१४	पंजाब का औद्योगिक विकास . .	२५९२
२५१५	केन्द्रीय डिजाइन संगठन .	२५९२
२५१६	नेफा और आसाम के बीच सीमा विवाद	२५९२–९३
२५१७	रबड़ के बागान	२५९३
२५१८	मलाया के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता	२५९३–९४
२५१९	हस्तकला तथा ग्रामीणकला के संग्रहालय . . .	२५९४
२५२०	ओटावा में एक भारतीय पदाधिकारी की हत्या .	२५९४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
२५२१	फेनी नदी . .	२५९४–९५
२५२२	रद्दी तांबे और पीतल का आयात	२५९५
२५२३	व्यापार शिष्ट मंडल . . .	२५९५
२५२४	पाकिस्तान की यात्रा के लिये भारतीयों को पारपत्र	२५९६
२५२५	दक्षिण वियतनाम तथा इन्डोनेशिया में भारतीय	२५९६
२५२६	एण्टीबायोटिक्स फैक्टरियां .	२५९६–९७
२५२७	मध्य प्रदेश के छोटे पैमाने के उद्योग .	२५९७–९८
२५२८	विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में कर्मचारी	२५९८
२५२९	दिल्ली में रिक्शा खींचने वाले . .	२५९८
२५३०	विदेशों में भारतीय मिशन की इमारतें	२५९८–९९
२५३१	आंध्र प्रदेश में बेरोजगार लोग .	२५९९
२५३२	आंध्र प्रदेश में श्रमिक शिक्षा केन्द्र	२५९९
२५३३	आंध्र प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां .	२६००
२५३४	हिमाचल प्रदेश में घड़ियां बनाने का कारखाना	२६००
२५३५	१९६१–६२ के लिये पंजाब का व्यय .	२६००–०१
२५३६	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	२६०१
२५३७	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी . .	२६०२
२५३८	औद्योगिक विषयों सम्बन्धी फिल्में .	२६०२
२५३९	पंजाबी भाषा में प्रलेख चित्र . . .	२६०३
२५४०	दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार . .	२६०३
२५४१	आकाशवाणी द्वारा अंग्रेजी पुस्तकों की समीक्षा	२६०३
२५४२	कच्चे काजू का आयात . .	२६०३–०४
२५४३	पांडीचरी में पदाधिकारियों की वेतन वृद्धियां .	२६०४
२५४४	रबड़ के टायरों का निर्माण . . .	२६०४–०५
२५४५	पंजाब के लिये औद्योगिक विकास योजनायें .	२६०५
२५४६	औद्योगिक आंकड़ों का संकलन .	२६०५
२४४७	राज्य व्यापार निगम . . .	२६०५–०६
२५४८	ब्रिटेन में भारतीय युवकों के साथ बुरा बर्ताव .	२६०६
२५४९	गन्दी बस्तियों के हटाने सम्बन्धी अधिनियम . .	२६०६–०७
२५५०	भूमि का कटाव	२६०८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित

प्रश्न संख्या

२५५१	केरल का औद्योगिक विकास .	२६०८
२५५२	सरदार बल्लभभाई पटेल की जीवनगाथा .	२६०८
२५५३	कर्मचारी राज्यबीमा योजना के अन्तर्गत कानपुर में अस्पताल	२६०९
२५५४	पंजाब में जवाहर नगर और पटेल नगर बस्तियां	२६०९–१०
२५५५	भारतीय फिल्मों के लिये बाजार	२६१०
२५५६	मद्रास में केबल बनाने का कारखाना .	२६१०
२५५७	निम्न आय वाले वर्ग के लिये आवास योजना	२६११
२५५८	वहनीय नामिकीय विद्युत संयंत्र .	२६११
२५५९	हलका ट्रक .	२६११
२५६०	कपड़ों पर मुहर लगे मूल्य . . .	२६१२
२५६१	दिल्ली में एलाट किये गये मकानों का नीलाम	२६१२
२५६२	"एच" टाइप क्वार्टरों के लिये पंखे	२६१२–१३
२५६३	प्रबन्ध अभिकर्ता .	२६१३
२५६४	कूपर्स कैम्प रानाघाट .	२६१३–१४
२५६५	सर्जिकल रुई का निर्माण	२६१४
२५६६	बिजली के मीटर का कारखाना	२६१४
२५६७	मैसूर में अल्युमिनियम परियोजना	२६१५
२५६८	विदेशों को सहायता . .	२६१५–१६
२५६९	नगरों का विकास . .	२६१६
२५७०	कैलाश और मानसरोवर की यात्रा	२६१६
२५७१	कश्मीर में वर्स्टेड ऊन के धाग की सप्लाई	२६१६–१७
२५७२	हिमाचल प्रदेश में उद्योग	२६१७
२५७३	अनिवार्य भविष्य निधि .	२६१७–१८
२५७४	पूर्व जर्मन लोकतंत्र गणराज्य से माल का आयात .	२६१८–१९
२५७५	क्वालालम्पुर तथा सिंगापुर में भारतीय माल की प्रदर्शनी .	२६१९
२५७६	आस्लर इलेक्ट्रिक लैम्प कम्पनी, बंबई .	२६१९–२०
२५७७	कानपुर में मूंदड़ा फर्मे .	२६२०
२५७८	परतापुर कम्पनी लिमिटड	२६२१
२५७९	कच्ची फिल्में और मलभत रासायनिक पदार्थ तैयार करना .	२६२१–२२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर---क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
२५८०	हथकरघा उद्योग	२६२२
२५८१	मजदूर संघों के विकास के लिये अनुदान	२६२२–२३
२५८२	केन्द्रीय कामगर शिक्षा बोर्ड	२६२३
२५८३	औद्योगिक बस्तियां	२६२३
२५८४	कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि	२६२४
२५८५	जेनेवा में प्रशुल्क वार्ता	२६२४
२५८६	जार्ज टाउन में प्रो० शैंनाय के साथ मार पीट	२६२४–२५
२५८७	केरल में स्थापित होने वाली औद्योगिक परियोजनायें	२६२५
२५८८	उत्तर प्रदेश में विस्थापित परिवार	२६२५
२५८९	दिल्ली में उद्योगों का संवर्द्धन	२६२५
२५९०	जम्मू तथा काश्मीर में केन्द्रीय परियोजनायें	२६२५–२६
२५९१	नागपुर में "स्टील वूल" कारखाना	२६२६
२५९२	क्वार्टरों का दिया जाना	२६२६
२५९३	क्वार्टरों का दिया जाना	२६२६–२७
२५९४	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये काल्का जी के पास बस्ती	२६२७
२५९५	तीसरी योजना और उड़ीसा	२६२८
२५९६	परिष्करण मशीनों का आयात	२६२८
२५९७	गुवार गम का निर्यात	२६२९
२५९८	हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि०	२६२९–३०
२५९९	मध्य प्रदेश में गत्ता बनाने का कारखाना	२६३०
२६००	पंजाब में नये कारखाने	२६३०–३१
२६०१	पंजाब में रेडियो ग्रामीण गोष्ठी	२६३१
२६०२	पंजाब में विस्थापित व्यक्तियों के बच्चों के लिये शिक्षा सुविधायें	२६३१
२६०३	संयुक्त अरब गणराज्य को निर्यात	२६३१–३२
२६०४	काश्मीर में चीनी मिट्टी का सामान बनाने का कारखाना	२६३२
२६०५	उड़ीसा में शिक्षितों में बेकारी	२६३२
२६०६	मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात	२६३३
२६०७	लौह अयस्क का निर्यात	२६३३

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
२६०८ नई दिल्ली स्थित विज्ञापन निदेशालय के कार्यालय में आग लगना	२६३३
२६०९ हावड़ा में आद्यरूप उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र	२६३३–३४
२६१० "जी" टाइप के क्वार्टरों का किराया	२६३४
२६११ भारत पाक व्यापार करार	२६३४–३५
२६१२ हथकरघा कपड़े का उत्पादन	२६३५
२६१३ अनुशासन संहिता	२६३५
२६१४ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को अधिक भुगतान	२६३५–३६
२६१५ राजस्थान में उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र	२६३६
२६१६ कारों तथा जीपों का आवण्टन	२६३६
२६१७ मनीपुर में असैनिक संभरण अधिकारी	२६३६
२६१८ मनीपुर लोक निर्माण विभाग	२६३६–३७
२६१९ सरकारी क्वार्टरों का किराया	२६३७
२६२० सरकारी क्वार्टरों का आवंटन	२६३७–३८
२६२१ त्रिपुरा और मनीपुर में छोटे पैमाने के उद्योग	२६३८–३९
२६२२ दिल्ली में अल्प आय वर्ग आवास योजना	२६३९
२६२३ रबड़ बोर्ड में वेतन क्रम	२६३९–४०
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	२६४०—४३

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने संत फतेह सिंह के साथ अपनी बातचीत के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	२६४४

श्रीमती मफीदा अहमद ने २, अगस्त, १९६१ को भारी वर्षा के कारण दिल्ली में मकानों के गिरने और पानी से भरे नालों में डूबने से सात व्यक्तियों की कथित मृत्यु की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

सभापटल पर रखे गये पत्र	२६४४

(१) चाय एक्ट, १९५३ की धारा २९ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १२ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०२७ में प्रकाशित चाय (तीसरा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति।

(२) जून, १९६१ में जेनेवा में हुये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ४५वें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय सरकारी प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश २६४४

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा अपनी २३ अगस्त, १९६१ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १७ अगस्त, १९६१ को पास किये गये दादरा और नगर हवेली विधेयक, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है ।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना . २६४५

धार्मिक न्यास विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित करने के समय को और बढ़ाये जाने के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा २९-८-६१ तक स्थगित कर दी गई ।

विधेयक पुरस्थापित २६४५-४६

(१) समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक ।

(२) उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक ।

विधेयक पारित २६४६-६९

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन रूप में आय कर विधेयक १९६१ पर अग्रेतर खंण्ड वार चर्चा समाप्त हुई और विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६१-६२ . . . २६६९-७२

१९६१-६२ के लिये आयव्ययक (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

विशेषाधिकार २६४५, ७२-७३

लोक सभा ने श्री आर० के० करंजिया की उनके लोक सभा के बारे पर उपस्थित होने के समय को बढ़ाने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया ।

बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव २६७३-८४

सर्वश्री गोरे और चिंतामणि पाणिग्रही ने ७-८-६१ को सभा पटल पर रखे गये देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य पर प्रस्ताव प्रस्तुत किये चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, २९ अगस्त, १९६१/७ भाद्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि .

बम्बई के "ब्लिट्ज़" के सम्पादक श्री आर० के० करंजिया की भर्त्सना, अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य), १९६१-६२ पर अग्रेतर चर्चा तथा पंजाबी सूबा और मास्टर तारासिंह, स्वामी रामेश्वरानन्द और योगीराज सूर्यदेव द्वारा किये गये अनशन के बारे में चर्चा ।

GMGIPND—L.S. III—1196(Ai) LSD—4-10-61—125.